CHAMPION PUBLICATION

CHAMPION PUBLICATION

2025 हिन्दी EDITION

मूलविधि एवं भारतीय संविधान

Special for UPSI

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नवीनतम प्रावधनों सहित विस्तृत व्याख्या
- धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन– IPC vs BNS | CrPC vs BNSS
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का संकलन
- महत्वपूर्ण अदालती निर्णय व विधिक व्याख्याएं
- टॉपिक के बाद अभ्यास प्रश्न
- भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तृत विवरण एवं अभ्यास प्रश्न
- विगत वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण

1500+ बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

गगन प्रताप सर

CHAMPION PUBLICATION

CHAMPION PUBLICATION

2025 हिन्दी EDITION

मूलविधि एवं भारतीय संविधान

Special for UPSI

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के नवीनतम प्रावधनों सहित विस्तृत व्याख्या
- धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन– IPC vs BNS | CrPC vs BNSS
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का संकलन
- महत्वपूर्ण अदालती निर्णय व विधिक व्याख्याएं
- टॉपिक के बाद अभ्यास प्रश्न
- भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का विस्तृत विवरण एवं अभ्यास प्रश्न
- विगत वर्षों के प्रश्नपत्रों का विश्लेषण

1500+ बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

मार्गदर्शक
गगन प्रताप सर

लेखक एवं संपादक
मानवेन्द्र सिंह

© Copyright of Publisher

No part of this publication may be re-produced, stored in a retrieval system or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, web or otherwise without the written permission of the publisher.

Champion Publication has taken utmost precaution in publishing the book, yet if any mistake has inadvertently crept in, the publishers shall not be responsible for the same.

Acknowledgement

Special thanks to my dear friend **Somendra Raghav** for enhancing the content by his knowledgeable contribution and making this book more exam oriented.

Edition : 2025

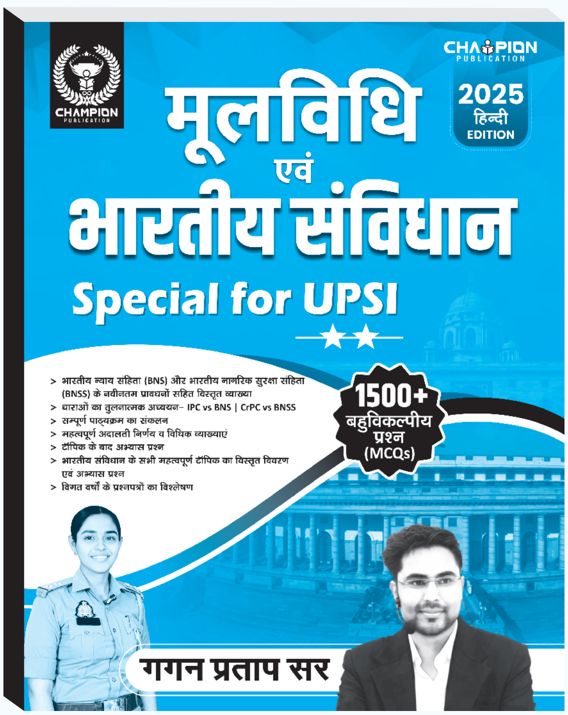

Price ₹ 320/-

Cover Design : Divesh Kumar

Publisher & Distributor

Jaina Extention, Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009
Contact No: +91 7351553388 (Only message)

Published by
Champion Publication (India)
For further information about the products

ईश्वर को समर्पित

मेरी प्रेरणा और शक्ति के स्रोत,

मैं इस पुस्तक को हृदय से आभार के साथ समर्पित करता हूँ।

उनके अटूट मार्गदर्शन ने लेखन के प्रति मेरे जुनून को प्रोत्साहित किया है।

उनकी उपस्थिति ने मेरे साहस और स्पष्टता को प्रज्वलित किया।

आशा है कि यह कार्य मार्गदर्शन चाहने वालों के लिये ठीक वैसे ही गुणकारी होगा

जैसे उनके प्रकाश ने मेरे मार्ग को रोशन किया है।

रचनात्मकता और ज्ञान के उपहार के लिए धन्यवाद।

प्रस्तावना

इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच सबसे आसान तरीके से ज्ञान का प्रसार करना है। इस विषय पर इस पुस्तक को लिखने के कई उद्देश्य हैं। मूल रूप से, यह प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक उम्मीदवारों की जरूरतों को पूरा करता है और शुरुआती लोगों के लिए विषय की जटिलता को समझना है।

यह देखा गया है कि (**मूलविधि**) विषय का नाम ही विद्यार्थियों के मन में भय उत्पन्न करता है। इस पुस्तक के माध्यम से उस भय को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक इकाई के अंत में दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न विद्यार्थियों को अध्यायों को पढ़कर प्राप्त ज्ञान का स्व-मूल्यांकन करने में सहायता करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर स्पष्टीकरण सहित दिए गए हैं।

एक पेशेवर के रूप में यह देखा गया है कि बाजार में उपलब्ध पुस्तकें छात्रों को उपयोगी जानकारी प्रदान कर रही हैं। वे बहुत उपयोगी बहुविकल्पीय प्रश्नों को सही उत्तर सहित प्रदान करती हैं। छात्र का जिज्ञासु मन अभी भी असंतुष्ट है क्योंकि वह यह जानने में असमर्थ है कि कोई विशेष उत्तर क्यों है और अन्यथा क्यों नहीं। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने समाधानों के लिए तर्क प्रदान करने का प्रयास किया है। इसलिए, यह पुस्तक छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करती है क्योंकि यह उनकी माँग और जिज्ञासा का समाधान करती है।

पुस्तक उपयोगकर्ता के अनुकूल है और अच्छी तरह से संरचित तरीके से सामग्री प्रदान करती है। यह विषय-वस्तु की विभिन्न अवधारणाओं का व्यापक और आलोचनात्मक अध्ययन प्रदान करती है। आपकी ओर से एक शब्द या सुझाव पुस्तक की विषय-वस्तु में एक और पंख जोड़ सकता है। लेखक पाठकों की टिप्पणियों, सुझावों और आलोचनाओं की प्रतीक्षा कर रहा है। उपयोगकर्ताओं से रचनात्मक सुझाव और प्रतिक्रिया की अत्यधिक सराहना की जाएगी, कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाएगा और उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

छात्र समुदाय की सेवा करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास।

हार्दिक शुभकामनाएँ
चैम्पियन पब्लिकेशन

विषय सूची

क्र.स.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	भारतीय न्याय संहिता, 2023 (तुलनात्मक अध्ययन : भारतीय न्याय संहिता बनाम भारतीय दंड संहिता)	1-28
2.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (तुलनात्मक अध्ययन : दंड प्रक्रिया संहिता बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)	29-56
3.	महिलाओं को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान	57-67
4.	बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान	68-80
5.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित प्रावधान	81-83
6.	पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण तथा वन्य जीव संरक्षण	84-93
7.	मानव अधिकार एवं जनहित याचिका	94-99
8.	स्वतंत्र भारत के महत्त्वपूर्ण निर्णय	100-107
9.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	108-112
10.	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	113-116
11.	साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा	117-119
12.	आयकर अधिनियम, 1961	120-127
13.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	128-130
14.	मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम	131-139
15.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980	140-142
16.	भारत में भूमि सुधार तथा भू-राजस्व व्यवस्था	143-155
17.	विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित (मूल विधि)	156-179
18.	भारतीय संविधान	180-240
19.	विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित (संविधान)	241-293
20.	विस्तृत व्याख्या सहित अभ्यास प्रश्न (संविधान)	294-346

छात्रों के लिए महत्त्वपूर्ण सूचना

प्रिय छात्रों,

हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी सीखने की यात्रा में आपकी मदद करेगी। आपको सर्वोत्तम सामग्री प्रदान करने के लिए प्रत्येक पुस्तक बहुत सावधानी से तैयार की जाती है। यदि पुस्तक में कोई बड़ी समस्या नहीं है (जैसे कि पृष्ठ गायब होना या खराब प्रिंटिग), तो हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप इसे वापस न करें।

हालाँकि आपको डिलीवरी मुफ्त लग सकती है, लेकिन रिटर्न के परिणामस्वरूप Seller को अतिरिक्त डिलीवरी शुल्क देना पड़ता है, (यदि आप पुस्तक रखते है तो डिलीवरी शुल्क लगभग ₹80 लगता है और यदि वापस करते है, तो Seller को दोगुना शुल्क ₹160 देना पड़ता है।) जिससे सभी के लिए पुस्तक की कम कीमत रखना मुश्किल हो जाता है। आपकी समझ हमें उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तक प्रदान करना जारी रखने में मदद करती है।

यदि आप पुस्तक से संतुष्ट हैं,

Please Rate us 5☆ on Amazon/Flipkart

हम आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की सराहना करेंगे।

आपके समर्थन के लिए धन्यवाद तथा पढ़ाई का आनंद लें!

With Regards

Champion Publication

CHAMPION
PUBLICATION
Gagan Pratap Sir

01 भारतीय न्याय संहिता, 2023

नए आपराधिक कानून

25 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने तीन आपराधिक कानून विधेयकों को मंजूरी दी, जो आपराधिक कानून के प्रक्रियात्मक और मूल प्रावधानों को प्रतिस्थापित करते हैं, जिन्हें पहली बार 100 साल पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। नए आपराधिक कानून **1 जुलाई, 2024** से लागू हुए हैं।

नए आपराधिक कानून अधिनियमों में भारतीय दंड संहिता, 1860 को **भारतीय न्याय संहिता, 2023** नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023** लाया गया है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लिया है। निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कुछ प्रमुख परिवर्तनों को दर्शाते हैं:

1. **धाराओं की संख्या घटाई गई:** बीएनएस में धाराओं की संख्या 511 से घटाकर **358** कर दी गई है।
2. **नये अपराध:** बीएनएस में **21 नये अपराध** जोड़े गए हैं, जिनमें **घृणा अपराध** और **भीड़ द्वारा हत्या** शामिल हैं।
   - नये अपराधों में **आतंकवाद, संगठित अपराध** और **घृणास्पद भाषण** शामिल हैं।
3. **इलैक्ट्रॉनिक माध्यम और साइबर अपराधों को रोकने के प्रावधान**

परिभाषा और प्रावधान:

- बीएनएस धारा 2(39) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 के तहत सभी तकनीकी और डिजिटल माध्यम से संबंधित शब्दों और अपराधों की परिभाषा को शामिल करती है।
- इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अब वैधानिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है (बीएनएस धारा 2(8))।

सजा के प्रावधान:

- साइबर धोखाधड़ी या हैकिंग के लिए 3 से 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना।
- किसी की निजता में अवैध प्रवेश (स्पाइवेयर का उपयोग) के लिए अधिकतम 5 साल की सजा।

4. **सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का समावेश**

नया प्रावधान:

- छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा एक वैकल्पिक दंड (धारा 4) के रूप में पेश की गई है।
- यह दंड उन मामलों में लागू होगा जहाँ जेल भेजने के बजाय सुधारात्मक उपाय अधिक प्रभावी हो।

5. **लैंगिक तटस्थता और समावेशी भाषा का प्रयोग**

सुधार और सीमाएँ:

- बीएनएस धारा 2(10): "लिंग" की परिभाषा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया।
- वॉयेरिज्म (धारा 77) जैसे अपराधों को लिंग-तटस्थ बनाया गया, लेकिन पीड़ित की सुरक्षा केवल महिलाओं तक सीमित रखी गई।
- बलात्कार के प्रावधान:
  - पुरुष और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन अपराधों के तहत पीड़ित मानने की व्यवस्था नहीं है।
  - सामूहिक बलात्कार की आयु सीमा 16 से बढ़ाकर 18 कर दी गई।

सजा का प्रावधान:

- **वॉयेरिज्म:** अधिकतम 3 वर्ष की सजा और जुर्माना।
- **सामूहिक बलात्कार:** 20 वर्ष का कठोर कारावास या मृत्यु दंड।

6. **छीनाझपटी को चोरी से अलग अपराध के रूप में मान्यता**

धारा 304:→ (छीनाझपटी)

- छीना-झपटी को चोरी से अलग परिभाषित किया गया।
- इसमें शारीरिक बल और पीड़ित की जानकारी के साथ चोरी करना शामिल है।

सजा का प्रावधान:

- छीना-झपटी के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा (पहले इसे सामान्य चोरी माना जाता था)।

7. **भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) के खिलाफ प्रावधान**

धारा 103 और 117(4):→

- भीड़ द्वारा हत्या के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान।

धारा 103:→

धर्म, जाति, या किसी अन्य सामाजिक भेदभाव के कारण भीड़ द्वारा हत्या पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास।

धारा 117(4):→

- भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुँचाने पर 10 वर्ष तक की सजा।

8. **राजद्रोह के प्रावधान का संशोधन**

धारा 152:→

राजद्रोह (IPC धारा 124A) को हटाकर "विध्वंसक गतिविधियों" की नई परिभाषा दी गई।

9. **आधार कार्ड और सरकारी दस्तावेजों की जालसाजी**

नया प्रावधान:

धारा 337:→

आधार कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की जालसाजी को कठोर अपराध घोषित किया।

सजा का प्रावधान:

- अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना।

10. **नाबालिकों के खिलाफ अपराध**

धारा 137:→

- नाबालिकों (18 वर्ष से कम) के अपहरण के मामलों में कड़े प्रावधान।
- पहले लड़कों के लिए आयु सीमा 16 वर्ष थी, जिसे अब 18 कर दिया गया है।

11. **नए अपराध और दंड के प्रावधान**

छल से यौन संबंध बनाने का अपराध:

धारा 69:→

- झूठे वादे और प्रलोभन से यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास।

झूठी सूचना का प्रसार:

- **धारा 353:** किसी भी झूठी सूचना को जानबूझकर प्रसारित करने पर 3 वर्ष तक का कारावास।

लापरवाही से मौत:

धारा 106(1):→

- लापरवाही से मौत के लिए सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष।

भारतीय न्याय संहिता 2023 की महत्वपूर्ण धाराओं की व्याख्या

धारा 4:→ दण्ड

इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधियों को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते हैं–

1. मौत;
2. आजीवन कारावास;

कारावास, जो दो प्रकार का होता है–

- कठोर, अर्थात् कठिन श्रम के साथ;
- सरल;

3. संपत्ति की जब्ती;
4. जुर्माना;
5. सामुदायिक सेवा।

धारा 8 दण्ड की अवधि के अंश

दण्ड की अवधि के अंशों की गणना करते समय, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा।

धारा 7:→

दंड का प्रकार: अगर अपराधी को कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जाता है, तो जुर्माना न देने पर अदालत यह निर्देश दे सकती है कि अपराधी एक निश्चित अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास में रहेगा। यह अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि से एक-चौथाई से अधिक नहीं हो सकती।

जुर्माना न देने पर कारावास:

- जुर्माना न चुकाने पर, अदालत द्वारा निर्धारित कारावास की अवधि जुर्माने की राशि पर निर्भर करती है:
  - 5,000 रुपए से कम जुर्माना होने पर, कारावास अधिकतम 2 माह हो सकता है।
  - 10,000 रुपए तक जुर्माना होने पर, यह अवधि 4 माह हो सकती है।
  - अन्य मामलों में यह अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है।

धारा 11:→

"एकान्त कारावास," उन मामलों से संबंधित है जहाँ अपराधी को कठोर कारावास की सजा दी जाती है। इस धारा के अंतर्गत, न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि अपराधी को एकान्त कारावास में रखा जाए, लेकिन इसके लिए एक अधिकतम सीमा है, जो कारावास की अवधि पर निर्भर करती है।

इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. छह माह से कम की कारावास अवधि होने पर, एकान्त कारावास की अवधि एक माह से अधिक नहीं हो सकती।
2. छह माह से एक वर्ष तक की कारावास अवधि होने पर, एकान्त कारावास की अवधि दो माह से अधिक नहीं हो सकती।
3. एक वर्ष से अधिक की कारावास अवधि होने पर, एकान्त कारावास की अवधि तीन माह से अधिक नहीं हो सकती।

धारा 20:→

सात वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है।

धारा 21:→

सात वर्ष से अधिक तथा बारह वर्ष से कम आयु के किसी अपरिपक्व बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नही होगा।

धारा 34:→

निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है।

धारा 37:→

"निजी प्रतिरक्षा का अधिकार" से संबंधित कुछ विशिष्ट अपवादों को निर्धारित किया गया है, जिनमें यह अधिकार नहीं होता:

1. **लोक सेवकों द्वारा कार्य:** जब लोक सेवक अपनी ड्यूटी के दौरान, भले ही उनका कार्य कानून से पूरी तरह उचित न हो, लेकिन अच्छे विश्वास और सद्भावना में कार्य कर रहे हों, तो उसके खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता।
2. **सार्वजनिक सुरक्षा:** जब सार्वजनिक प्राधिकरणों की सुरक्षा को लेकर कोई आवश्यकता हो, तब भी निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा।
3. **नुकसान की सीमा:** निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उस हद तक होगा जितना कि रक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो; यानी किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नुकसान नहीं किया जा सकता।

धारा 41:→

"संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार" को विस्तारित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि:

1. **मृत्यु तक अधिकार:** संपत्ति की सुरक्षा के लिए, यदि किसी अपराधी को रोकने की स्थिति में मृत्यु या गंभीर चोट दी जाती है, तो यह अधिकार संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से विस्तारित हो सकता है।
2. **विशेष अपराधों के खिलाफ:** यह अधिकार विशेष रूप से उन अपराधों के खिलाफ लागू होता है, जैसे:

- डकैती
- घर तोड़ना (सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले)
- आग लगाना या विस्फोटक पदार्थों से शरारत करना, खासकर जब वह संपत्ति मानव आवास या सुरक्षा के लिए हो
- चोरी, शरारत या घर-अतिचार ऐसी स्थिति में, जहाँ मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा हो

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति की रक्षा के लिए जब जरूरी हो, तब तक अधिकतम बचाव का अधिकार दिया जाए, खासकर जब अपराध गंभीर हो।

धारा 55 के लिए दंड निर्धारित किया गया है:→

1. यदि कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, और वह अपराध उकसाने के परिणामस्वरूप नहीं होता, तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात साल तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
2. यदि उकसाने वाले व्यक्ति द्वारा किसी को चोट पहुँचाने का कारण बनता है, तो उसे चौदह साल तक की कारावास सजा और जुर्माना भी हो सकता है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अपराध के लिए उकसाने वालों को सजा दी जाए, चाहे उन्होंने खुद अपराध नहीं किया हो।

धारा 57:→

यदि कोई व्यक्ति जनता या दस से अधिक व्यक्तियों के समूह को उकसाता है या किसी अपराध के लिए प्रेरित करता है, तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा 61:→ "आपराधिक षडयंत्र" का प्रावधान है

1. जब दो या दो से अधिक लोग एक अवैध कार्य या अवैध तरीके से किसी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, तो यह आपराधिक साजिश मानी जाती है।
2. साजिश में भाग लेने वाला व्यक्ति दंडित होगा, जैसे यदि अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या कठोर कारावास (दो साल या अधिक) से दंडनीय हो, तो उसे वैसा ही दंड मिलेगा अन्यथा उसे छह महीने तक कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यह धारा साजिश करने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान करती है।

2. **सजा:**
- **दो साल तक** की साधारण कैद, या जुर्माना, या दोनों,
- या **सामुदायिक सेवा से दंडित** किया जाएगा।

3. **मानहानिकारक सामग्री का छापना या उत्कीर्ण करना:**
- जो कोई मानहानिकारक सामग्री को छापता या उत्कीर्ण करता है, तो उसे भी साधारण कारावास जो **दो साल तक** हो सकता है या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

4. **मानहानिकारक सामग्री का बेचना या पेश करना:**
- जो कोई मानहानिकारक सामग्री को जानबूझकर बेचता है, तो उसे भी **दो साल तक** का साधारण कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

तुलनात्मक अध्ययन : भारतीय न्याय संहिता बनाम भारतीय दंड संहिता

भारतीय न्याय संहिता, 2023		भारतीय दंड संहिता, 1860	
धारा संख्या	**धारा का शीर्षक**	**धारा संख्या**	**धारा का शीर्षक**
	अध्याय 1 (प्रारंभिक)		
धारा 1(1)	संहिता नाम, प्रारंभ और लागू होना	धारा 1	संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार
धारा 1(2)	**संहिता नाम, प्रारंभ और लागू होना**	—	**नया जोड़ा गया**
धारा 1(3)	संहिता नाम, प्रारंभ और लागू होना	धारा 2	भारत के भीतर किए गए अपराधों का दण्ड
धारा 1(4)	संहिता नाम, प्रारंभ और लागू होना	धारा 3	भारत से परे किए गए किन्तु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दण्ड
धारा 1(5)	संहिता नाम, प्रारंभ और लागू होना	धारा 4	राज्य-क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार
धारा 1(6)	संहिता नाम, प्रारंभ और लागू होना	धारा 5	कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना
धारा 2(1)	"अधिनियम"	धारा 33,32	"कार्य", "लोप"
धारा 2(2)	"जीवजंतु"	धारा 47	"जीवजंतु"
धारा 2(3)	**"बालक"**	—	**नया जोड़ा गया**
धारा 2(4)	"कूटकरण" (Counterfeit)	धारा 28	"कूटकरण"
धारा 2(5)	"न्यायालय"	धारा 20	"न्यायालय"
धारा 2(6)	"मृत्यु"	धारा 46	"मृत्यु"
धारा 2(7)	"बेईमानी से"	धारा 24	"बेईमानी से"
धारा 2(8)	"दस्तावेज" (Document)	धारा 29	"दस्तावेज"
धारा 2(9)	"कपटपूर्वक" (Deceitfully)	धारा 25	"कपटपूर्वक"
धारा 2(10)	"लिंग"	धारा 8	"लिंग"
धारा 2(11)	"सद्भावपूर्वक" (Good faith)	धारा 52	"सद्भावपूर्वक"
धारा 2(12)	"सरकार"	धारा 17	"सरकार"
धारा 2(13)	"संश्रय" (Harbour)	धारा 52A	"संश्रय"
धारा 2(14)	"क्षति" (Loss)	धारा 44	"क्षति"
धारा 2(15)	"अवैध" और "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध" (Bound)	धारा 43	"अवैध" और "करने के लिए वैध रूप से आबद्ध"
धारा 2(16)	"न्यायाधीश"	धारा 19	"न्यायाधीश"
धारा 2(17)	"जीवन"	धारा 45	"जीवन"
धारा 2(18)	"स्थानीय विधि"	धारा 42	"स्थानीय विधि"
धारा 2(19)	"पुरुष"	धारा 10	"पुरुष"
धारा 2(20)	"मास और वर्ष"	धारा 49	"मास/वर्ष"
धारा 2(21)	"जंगम संपत्ति" (Movable property)	धारा 22	"जंगम संपत्ति"
धारा 2(22)	"वचन" (Number)	धारा 9	"वचन"
धारा 2(23)	"शपथ"	धारा 51	"शपथ"
धारा 2(24)	"अपराध"	धारा 40	"अपराध"
धारा 2(25)	"लोप" (Omission)	धारा 33	"लोप"
धारा 2(26)	"व्यक्ति"	धारा 11	"व्यक्ति"
धारा 2(27)	"लोक"	धारा 12	"लोक"
धारा 2(28)	"लोक सेवक" (Public servant)	धारा 21	"लोक सेवक" UP SI 2021, 16 Nov III shift
धारा 2(29)	"विश्वास करने का कारण"	धारा 26	"विश्वास का कारण"

भारतीय न्याय संहिता, 2023		भारतीय दंड संहिता, 1860	
धारा संख्या	धारा का शीर्षक	धारा संख्या	धारा का शीर्षक
धारा 2(30)	"विशेष विधि"	धारा 41	"विशेष विधि"
धारा 2(31)	"मूल्यावान प्रतिभूति" (Valuable security)	धारा 30	"मूल्यावान प्रतिभूति"
धारा 2(32)	"जलयान" (Vessel)	धारा 48	"जलयान"
धारा 2(33)	"स्वेच्छया" (Voluntarily)	धारा 49	"स्वेच्छया"
धारा 2(34)	"विल" (Will)	धारा 31	"विल"
धारा 2(35)	"महिला"	धारा 10	"महिला"
धारा 2(36)	"सदोष अभिलाभ" (Wrongful gain)	धारा 23	"सदोष अभिलाभ"/ "सदोष हानि"
धारा 2(37)	"सदोष हानि" (Wrongful loss)	धारा 23	"सदोष अभिलाभ"/ "सदोष हानि"
धारा 2(38)	"सदोष अभिलाष प्राप्त करना" और "सदोष हानि उठाना" (Gaining wrongfully)	धारा 23	"सदोष अभिलाभ"/ "सदोष हानि"
धारा 2(39)	कोई परिभाषित शब्द नहीं	धारा 29A	"इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख" (Electronic Record)
धारा 3(1)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ (General Explanatations and expressions)	धारा 6	संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्यधीन समझा जाना (Definitions in the Code to be understood subject to exceptions)
धारा 3(2)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 7	एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव (Sense of expression once explained)
धारा 3(3)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 27	"पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति"
धारा 3(4)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 32	कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है
धारा 3(5)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 34	सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य
धारा 3(6)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 35	जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय सक किया गया है
धारा 3(7)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 36	अंशत: कार्य द्वारा और अंशत: लोप द्वारा कारित परिणाम
धारा 3(8)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 37	किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना
धारा 3(9)	सामान्य व्याख्याएँ और अभिव्यक्तियाँ	धारा 38	आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे
अध्याय 2 (दंडों के विषय में)			
धारा 4	"दण्ड"	धारा 53	"दण्ड"
धारा 5	दण्डादेश का लघुकरण (Commutation of sentence)	धारा 54	मृत्यु दण्डादेश का लघुकरण
		धारा 55	आजीवन कारावास के दण्डादेश का लघुकरण UP SI 2021, 27 Nov III shift
धारा 6	दण्डावधियों की भिन्नें (Fractions of terms of punishment)	धारा 57	दण्डावधियों की भिन्नें
धारा 7	दण्डदिष्ट (कारावास के कतिपय मामलों में) संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा Sentence may be (in certain cases of imprisonment) wholly or partly regorous or simple	धारा 60	दण्डदिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा
धारा 8(1)	जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने मे व्यक्तिक्रम Amount of fine, liability in default of payment of fine, etc.	धारा 63	जुर्माने की रकम
धारा 8(2)	जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने मे व्यक्तिक्रम	धारा 64	जुर्माने की रकम
धारा 8(3)	जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने मे व्यक्तिक्रम	धारा 65	जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं, तब जुर्माना नहीं देने पर कारावास दिया जाए
धारा 8(4)	जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने मे व्यक्तिक्रम	धारा 66	जुर्माना नहीं देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए
धारा 8(5) एवं धारा 8(6) जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने मे व्यक्तिक्रम		धारा 67	जुर्माना नहीं देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हो UP SI Exam
		धारा 68	जुर्माना देने पर कारावास का पर्यावसान हो जाना
		धारा 69	जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यावसान
धारा 8(7)	जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने में व्यक्तिक्रम	धारा 70	जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना-संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती

अभ्यास प्रश्न

1. जो कोई भी ___ से कम आयु के व्यक्ति को बहकाता है, उसे अपहरण करने वाला कहा जाता है।

(a) 18 (b) 17
(c) 15 (d) 16

Sol. (d) यदि 16 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बहला-फुसलाकर गबन करता है, तो इसे संबंधित कानूनों के तहत अपहरण माना जाएगा (धारा 361)। यह प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 में दिया है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के मामलों में केंद्र प्रावधान किए गए है।

2. कौन-सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई थी?

(a) भारतीय दंड संहिता की धारा 121
(b) भारतीय दंड संहिता की धारा 120B
(c) भारतीय दंड संहिता की धारा 124
(d) भारतीय दंड संहिता की धारा 124A

Sol. (d) केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) में आईपीसी की धारा 124A (राजद्रोह) को असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी गई थी।

भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 124(A) (राजद्रोह) को हटा दिया है तथा इसकी परिभाषा विस्तारित कर धारा 152 में शामिल किया गया है।

3. भारतीय दंड संहिता की धारा 497A व्याभिचार को गैरकानूनी घोषित करती है। इसे ________ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था।

(a) जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ
(b) न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ
(c) भारतीय युवा अधिवक्ता संगठन बनाम केरल राज्य
(d) कॉमन कॉज बनाम भारत संघ

Sol. (a) जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ

- जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) में, आईपीसी की धारा 497A (व्याभिचार) को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसे समाप्त कर कोई धारा नहीं रखी गई है।
- पुट्टास्वामी: गोपनीयता अधिकार।
- युवा वकील: सबरीमाला मामला।
- कॉमन कॉज: इच्छामृत्यु।

4. जो कोई भी _______ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को कोई अश्लील वस्तु वितरित करता है, वह अपराध का दोषी है।

(a) 23 (b) 21
(c) 20 (d) 25

Sol. (c) धारा 292 आईपीसी 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अश्लील सामग्री वितरित करने पर रोक लगाती है। BNS में इसे धारा 290 में दिया गया है।

5. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा अपराध 'राजद्रोह' को परिभाषित करती है?

(a) धारा 268 (b) धारा 171B
(c) धारा 124A (d) धारा 229A

Sol. (c) BNS में IPC की धारा 124A को समाप्त कर दिया गया है, फिर भी धारा 152 के रूप में एक नया प्रावधान संसद द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कुछ हद तक समान प्रकृति के अपराधों को शामिल किया गया है।

BNS की धारा 152 के अंतर्गत जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या जानते हुए, मौखिक या लिखित वक्तव्यों, संकेतों, दृश्य चित्रण, इलेक्ट्रॉनिक संचार अथवा वित्तीय साधनों के माध्यम से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य करता है, तो उसे आजीवन कारावास या सात वर्ष तक का कारावास, तथा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

6. सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना .... रूपयों तक 'बढ़' सकता है।

(a) 200 (b) 100
(c) 50 (d) 300

Sol. (a) भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 268 और 290 के अनुसार, सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) एक दंडनीय अपराध है, जिसमें अधिकतम 200 का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS 2023) में निम्न रूप से शामिल है:

- धारा 270: सार्वजनिक उपद्रव की परिभाषा।
- धारा 292: यदि विशेष सजा निर्दिष्ट नहीं है, तो 1,000 तक जुर्माना।
- धारा 293: यदि निषेधाज्ञा के बाद भी उपद्रव जारी रखा जाए, तो 6 महीने तक कारावास, 5,000 जुर्माना या दोनों।

7. आईपीसी के अनुसार एक ठग को _____ का दंड दिया जाएगा।

(a) आजीवन कारावास और जुर्माने
(b) जुर्माना
(c) 6 महीने तक की कैद
(d) 3 महीने तक की कैद

Sol. (a) धारा 420 भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की एक प्रसिद्ध धारा है, जो धोखाधड़ी (Cheating and dishonestly inducing delivery of property) से संबंधित है।

नए भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अनुसार, धारा 420 को अब "धारा 316" के अंतर्गत शामिल किया गया है। धारा 316, BNS 2023 भी उसी प्रकार की सजा का प्रावधान करती है- अधिकतम 7 वर्ष की सजा + जुर्माना।

8. जब _____ व्यक्ति रूप से चोरी करते है, तब IPC के तहत इसे ''डकैती'' की घटना मानी जाती है।

(a) 3 या अधिक (b) 5 या अधिक
(c) 4 या अधिक (d) 7 या अधिक

Sol. (b) जब 5 या अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से चोरी करते है, तब आईपीसी के तहत इसे ''डकैती'' की घटना मानी जाती है। IPC की धारा 391 अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 में परिवर्तित हुई है।

2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)- 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (सीआरपीसी) की जगह ली है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) ने कई पीड़ित-केंद्रित परिवर्तनों के साथ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को बदल दिया है:

- **पुलिस हिरासत की अवधि में विस्तार:** बीएनएसएस में पुलिस हिरासत की अवधि अब 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है।
- **अनुपस्थिति में परीक्षण:** बीएनएसएस अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी परीक्षण जारी रखने की अनुमति देता है।
- **जीरो एफआईआर:** नए बीएनएसएस में क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना अब किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

  FIR इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है और जानकारी आधिकारिक तौर पर 3 दिनों के भीतर व्यक्ति के हस्ताक्षर पर दर्ज की जाएगी।
- **इलेक्ट्रॉनिक समन:** समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जा सकते हैं, जिससे वे अधिक डिजिटल-अनुकूल बन जाते हैं।
- **गवाह संरक्षण योजना:** पुरानी प्रणाली में लापता गवाहों के लिए सुरक्षा की शुरुआत की गई है।
- **फोरेंसिक जांच:** 7 वर्ष की कैद वाले दंडनीय अपराधों के लिये अनिवार्य
- **इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण:** बीएनएसएस पारंपरिक अदालती तरीकों से हटकर इलेक्ट्रॉनिक परीक्षणों की सुविधा प्रदान करता है।
- **न्यायालयों का पदानुक्रम:** मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों की विशिष्टता और भूमिका को समाप्त कर दिया गया।
- **इलेक्ट्रॉनिक मोड का अनिवार्य उपयोग:** जाँच, पूछताछ और परीक्षण के चरणों में।
- **विचाराधीन कैदियों की हिरासत:** गंभीर अपराधों के आरोपियों के लिये व्यक्तिगत जमानत पर रिहाई को प्रतिबंधित कर दिया है।
- **गिरफ्तारी का विकल्प:** किसी आरोपी को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है; इसके बजाय यदि आरोपी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में विफल रहते हैं, तो पुलिस सुरक्षा जमानत की मांग कर सकती है।
- **सामुदायिक सेवा की परिभाषा:** 'वह कार्य जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, उसके लिये वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।'
- **शब्दावली का प्रतिस्थापन:** अधिकांश प्रावधानों में "मानसिक बीमारी" का स्थान "विकृत चित्त" ने ले लिया है
- **दस्तावेजीकरण प्रोटोकॉल:** वारंट के साथ/बिना तलाशी के लिये अनिवार्य ऑडियो-वीडियो दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें रिकॉर्ड की गई सामग्री तुरंत मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है।
- **प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा:** विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये समयसीमा निर्धारित करता है
  - जैसे बहस के बाद 30 दिनों के भीतर फैसला जारी करना
- **चिकित्सा परीक्षण:** कुछ मामलों में किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जा सकता है
- **नमूना संग्रह:** मजिस्ट्रेट नमूना हस्ताक्षरों या लिखावट (specimen signatures) आदेशों से आगे बढ़कर, उन व्यक्तियों से भी, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनकी उंगली के निशान और आवाज के नमूने एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।

नए प्रावधानों और सजा के प्रावधानों का विश्लेषण

धारा 2:→ परिभाषाएँ

इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक"** में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पहचान, तलाशी और जब्ती या साक्ष्य की प्रक्रियाओं की रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार के प्रसारण के प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए और ऐसे अन्य साधनों द्वारा किसी भी संचार उपकरण का उपयोग शामिल होगा, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है;

(ख) **"जमानत"** का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा बॉन्ड या जमानत बॉन्ड के निष्पादन पर लगाई गई कुछ शर्तों पर कानून की हिरासत से रिहा करना;

(ग) **"जमानती अपराध"** से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसे प्रथम अनुसूची में जमानतीय दर्शाया गया है, या जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है; तथा **"गैर-जमानती अपराध"** से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है;

(घ) **"जमानत बॉन्ड"** से तात्पर्य जमानत के साथ रिहाई के लिए वचनबद्धता से है;

(ई) **"बंधपत्र"** से तात्पर्य व्यक्तिगत बंधपत्र या बिना जमानत के रिहाई का वचनपत्र है;

(छ) **"संज्ञेय अपराध"** से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वॉरंट के गिरफ्तार कर सकता है;

(ण) **"असंज्ञेय अपराध"** से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वॉरंट के गिरफ्तार करने का कोई प्राधिकार नहीं है;

(भ) **"समन मामला"** से किसी अपराध से संबंधित मामला अभिप्रेत है, न कि वॉरंट मामला;

(म) **"पीड़ित"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अभियुक्त व्यक्ति के कार्य या चूक के कारण कोई हानि या चोट पहुँची है और इसमें ऐसे पीड़ित का अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी भी शामिल है;

(य) **"वॉरंट मामला"** से मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित मामला अभिप्रेत है।

धारा 6:→ दंड न्यायालयों की श्रेणियाँ

उच्च न्यायालयों और इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत गठित न्यायालयों के अलावा, प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित प्रकार के दंड न्यायालय होंगे, अर्थात:-

(i) सत्र न्यायालय;

(ii) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट;

(iii) द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट; और

(iv) कार्यपालक मजिस्ट्रेट।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की **धारा 22** में **उच्च न्यायालय** और **सत्र न्यायाधीशों द्वारा दंडादेश (सजा का आदेश)** पारित करने के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- **उच्च न्यायालय के अधिकार**
  - उच्च न्यायालय को **किसी भी प्रकार का दंडादेश** पारित करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च न्यायालय के पास अधिकतम दंड (जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, आदि) सुनाने की शक्ति है, लेकिन यह विधि द्वारा विनियमित होती है।

- सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश के अधिकार (Subsection 2):
  - सत्र न्यायाधीश और अपर सत्र न्यायाधीश को विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित करने का अधिकार है।
  - मृत्यु दंडादेश (Death Sentence):
    - यदि सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड का आदेश पारित करते हैं, तो वह आदेश उच्च न्यायालय की पुष्टि के बिना लागू नहीं हो सकता।

धारा 23:→ मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दंडादेश

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
  - मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 7 सात वर्ष से अधिक अवधि के कारावास के दंड को छोड़कर विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित कर सकता है।
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
  - 3 साल तक का कारावास या ₹50,000 तक का जुर्माना या दोनों।
  - सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकता है।
- द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट
  - 1 साल तक का कारावास या ₹10,000 तक का जुर्माना या दोनों।
  - सामुदायिक सेवा का दंड भी दे सकता है।

धारा 31:→ जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए

प्रत्येक व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य है, जो उसकी सहायता की उचित मांग कर रहा हो –

(क) किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने या उसके भागने को रोकने में,

(ख) शांति भंग की रोकथाम या दमन में;

(ग) किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयास की रोकथाम में।

धारा 34:→ गाँव के मामलों में सूचना देने का कर्तव्य

1. सूचना देने का कर्तव्य

- गाँव के मामलों में नियोजित अधिकारी या निवासी निकटतम मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने को तुरंत सूचना देंगे यदि:
  - चोरी की संपत्ति के कुख्यात विक्रेता या प्राप्तकर्ता का गाँव में निवास हो।
  - डाकू, फरार अपराधी या घोषित अपराधी गाँव में प्रवेश करें या गुजरे।
  - अजमानतीय अपराध या धारा 189 और 191 के तहत दंडनीय अपराध की योजना हो।
  - गाँव में अप्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु हो या शव/शव का भाग मिले।
  - भारत के बाहर ऐसा कार्य हो जो भारत में अपराध होता।
  - कोई ऐसा मामला हो जो व्यवस्था या सुरक्षा पर प्रभाव डाल सकता हो।

नोट:– "गाँव के मामलों के अधिकारी": पंचायत सदस्य, मुखिया या गाँव प्रशासन से जुड़े व्यक्ति होंगे।

धारा 35:→ पुलिस द्वारा बिना वॉरंट गिरफ्तारी के प्रावधान

- गिरफ्तारी के आधार:
  - पुलिस बिना वॉरंट किसी को गिरफ्तार कर सकती है, अगर:
    - उसने पुलिस की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध किया हो।
    - विश्वसनीय सूचना हो या संदेह हो कि उसने 7 वर्ष तक की सजा वाला अपराध किया है।
    - 7 वर्ष से अधिक सजा या मृत्युदंड वाला अपराध किया हो।
    - वह फरार अपराधी हो या चोरी की संपत्ति रखता हो।
    - वह पुलिस के कार्य में बाधा डालता हो या हिरासत से भागा हो।
    - वह सशस्त्र बल का भगोड़ा हो।
    - वह भारत से बाहर किसी दंडनीय अपराध में शामिल हो।
    - अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की मांग की गई हो।
- गिरफ्तारी से पहले नोटिस:
  - यदि गिरफ्तारी की आवश्यकता न हो, तो पुलिस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी।
  - व्यक्ति को नोटिस का पालन करना होगा।
- गिरफ्तारी न करने के प्रावधान:
  - यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
  - 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध के लिए गिरफ्तारी से पहले पुलिस उपाधीक्षक की अनुमति आवश्यक है, खासकर यदि व्यक्ति अशक्त या 60 वर्ष से अधिक उम्र का हो।

धारा 41:→ मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी

- जब कोई अपराध किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया जाता है, तब वह स्वयं अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है, और तब इसमें जमानत के संबंध में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा में सौंप सकता है।
- कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपनी उपस्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है।

धारा 42:→ सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण

- संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी बात के लिए केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग पर लागू होंगे, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों।

धारा 43:→ गिरफ्तारी की प्रक्रिया

- गिरफ्तारी का तरीका:
  - पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्पर्श करेगा या उसे परिरुद्ध करेगा।
  - यदि व्यक्ति समर्पण कर देता है, तो शारीरिक स्पर्श की आवश्यकता नहीं।
  - महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए केवल मौखिक सूचना पर्याप्त है, और पुरुष पुलिस महिला को स्पर्श नहीं करेगा।
- बल प्रयोग:
  - यदि गिरफ्तारी का विरोध किया जाए, तो पुलिस अधिकारी बल प्रयोग कर सकता है।
- हथकड़ी का प्रयोग:
  - गंभीर अपराधियों, आदतन अपराधियों, और विशेष अपराधों में पुलिस हथकड़ी लगा सकती है।
- मृत्यु का अधिकार नहीं:
  - गिरफ्तारी में घातक बल का प्रयोग नहीं होगा, यदि आरोपी मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त न हो।
- महिला की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध:
  - सूर्यास्त से पूर्व और सूर्योदय के बाद महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सिवाय अपवादात्मक परिस्थितियों के।
  - इस हेतु महिला पुलिस अधिकारी को पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

तुलनात्मक अध्ययन : दंड प्रक्रिया संहिता बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा संख्या	धारा का शीर्षक	धारा संख्या	धारा का शीर्षक
			अध्याय 1 (प्रारंभिक)
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2	परिभाषाएँ	2	परिभाषाएँ
——	**नया जोड़ा गया**	2(1)(क)	"श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रॉनिक" (Audio-Video electronic)
——	**नया जोड़ा गया**	2(1)(ख)	"जमानत"
2 (क)	"जमानतीय अपराध"	2(1)(ग)	"जमानतीय अपराध" (Bailable offences)
——	**नया जोड़ा गया**	2(1)(घ)	"जमानतपत्र"
——	**नया जोड़ा गया**	2(1)(ङ)	"बंधपत्र" (Bond)
2 (ख)	"आरोप"	2(1)(च)	"आरोप"
2 (ग)	"संज्ञेय अपराध" UP SI 2021, 30 Nov (II), UPSI Ranker Exam 2011	2(1)(छ)	"संज्ञेय अपराध" (Cognizable offence)
2 (घ)	"परिवाद"	2(1)(ज)	"परिवाद" (Complaint)
——	——	2(1)(झ)	"इलैक्ट्रॉनिक संसूचना"
2 (ङ)	"उच्च न्यायालय"	2(1)(ञ)	"उच्च न्यायालय"
2 (च)	"भारत"	——	विलोपित
2 (छ)	"जाँच"	2(1)(ट)	"जाँच"
2 (ज)	"अन्वेषण" UP SI Ranker Exam-2011	2(1)(ठ)	"अन्वेषण" (Investigation)
2 (झ)	"न्यायिक कार्यवाही"	2(1)(ड)	"न्यायिक कार्यवाही"
2 (ञ)	"स्थानीय अधिकारिता"	2(1)(ढ)	"स्थानीय अधिकारिता" (Local Jurisdiction)
2 (ट)	"महानगर क्षेत्र"	——	विलोपत
2 (ठ)	"असंज्ञेय अपराध"	2(1)(ण)	"असंज्ञेय अपराध"
2 (ड)	"अधिसूचना"	2(1)(त)	"अधिसूचना" (Notification)
2 (ढ)	"अपराध"	2(1)(थ)	"अपराध"
2 (ण)	"पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी"	2(1)(द)	"पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी" (Officer-incharge)
2 (त)	"स्थान"	2(1)(ध)	"स्थान"
2(थ)	"वकील"	——	विलोपित
2(द)	"पुलिस रिपोर्ट"	2(1)(न)	"पुलिस रिपोर्ट"
2(ध)	"पुलिस थाना"	2(1)(प)	"पुलिस थाना"
2(न)	"विहित"	——	**विलोपित**
2(प)	"लोक अभियोजक"	2(1)(फ)	"लोक अभियोजक" (Public prosecutor)
2(फ)	"उपखण्ड"	2(1)(ब)	"उपखण्ड"
2(ब)	"समन-मामला"	2(1)(भ)	"समन-मामला"
2(बक)	"पीड़िता"	2(1)(म)	"पीड़ित"
2(भ)	"वारण्ट मामला"	2(1)(य)	"वारण्ट मामला"
2(म)	शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं	2(2)	शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं
3	निर्देशों का अर्थ लगाना	3	निर्देशों का अर्थ लगाना
4	भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण	4	भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण
5	व्यावृत्ति	5	व्यावृत्ति
			अध्याय 2 (दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन)
6	दंड न्यायालयों के वर्ग	6	दंड न्यायालयों के वर्ग
7	प्रादेशिक खंड	7	प्रादेशिक खंड
8	महानगर क्षेत्र	-	**विलोपित**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	
धारा संख्या	धारा का शीर्षक	धारा संख्या	धारा का शीर्षक
9	सेशन न्यायालय	8	सेशन न्यायालय
10	सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना	–	**विलोपित**
11	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	9	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
12	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि	10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि
13	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
14	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	12	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
15	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	13	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	–	विलोपित
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट	–	विलोपित
18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट	–	विलोपित
19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	–	विलोपित
20	कार्यपालक मजिस्ट्रेट	14	कार्यपालक मजिस्ट्रेट
21	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट	15	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
22	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	16	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
23	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ	17	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
24	लोक अभियोजक	18	लोक अभियोजक
25	सहायक लोक अभियोजक	19	सहायक लोक अभियोजक
25क	अभियोजन निदेशालय	20	अभियोजन निदेशालय
		अध्याय 3 (न्यायालयों की शक्ति)	
26	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं	21	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता	–	**विलोपित**
28	दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे	22	दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे
29	दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे UP SI 2021, 30 Nov III	23	दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे
30	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारवास का दंडादेश	24	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश
31	एक ही विचारण में कई अपराधों लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश	25	एक ही विचारण में कई अपराधों लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश
32	शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग	26	शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग
33	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ	27	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ
34	शक्तियों को वापस लेना	28	शक्तियों को वापस लेना
35	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना	29	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना
		अध्याय 4 (वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता)	
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ	30	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ
37	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेंगी UP SI 2021, 2 Dec (III)	31	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेंगी
38	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है	32	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति का सहायता जो सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है,
39	कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना	33	कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया जाना
40	ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य	34	ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय (Certain) रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य
		अध्याय 5 (व्यक्तियों की गिरफ्तारी)	
41	पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी	35(1)/(2)	पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी
41क	पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने की नोटिस	35(1) से 35 (6)	धारा 35 में समाहित

अभ्यास प्रश्न

1. दंडाधिकारी, जो सी.आरपीसी की धारा 460 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, द्वारा दिए गए आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के बीच संबंध ज्ञात करें।

A. आदेश जारी करने में अनियमितता, कार्यवाही को नहीं रोकती है।

B. दंडाधिकारी द्वारा गलत आदेश सद्भात में पारित किया गया होगा।

(a) A और B सही हैं। B, A के लिए तर्क है।

(b) A और B सही हैं। B, A के लिए तर्क नहीं है।

(c) A और B दोनों गलत हैं।

(d) A सही नहीं है। B, A के लिए प्रासंगिक नहीं है।

Sol. (a) A और B सही हैं, और B, A के लिए तर्क है।

- धारा 460 सीआरपीसी की अनुमति देता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावनापूर्वक लेकिन उचित प्राधिकार के बिना दिए गए आदेश तब तक वैध रहते हैं जब तक कि वे न्याय की विफलता का कारण न बनें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 की धारा 506 में इन प्रावधानों को शामिल किया गया है।

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की निम्नलिखित धाराओं में से कौन-सी धारा पीड़ित मुआवजा योजना से संबंधित है?

(a) धारा 357 A (b) धारा 287 A

(c) धारा 280 A (d) धारा 437 A

Sol. (a) पीड़ित प्रतिकर योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 396 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका उद्देश्य अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास प्रदान करना है। यह धारा पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 357A के अंतर्गत आती थी।

3. CRPC की धारा 145 के तहत, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी), पक्षों को एक विवादित अचल संपति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे।

(A) यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है

(B) यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित हो

(C) यदि विवाद अधिकारों से संबंधित हो

(a) A (b) B और C

(c) B (d) A, B और C

Sol. (a) जब भी एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य जानकारी पर संतुष्ट हो जाता है कि किसी भूमि या पानी या उसकी सीमाओं के संबंध में शांति भंग होने की संभावना है, तो वह अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र में यह आधार बताते हुए लिखित आदेश देगा। (BNSS धारा 164)

4. मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है, उसे ____ के मामले में सर्वोचय न्यायलय द्वारा निर्धारित किया गया था।

(a) खातून बेगम बनाम भारत संध

(b) शायरा बानो बनामा भारत संघ

(c) मो. अहमद बनाम शाह बानों बेगम

(d) जमात-इ-इस्लामी बनाम भारत संघ

Sol. (c) मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से परे भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। यह अहमद बनाम शाह बानो बेगम के मामले में सर्वोचय न्यायलय द्वारा निर्धारित किया गया था। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 में शामिल किया गया है।

5. पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश CRPC की धारा ___ के तहत जारी किए जा सकते है।

(a) 124 (b) 125

(c) 126 (d) 123

Sol. (b) CRPC की धारा 125, पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के रखरखाव के लिए आदेश से संबंधित है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान धारा 144 में दिया गया है।

6. CRPC की धारा _____ के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है।

(a) 91 (b) 101

(c) 90 (d) 100

Sol. (d) CRPC की धारा 100 में बंद स्थान के प्रभारी व्यक्ति को तलाशी की अनुमति देने का प्रावधान है। इसलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को धारा 100 के अधीन तलाशी और जब्ती का अधिकार है।

BNSS की धारा 103 में यह प्रावधान किया गया है।

NHRC के बारे में:

→ NHRC एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 1993 में किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम को दिसंबर 2027 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

7. सीआर.पी.सी. की धारा ___ के तहत एक कार्यकारी दंडाधिकारी के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सत्ता होती है।

(a) 40 (b) 34

(c) 44 (d) 30

Sol. (c) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 44 कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट अक्सर जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट होते हैं। भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता 2023 में इस प्रावधान को धारा 41 में दिया गया है।

अन्य विकल्पों की व्याख्या:

- धारा 40: गिरफ्तारियों में सार्वजनिक सहयोग से संबंधित है। (BNSS धारा 34)
- धारा 34: समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है। (BNSS धारा 28)
- धारा 30: मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सजाओं से संबंधित है। (BNSS धारा 24)

8. पीड़ित प्रतिकर स्कीम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान के तहत बनाई गई थी जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के ____ सिद्धांत का एक प्रकार है।

(a) क्षतिपूर्ति (b) निवारणार्थ

(c) निवारक (d) प्रतिकारात्मक

Sol. (c) पीड़ित मुआवजा योजना अपराध के पीड़ितों को उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्हें नुकसान या चोट पहुंची है और उन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। दंड के निवारक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधियों को दंड देकर अपराध को दोहराने से रोकना है। CRPC में यह प्रावधान धारा 357A में था जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में यह प्रावधान धारा 396 में किया गया है।

3 महिलाओं को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

धारा 1:→ (संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ)

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

नोटः– यह अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ।

अधिनियम से जुड़ी प्रमुख धाराएँ

धारा 2:→ (दहेज की परिभाषा)

दहेज का मतलब है कोई संपति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से:

- विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को; या
- विवाह के किसी पक्षकार के अभिभावक या दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को विवाह के समय या पहले या बाद देने या देने के लिए सहमत होना।
- लेकिन जिन पर मुस्लिम विधि लागू होती है उनके संबंध में **महर दहेज में शामिल नहीं होगा।**

धारा 3:→ (दहेज हेतु दंड)

- दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम **पाँच वर्ष** के कारावास साथ में कम से कम **पंद्रह हजार रुपये** या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है।
- लेकिन शादी के समय वर या वधू को जो उपहार दिया जाएगा और उसे नियमानुसार सूची में अंकित किया जाएगा, वह दहेज की परिभाषा से बाहर होगा।

UP SI (Mains) 2014

धारा 4:→

यदि किसी पक्षकार के माता-पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें **कम से कम छः मास और अधिकतम दो वर्षों** के कारावास की सजा और **दस हजार रुपये** तक का जुर्माना हो सकता है।

धारा 4A :→

किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र-पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव भी दहेज की श्रेणी में आता है तो उसे भी **कम से कम छह मास और अधिकतम पाँच वर्ष** के कारावास की सजा तथा **पंद्रह हजार रूपये** तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 5:→

- दहेज लेने या देने से संबंधित समझौता अमान्य होगा। (UPSI-2021)
- दो व्यक्तियों की सहमति से दहेज लेन-देन संबंधित करार में यह अधिनियम शून्य होगा। (UPSI -2011)

धारा 6:→

यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या औरत के नाबालिक होने की स्थिति में उसके बालिक होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा। यदि महिला की मृत्यु हो गयी हो और संतान नहीं हो तो अभिभावक को दहेज अन्तरण किया जाएगा और यदि संतान है तो संतान को अन्तरण किया जाएगा।

धारा (8):→

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध **अजमानतीय तथा अशमनीय (Non-Bailable & Non compoundable)** होगा।

धारा 8A:→

यदि **घटना से एक वर्ष के अंदर** शिकायत की गयी हो तो **न्यायालय** पुलिस रिपोर्ट या क्षुब्ध द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

धारा 8B:→

दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति **राज्य सरकार** द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कारित करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा।

नोटः– दहेज अपराध की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जायेगी। (UPSI- 2011, 2017)

दहेज के मुकदमे पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को ही है। दहेज के अपराध का संज्ञान या तो मजिस्ट्रेट खुद ले सकता है या वह पुलिस रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों जिनसे अपराध का पता चलता है, के आधार पर या ऐसे व्यक्ति के माता-पिता या अन्य रिश्तेदार द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर या मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्थान या संगठन के द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायत के आधार पर संज्ञान ले सकता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 प्रसव के पहले और बाद में कुछ अवधि के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं की नियुक्ति को विनियमित करता है और मातृत्व एवं अन्य लाभों की व्यवस्था करता है।
- ऐसे लाभों का उद्देश्य महिलाओं और उनके बच्चों का जब वह कार्यरत नहीं रहती है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य रख-रखाव की व्यवस्था करने के द्वारा मातृत्व की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है।
- यह अधिनियम खानों, फैक्टरियों, सर्कस उद्योग, बागान, दुकानों और प्रतिष्ठानों **जो दस या अधिक** व्यक्तियों को कार्य पर लगाते हैं, के लिए प्रयोज्य है। इसमें राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में शामिल कर्मचारी नहीं आते हैं। यह राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों तक विस्तारित किया जा सकता है।
- **श्रम मंत्रालय** में केंद्रीय औद्योगिक एवं संबंध मशीनरी इस अधिनियम को प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- कोई नियोक्ता उसके प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद छः सप्ताह तक किसी प्रतिष्ठान में जान बूझकर महिला को नियुक्त नहीं करेगा।
- कोई महिला अपने प्रसव या गर्भपात के तुरंत बाद छह सप्ताह के दौरान किसी प्रतिष्ठान में कार्य भी नहीं करेगी।
- प्रत्येक महिला का यह हक होगा और उसका नियोक्ता पर यह दायित्व होगा कि औसत दैनिक मजदूरी की दर से उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए उसके प्रसव के दिन सहित इसके तुरन्त पहले और उस दिन के बाद छ. सप्ताह तक के लिए उसे मातृत्व लाभ का भुगतान किया जाएगा।
- **औसत दैनिक मजदूरी** का अर्थ है महिला की मजूदरी का औसत मातृत्व के कारण जिस दिन से वह अनुपस्थित रहती है उसके तुरन्त पहले तीन कैलेण्डर माहों की अवधि के दौरान उसके कार्य किया है उन दिनों के लिए भुगतान योग्य मजदूरी या दिन का एक रुपया, जो भी अधिक हो।
- कोई भी महिला तब तक मातृत्व लाभ की हकदार नहीं होगी जब तक कि उसने वास्तव में नियोक्ता के प्रतिष्ठान में जिससे वह मातृत्व लाभ का दावा करती है, आशयित प्रसव के तुरंत पहले बारह माहों में कम से कम 160 दिनों की अवधि के लिए कार्य किया हैं।

- अधिकतम अवधि जिसके लिए महिला मातृत्व लाभ के लिए हकदार होगी वह बारह सप्ताहों के लिए होगी अर्थात उसके प्रसव का दिन सहित पहले छः सप्ताह तक तथा उस दिन के तुरंत बाद छः सप्ताह।
- मातृत्व लाभ के लिए हकदार महिला की सामान्य और साधारण दैनिक मजदूरी से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।
- जब किसी अवधि के लिए महिला अनुपस्थित होने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा अनुमति होने के बाद किसी प्रतिष्ठान में कार्य करती है उस अवधि के लिए मातृत्व लाभ का दावा वह नहीं करेगी।
- यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के प्रावधानों का या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास की सजा हो सकती है या जुर्माना या दोनों हो सकता है या किसी अन्य राशि संबंधी भुगतान का और ऐसे मातृत्व लाभ का या राशि पहले ही वसूली न की गई है तो इसके साथ अदालत ऐसे मातृत्व लाभ या राशि, मानो वह जुर्माना हो, वसूल कर सकता है और हकदार व्यक्ति को इसका भुगतान कर सकता है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2016

- संशोधित विधेयक में नौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 से बढ़ाकर **26 हफ्ते** कर दी गई है। विधेयक में **अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से आठ हफ्ते** पहले लिया जा सकता है। 1961 के मूल कानून में यह अवधि छह हफ्ते की थी। अगर महिला के दो से अधिक बच्चें हैं तो उसे केवल 12 हफ्ते का ही अवकाश मिलेगा। इसका लाभ प्रसव की संभावित तारीख से छह हफ्ते पहले ही उठाया जा सकता है। मूल कानून में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई थी।
- संशोधित विधेयक में कई नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इनमें ऐसी महिलाओं को जिन्होंने **तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद** लिया हो, उन्हें **12 हफ्ते** का लाभ दिया जाएगा। साथ ही **सरोगेसी** के जरिये संतान सुख पाने वाली महिला को भी इतने ही हफ्ते का लाभ दिया जाएगा। यह अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जब बच्चे को गोद लिया गया हो, सरोगेसी के जरिये संतान पाने वाली महिला को बच्चा सौंपा गया हो।
- संशोधित विधेयक में **50 या इससे अधिक कर्मचारियों** वाले संस्थानों में **क्रेच** (शिशुगृह)की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है। साथ ही, उन्हें महिलाओं को दिन में चार बार क्रेच जाने की सुविधा देने को भी कहा गया है। नए विधेयक में काम की प्रकृति इजाजत दे तो महिलाओं को घर से काम करने की भी सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे महिला कर्मचारी को नियुक्ति के समय मातृत्व लाभ के बारे में जानकारी लिखित और ई-मेल (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम) के रूप में उपलब्ध कराएं।

अधिनियम से संबंधित तथ्य

- 10 अगस्त, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 के जरिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधनों को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत माँ बनने पर बच्चे की देखभाल के लिए महिलाओं को पूर्ण वेतन के साथ ही अवकाश का भी प्रावधान किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी रोजगार प्रतिष्ठानों पर लागू है।
- इस अधिनियम में संशोधन के पश्चात् संगठित क्षेत्र में 18 मिलियन (180 लाख) कार्यरत महिला कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा।
- इस संशोधन विधेयक के संसद के पास होने के उपरांत दो बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और दो से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दिया जाएगा।
- इस दौरान माँ को घर से कार्य करने की सुविधा का प्रावधान है।
- इस विधेयक के तहत यदि कोई महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे भी 12 सप्ताह का अवकाश प्रदान किया जाएगा।
- इस विधेयक में 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशुगृह (क्रेच) की स्थापना के प्रावधान को अनिवार्य कर दिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि 44वें, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में मातृत्व लाभ हेतु वृद्धि 24 सप्ताह करने की सिफारिश की गई थी।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

गर्भ समापन कानून

सन् 1971 में चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून बनाया गया तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इस कानून के अंतर्गत महिलाएँ कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी से भी चिकित्सा केंद्र में अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकती है। गर्भ-समापन के लिये घर के किसी सदस्य की लिखित इजाजत की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं अथवा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, लेकिन जो पागल हो, को माता-पिता या पति (यदि कोई नाबालिक लड़की की शादी हो गई हो) की लिखित इजाजत की ज़रूरत होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का केवल स्वयं की लिखित स्वीकृति ही देनी जरूरी है।

गर्भ समापन की परिस्थितियाँ

➤ यदि चिकित्सा व्यवसायी ने सद्भावना पूर्वक यह राय कायम की हो कि गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति का जोखिम होगा अथवा

➤ यदि इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो, तो वह गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

सेवाएँ कहाँ व किससे

- केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही गर्भ समापन सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान में स्नातकोतर डिग्री प्राप्त कर चुका हो।
- प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान के व्यवसाय में तीन वर्ष का अनुभव हो।
- वे डॉक्टर जिन्होंने प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान में छः महीने तक हाउस जॉब किया हो या अधिकृत अस्पताल में गर्भ समापन का प्रशिक्षण लिया हो।

सेवाएँ निःशुल्क एवं गोपनीय

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में अधिकृत डॉक्टर द्वारा गर्भ समापन सेवायें निःशुल्क हैं। इन केंद्रों में गर्भ समापन संबंधी रिकॉर्ड गोपनीय रखे जाते हैं।

गर्भपात और जरूरी सावधानियाँ

- चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 एवं संशोधित अधिनियम, 2002 के अनुसार इस कानून का उल्लंघन करने पर **2 से 7 वर्ष** तक की सजा का प्रावधान है। कुछ परिस्थितियाँ जिन्हे अधिनियम के अंतर्गत कानून का उल्लंघन माना गया है, निम्न प्रकार है-
- गैर पंजीकृत चिकित्सक द्वारा समापन का कार्य किया जाना।
- सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अधिकृत चिकित्सा केंद्रों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर गर्भ समापन।

कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान

अपराध से जुड़े कानूनी प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत प्रावधान: भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात करता है जब तक कि कोई इसे सदिच्छा से नहीं करता है और गर्भावस्था का जारी रहना महिला के जीवन के लिए खतरनाक न हो, उसे **सात साल** की कैद की सजा दी जाएगी।

अभ्यास प्रश्न

1. दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए, महिला की मृत्यु .... के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए।

(a) विवाह के 5 वर्ष (b) विवाह के 2 वर्ष
(c) विवाह के 7 वर्ष (d) विवाह के 1 वर्ष

Sol. (c) यदि किसी महिला की मृत्यु किसी भी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या शादी के 7 साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अलग होती है और यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पहले उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था, तो यह दहेज हत्या का अपराध होगा।

2. कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, उसका _____ है।

(a) वित्तीय दायित्व (b) आपराधिक दायित्व
(c) नागरिक दायित्व (d) कोई दायित्व नहीं

Sol. (d) कानून का उद्देश्य लोगों को घरेलू हिंसा के मामलों की रिपोर्ट सद्भावनापूर्वक संबंधित संरक्षण अधिकारियों को करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे व्यक्ति पर कोई दायित्व नहीं होता।

3. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत 'घरेलू हिंसा' की परिभाषा में ________ शामिल नहीं होगा।

(a) सामाजिक शोषण (b) शारीरिक शोषण
(c) आर्थिक शोषण (d) यौन शोषण

Sol. (a) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आर्थिक दुर्व्यवहार को कवर करता है, लेकिन सामाजिक शोषण घरेलू हिंसा की परिभाषा के तहत नहीं आता है। (धारा 3)

4. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत, एक महिला जो तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेती है, वह बच्चे को उसे सौंपे जाने की तारीख से _____ की अवधि के लिए मातृत्व लाभ की हकदार होती है।

(a) छह महीने (b) बारह सप्ताह
(c) एक वर्ष (d) छह सप्ताह

Sol. (b) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के साथ-साथ बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। गोद लेने के मामले में महिला को बच्चे को सौंपे जाने की तारीख से 12 सप्ताह का सवेतन अवकाश मिलता है।

5. यदि एक मुस्लिम महिला का पति ____ की अवधि तक विक्षिप्त (पागल) रहता है, तो विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत वह महिला तलाक की याचिका दायर कर सकती है।

(a) 2 वर्ष (b) 4 वर्ष
(c) 3 वर्ष (d) 5 वर्ष

Sol. (a) मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक के कुछ आधार।

- पति 4 साल से अनुपस्थित है।
- पति ने 2 साल से पत्नी के भरण-पोषण का प्रबंध नहीं किया है।
- पति 7 साल या उससे अधिक समय से जेल में बंद है

6. आपसी सहमति से तलाक, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की _____ के तहत आता है।

(a) धारा 14 (b) धारा 5
(c) धारा 13 (d) धारा 13 B

Sol. (d) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B विवाह के दोनों पक्षों को आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देती है। याचिका दायर होने के 6 महीने से 18 महीने के अंदर अदालत तलाक का फैसला करेगी।

7. 'तलाक-ए-बिद्दत'-तीन तलाक की प्रथा को _____ के मामले में अलग रखा गया था।

(a) शबनम हाशमी बनाम भारत संघ
(b) शायरा बानो बनाम भारत संघ
(c) जुबैर अहमद बनाम इशरत बानो
(d) सरला मुद्गल बनाम भारत संघ

Sol. (b) शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया तथा यह महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन करता है।

8. प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 का अर्थ ____________ से है।

(a) अवांछित गर्भधारण का शीघ्र गर्भपात सुनिश्चित करने
(b) प्रसव पूर्व आनुवंशिक दोषों के शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करने
(c) समय से पहले जन्म से जुड़ी जटिलताओं को रोकने से
(d) कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगान

Sol. (d) प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1994 को लिंग निर्धारण और उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या के लिए प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

- इसका उद्देश्य अजन्मी लड़कियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इन तकनीकों के दुरुपयोग को विनियमित और रोकना है।

9. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 को _____ के अपराध से निपटने के लिए अधिनियम किया गया था।

(a) कन्या भ्रूण हत्या (b) बाल तस्करी
(c) शिशुहत्या (d) मानव तस्करी

Sol. (a) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया भारत की संसद का एक अधिनियम है।

10. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 _____ पर लागू होता है।

(a) केवल संगठित क्षेत्र
(b) न तो संगठित क्षेत्र और न ही असंगठित क्षेत्र
(c) संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों
(d) केवल असंठित क्षेत्र

Sol. (c) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है। इसे 2012 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

4 बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, (पॉक्सो अधिनियम)

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (धारा 1):→

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 है।
- इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय और 46 धाराएँ हैं।

परिभाषाएँ (धारा 2):→

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:-

- **"बालक"** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु **अठारह वर्ष** से कम है;
- **"साझी गृहस्थी"** से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति, बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय पर रह चुका है;

अध्याय-2 (बालक के विरुद्ध लैंगिक अपराध)

प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3):→

कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह–

- अपना लिंग, किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
- किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है।

प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड (धारा 4):→

- जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि **दस वर्ष** से कम की नहीं होगी किन्तु जो **आजीवन कारावास तक** की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- जो कोई **सोलह वर्ष से कम** आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि **बीस वर्ष** से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 5):→

(क) जो कोई, पुलिस अधिकारी होते हुए, किसी बालक पर:-
- पुलिस थाने या ऐसे परिसरों की सीमाओं के भीतर जहाँ उसकी नियुक्ति की गई है; या
- किसी थाने के परिसरों में, चाहे उस पुलिस थाने में अवस्थित हैं या नहीं जिसमें उसकी नियुक्ति की गई है; या
- अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या
- जहां वह, पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,
- प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ख) जो कोई सशस्त्र बल या सुरक्षा बल का सदस्य होते हुए बालक पर,:-
- ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जिसमें वह व्यक्ति तैनात है; या
- बलों या सशस्त्र बलों की कमान के अधीन किन्हीं क्षेत्रों में; या
- अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अन्यथा; या
- जहां उक्त व्यक्ति, सुरक्षा या सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो,
- प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या

(ग) जो कोई लोक सेवक होते हुए, किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
- जो कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, संरक्षण गृह, संप्रेक्षण गृह या और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारिवृंद संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
- जो कोई, किसी अस्पताल, चाहे सरकारी या प्राइवेट हो, का प्रबंधक या कर्मचारिवृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
- जो कोई, किसी शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संस्था का प्रबंध या कर्मचारिवृंद होते हुए उस संस्था में किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है; या
- जो कोई, किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड (धारा 6):→

जो कोई, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित किया जाएगा।

लैंगिक हमला और उसके लिए दंड

- **लैंगिक हमला (धारा 7):** जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतग्रस्त होता है, लैंगिक हमला कहा जाता है।
- **लैंगिक हमले के लिए दंड (धारा 8):** जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष से कम की नहीं** होगी किन्तु जो **पांच वर्ष तक** की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
- **गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड (धारा 10):** जो कोई, गुरुतर लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि **पाँच वर्ष से कम की नहीं** होगी किन्तु जो **सात वर्ष तक** की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड

- **लैंगिक उत्पीड़न (धारा 11):** कोई व्यक्ति, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करता है, यहा कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति लैंगिक आशय से–
  - कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करता है कि बालक द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाएगी या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाएगा; या
  - किसी बालक को उसके शरीर या उसके शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करवाता है जिससे उसको ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखा जा सके;

- अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक को कोई वस्तु दिखाता है; या
- अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (धारा 12):→

जो कोई, किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष तक** की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अध्याय-3

(अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके दंड)

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा 13):→

जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के किसी प्रारूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

- किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;
- किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में
- किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना,
  वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड (धारा 14):→

- जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि **पांच वर्ष से कम की नहीं** होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।
- दूसरे या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि **सात वर्ष** से कम की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा।

बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड (धारा 15):→

कोई भी व्यक्ति, जो बालक संबंधी अश्लील सामग्री को साझा या प्रेषित करने के आशय से किसी बालक को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारकरण करता है वह **पाँच हजार रूपए** से अन्यून के जुर्माने से और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में ऐसे जुर्माने से, जो **दस हजार रूपए** से कम का दायी नहीं होगा।

अध्याय-4

(दुष्प्रेरण और किसी अपराध को कारित करने का प्रयास)

अपराध का दुष्प्रेरण (धारा 19):→

कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण निम्न प्रकार से कर सकता है– (a) उकसाने द्वारा, या (b) षडयंत्र द्वारा, या (c) सहायता द्वारा।

दुष्प्रेरण के लिए दंड (धारा 19):→

जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है तो वह उस दंड से दंडित किया जायेगा जो उस अपराध के लिए उपवजित है।

अध्याय-5 (मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रिया)

अपराधों की रिपोर्ट करना (धारा 19):→

कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत बालक भी है) जिसको यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है वह **पुलिस/विशेष किशोर पुलिस यूनिट** निम्नलिखित को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा:

- जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है तब रिपोर्ट के **चौबीस घंटे के भीतर** कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसको यथाविहित ऐसी देखरेख और संरक्षण में रखने की तुरन्त व्यवस्था करेगी।
- विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किन्तु **चौबीस घंटे की अवधि के भीतर** मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को रिपोर्ट करेगी, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में किए गए उपाय भी हैं।

मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड (धारा 21):→

- कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो **छह मास तक** का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
- किसी कंपनी या किसी संस्था का भारसाधक कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो **एक वर्ष तक** का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- यह उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी **बालक को** लागू नहीं होंगे।

मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड (धारा 22):→

कोई व्यक्ति किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, उद्दापित करने या धमकाने या उसकी मानहानि करने के एकमात्र आशय से मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराएगा, वह ऐसे कारावास से, जो **छह मास तक** का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

मीडिया के लिए प्रक्रिया (धारा 23):→

- किसी मीडिया में कोई रिपोर्ट, बालक की पहचान को, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता, फोटोचित्र, परिवार के ब्यौरे, विद्यालय, पड़ोस या कोई ऐसी अन्य विशिष्टियाँ भी हैं, जिनसे बालक की पहचान का प्रकटन होता हो, प्रकट नहीं करेगी:
- कोई व्यक्ति जो उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किए जाने के लिए दायी होगा।

अध्याय-6 (बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया)

बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना (धारा 24):→

- बालक के कथन को, बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर या उसके पसंद के स्थान पर और उप-निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
- बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय **पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा।**
- किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।
- पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित न किया गया हो।

5 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित प्रावधान

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (धारा 1):→

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- यह अधिनियम **11 सितंबर 1989** को अधिनियमित एवं **30 जनवरी 1990** से लागू हुआ है।

परिभाषाएँ (धारा 2):→

- इस अधिनियम में, कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं-
- **'अत्याचार'** से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;
- **"आश्रित"** से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता-पिता, भाई और बहिन अभिप्रेत है जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण-पोषण के लिए पूर्णत: या मुख्यत: आश्रित हैं।
- **"वन अधिकार"** का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 में है।
- **"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों"** के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 में हैं।
- **"विशेष न्यायालय"** से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है।
- **"सामाजिक बहिष्कार"** से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करने से इंकार करना अभिप्रेत हैं।
- **"पीड़िता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 2 के अधीन ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है।
- **"साक्षी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्वलित किसी दाण्डिक कार्य के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है।

अध्याय-2 (अत्याचार के अपराध)

अत्याचार के अपराधों के लिए दंड (धारा 3):→

गैर अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा किए गए अत्याचार धारा 3(1):→

धारा 3(1) में यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित नहीं है, यदि वह जानबूझकर किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ निम्न कार्य करता है, तो उसे अत्याचार का दोषी माना जाएगा।

मुख्य बिंदु

- SC/ST व्यक्ति को उनके **मकान या गाँव से निकालना, उन्हें पीने का पानी या खाना लेने से रोकना**।
- सार्वजनिक स्थानों जैसे- कुआँ, जलस्रोत, मंदिर, होटल आदि में प्रवेश या उपयोग से रोकना।
- SC/ST के किसी व्यक्ति को **गालियाँ देना, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग** करना।
- किसी SC/ST व्यक्ति की पहचान को नीचा दिखाना **या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना।**
- जबरन मजदूरी करवाना, जैसे- **कूड़ा उठवाना, जूते पॉलिश करवाना**, या अन्य अपमानजनक कार्य।
- SC/ST व्यक्ति को उसके **खेत या भूमि से बेदखल** करना या जबरन फसल काट लेना।
- उन्हें उनके घर या खेती से हटाकर खुद उपयोग करना।
- किसी **धार्मिक या सामाजिक स्थान पर उनके प्रवेश का विरोध** करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें नीचा दिखाना, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों पर।
- **जातिगत घृणा फैलाना** - जैसे कि पोस्टर, लेख, भाषण, चित्र आदि द्वारा।
- किसी भी प्रकार की **सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार** करना, धमकी देना या दबाव डालना। **वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।**

  इस धारा का उद्देश्य है SC/ST समुदाय के सदस्यों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना और उन्हें किसी भी प्रकार के जातिगत उत्पीड़न से सुरक्षा देना।

गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड धारा 3(2):→

धारा 3(2) विशेष रूप से उन अपराधों के लिए है जो अत्यधिक गंभीर होते हैं, जैसे- हत्या, गंभीर चोट, झूठे आरोपों में फँसाना आदि। यह केवल तभी लागू होती है जब अपराध किसी SC/ST व्यक्ति के खिलाफ हो और अपराधी SC/ST समुदाय से न हो।

मुख्य उपबिंदु:

- यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे SC/ST सदस्य की **मृत्यु** हो जाए या उसे **गंभीर चोट** पहुँचे तो अपराधी को **मृत्युदंड या आजन्म कारावास** की सजा हो सकती है।
- अगर कोई व्यक्ति SC/ST के खिलाफ **झूठा केस** दर्ज करवाता है जिससे उसे **7 साल या अधिक की सजा** हो सकती है तो यह अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को **न्यूनतम 6 मास एवं 7 वर्ष और उससे अधिक की सजा** और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- **झूठे सबूत देना या गवाही** देकर किसी SC/ST व्यक्ति को फँसाना।
- अगर कोई व्यक्ति **आग या विस्फोटक पदार्थ** का उपयोग इस इरादे से करता है कि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचे, तो उसे जेल की **सजा** होगी, जो **छह महीने से कम नहीं होगी और सात साल तक** हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लगेगा। यह एक दंडनीय अपराध है।
- अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणत: **पूजा के स्थान** के रूप में या **मानव आवास** के स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है वह **आजीवन कारावास** से, और जुर्माने से दंडनीय होगा।
- दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह **आजीवन कारावास** से, और जुर्माने से दंडनीय होगा।
  - **लोक सेवक** होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि **एक वर्ष** से कम की नहीं होगी, दंडनीय होगा।

कर्त्तव्य उपेक्षा के लिए दंड (धारा 4):→

कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि **छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक** की हो सकेगी, दंडनीय होगा। (UPSI 2021-1st shift), UP SI 2011, Ranker Exam)

लोक सेवक के कर्त्तव्य

- पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना।
- शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्टर करना
- सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत देना।
- पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना।
- अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोपपत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए वर्धित दण्ड (धारा 5):⟶

कोई व्यक्ति जो पहले दोषसिद्ध हो चुका हो, दूसरे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, दण्डनीय होगा।

(UPSI 2021- 23 Nov III[rd] shift)

संपत्ति का समर्पण (धारा 7):⟶

- यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाता है, और यह साबित होता है कि अपराध के लिए किसी संपत्ति (जैसे- वाहन, घर, जमीन आदि) का उपयोग हुआ, तो विशेष न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वह संपत्ति सरकार को समर्पित कर दी जाए।
- इसके अंतर्गत चल और अचल संपत्ति दोनों आ सकती हैं।
- न्यायालय, अपराध के दौरान ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का भी आदेश दे सकता है।

उपधारणाएँ (Presumptions) (धारा 8):⟶

- यदि किसी मामले में यह सिद्ध होता है कि कोई अपराध SC/ST व्यक्ति के विरुद्ध हुआ है, और आरोपित उस व्यक्ति से परिचित था, तो यह माना जाएगा कि अपराध जातीय कारणों से किया गया जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो।

राज्य सरकार की शक्तियाँ (धारा 9):⟶

- राज्य सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए:
  - विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है,
  - विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है,
  - नियम बना सकती है,
  - और उचित प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर सकती है।

अध्याय-3 (निष्कासन)

संभावित अपराधी को क्षेत्र से हटाना (धारा 10):⟶

- यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति अपराध करने की प्रवृत्ति रखता है और उसकी गतिविधियाँ शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं, तो:
  - उसे नोटिस देकर कारण पूछा जाता है कि क्यों न उसे जिले से निष्कासित कर दिया जाए।
  - यदि व्यक्ति उचित जवाब नहीं देता या जवाब असंतोषजनक होता है, तो उसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए किसी विशेष क्षेत्र (जिला या सीमावर्ती क्षेत्र) से निष्कासित किया जा सकता है।
  - यह आदेश लिखित रूप में होता है और इसमें यह भी निर्देश दिया जा सकता है कि वह व्यक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

हटाए गए व्यक्ति की वापसी पर प्रक्रिया (धारा 11):⟶

- यदि निष्कासित किया गया व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के उस क्षेत्र में वापस आता है, तो:
  - उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
  - इस गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती।
  - यह एक संघन निगरानी तंत्र का भाग है ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

हटाए गए व्यक्ति का फोटो और माप लेना (धारा 12):⟶

- जब किसी व्यक्ति को निष्कासित किया जाता है:
  - तो उसके फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स और अन्य शारीरिक माप लिए जाते हैं।
  - इन विवरणों को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है ताकि निगरानी की जा सके।
- इसका उद्देश्य यह है कि यदि वह व्यक्ति अवैध रूप से क्षेत्र में प्रवेश करे, तो उसकी पहचान तुरंत हो सके।

आदेश की अवहेलना पर सजा (धारा 13):⟶

- यदि कोई व्यक्ति निष्कासन आदेश का उल्लंघन करता है:
  - तो उसे 1 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
  - यह एक दंडात्मक प्रावधान है जिससे कानून की गंभीरता को बनाए रखा जाए।

अध्याय-4 (विशेष न्यायालय)

विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय (धारा 14):⟶

- शीघ्र विचारण के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी।
- परन्तु ऐसे जिलों में जहां कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति की सहमति से, ऐसे जिलों के लिए सेशन न्यायालयों को, विशेष न्यायालय होना विनिर्दिष्ट करेगी:
- राज्य सरकार का, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन मामले, यथासंभव, दो मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं, पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा।

अपीलें (धारा 14 क):⟶

- किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी।
- प्रत्येक अपील, ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख, से जिसके अपील की गई है, नब्बे दिन के भीतर की जाएगी:
- परंतु कोई भी अपील, एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ग्रहण नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक अपील का निपटारा, यथासंभव, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक (धारा 15):⟶

राज्य सरकार, प्रत्येक विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय के लिए द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

पीड़िता और साक्षी के अधिकार (धारा 15 क):⟶

- राज्य का हिंसा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करने का कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा।
- पीड़िता से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाएगा।
- किसी पीड़ित या उसके आश्रित को, किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा।
- इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, पीड़ित, उसके, आश्रित, इत्तिला देने वाले या साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा,-
- न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण:
- अन्वेषण, जाँच और विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण-पोषण व्यय;
- अन्वेषण, जाँच और विचारण के दौरान सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास; और

6 पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण तथा वन्य जीव संरक्षण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- इस अधिनियम में **4 अध्याय** एव **26** धाराएँ हैं।
- यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू हैं।

संक्षिप्त नाम और विस्तार धारा 1:→

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएँ धारा 2:→

इस अधिनियम में, "पर्यावरण" के अंतर्गत जल, वायु और भूमि हैं और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्मजीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है; (UP SI 2021, 28 Nov III shift)

- **"पर्यावरण प्रदूषक"** से ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है, जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है।
- **"पर्यावरण प्रदूषण"** से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है।
- किसी पदार्थ के संबंध में, **"हथालना"** से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसी ही संक्रिया अभिप्रेत है।
- **"परिसंकटमय पदार्थ"** से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक-रासायनिक गुणों के या हथालने के कारण मानवों, प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानिकर सकती है;
- **"अधिष्ठाता"** से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है।

केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ

धारा 3:→

केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति

1. केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो वह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक समझे।
2. ऐसे उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपाय हो सकेंगे, अर्थात्

- राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों की कार्रवाइयों का समन्वय
- पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको निष्पादित करना।
- पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक बनाना।
- विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सारण के मानक बनाना।
- दुर्घटनाओं के निवारण के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय करना।
- परिसंकटमय पदार्थों को हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय करना
- ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री और पदार्थों की परीक्षा करना जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है।
- पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना।
- किसी परिसर, संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, विनिर्माण या अन्य प्रक्रिया सामग्री या पदार्थों का निरीक्षण करना। ऐसे प्राधिकरणों, अधिकारियों या व्यक्तियों को, आदेश देना जो वह पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए कार्रवाई करने के लिए आवश्यक समझे।
- पर्यावरण प्रयोगशालाओं और संस्थाओं की स्थापना करना या मान्यता देना।
- पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विषयों की बाबत जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएँ, संहिताएं या पथप्रदर्शिकाएँ तैयार करना।

अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य धारा 4:→

- केंद्रीय सरकार, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियाँ और कृत्य सौंप सकेगी जो वह ठीक समझे।
- नियुक्त अधिकारी, केंद्रीय सरकार के या तो प्राधिकरण या प्राधिकरणों, के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन होंगे।

निदेश देने की शक्ति धारा 5:→

- केंद्रीय सरकार के अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को निदेश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील धारा 5क:→

- कोई व्यक्ति जो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् किन्हीं निदेशों से व्यथित है, वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, अपील फाइल पर सकेगा। (UP SI 2021, 21 Nov Ist shift)

पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम धारा 6:→

केंद्रीय सरकार, धारा 3 में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों की बाबत नियम बना सकेगी। ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्–

- विभिन्न क्षेत्रों और प्रयोजनों के लिए वायु, जल या मृदा की गुणवत्ता के मानक
- भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न पर्यावरण प्रदूषकों की (जिनके अंतर्गत शोर भी है) सांद्रता की अधिकतम सीमा;
- परिसंकटमय पदार्थों के हथालने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय;
- भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परिसंकटमय पदार्थों के हथालने पर प्रतिषेध और निर्बन्धन
- भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रक्रिया और संक्रियाएं चलाने वाले उद्योगों के अवस्थान पर प्रतिषेध और निर्बन्धन;
- ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है और ऐसी दुर्घटनाओं के लिए उपचारी उपायों का उपबंध करने के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय।

पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन

उद्योग चलाने, संक्रिया, आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना (धारा 7):→

कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई उद्योग चलाता है, निर्धारित मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा।

परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन किया जाना (धारा 8):→

कोई व्यक्ति किसी परिसंकटमय पदार्थ को निर्धारित प्रक्रिया और रक्षोपायों का अनुपालन करने के पश्चात् ही, हथालेगा अन्यथा नहीं।

कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना (धारा 9):→

- जहाँ किसी दुर्घटना या अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण किसी पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन विहित मानकों से अधिक होता है या होने की आशंका है वहां ऐसे उत्सर्जन के लिए उत्तरादायी व्यक्ति पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उत्तरदायी होगा और प्राधिकारणों या अभिकरणों को ऐसी घटना के तथ्य की जानकारी तुरंत देगा।
- किसी घटना के तथ्य की या उसकी आशंका के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर, प्राधिकरण या अभिकरण, शीघ्र, ऐसे उपचारी उपाय कराएंगे जो पर्यावरण प्रदूषण का निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक हैं।

इस प्रकार सुरक्षा हेतु हुए व्यय की पूर्ति संबंधित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण या अभिकरण को की जाएगी। भुगतान में देरी होने पर ब्याज भी देय होगा।

प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ (धारा 10):→

- केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश व उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी।
- यदि कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को, उसके कृत्यों के निर्वहन में जानबूझकर बाधा पहुंचाएगा तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया धारा (11):→

- केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को पूर्व निर्धारित तरीके से किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूने लेने की शक्ति होगी।
- नमूनों को सील बंद किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अभिकर्ता या व्यक्ति दोनों हस्ताक्षर करेंगे।
- नमूनों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को अविलंभ भेजा जाएगा।

पर्यावरण प्रयोगशालाएँ (धारा 12):→

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी। (UP SI 2021 2 Dec, II shift)

सरकारी विश्लेषक (धारा 13):→

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास विहित अर्हताएँ हैं, नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी।

सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टें (धारा 14):→

सरकारी विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट का किसी कार्यवाही में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति (धारा 15):→

- कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है उसे पांच वर्ष तक की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते है। यदि पुनः उल्लंघन किया जाता है तो दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक दिन जब तक उल्लंघन चालू रहता है, पाँच हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि उल्लंघन दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात्, एक वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी सात वर्ष तक कारावास से दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध (धारा 16):→

जहाँ कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के बराबर के संचालन के लिए उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे।

(UP SI 2021, 30 Nov. II shift)

सरकारी विभागों द्वारा अपराध (धारा 17):→

जहाँ कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहाँ विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण (धारा 18):→

इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्ण की गई विधिक कार्रवाई, सरकार या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा किसी प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी।

अपराधों का संज्ञान (धारा 19):→

- कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान तभी करेगा, जब
- केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी परिवाद करे।
- कोई अन्य व्यक्ति द्वारा, परिवाद करने के अपने आशय की सूचना विहित रीति से, कम से कम साठ दिन पूर्व केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत प्राधिकरण को दी है।

धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना (धारा 21):→

धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण, सभी अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन निर्देश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

अधिकारिता का वर्जन (धारा 22):→

किसी सिविल न्यायालय को, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के संबंध में की गई किसी कार्रवाई या निकाले गए आदेश संबंध में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

प्रत्यायोजन करने की शक्ति (धारा 23):→

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों को किसी अधिकारी, राज्य सरकार या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

अन्य विधियों पर प्रभाव (धारा 24):→

इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध किसी अन्य अधिनियम से भिन्न होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति (धारा 25):→

केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना (धारा 26):→

इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीन दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी।

भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर कानूनों की सूची

पर्यावरण कानून	विधान वर्ष
भारतीय मत्स्य अधिनियम	1897
नदी बोर्ड अधिनियम	1956
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम	1972
जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	1974
वन (संरक्षण) अधिनियम एवं नियम	1980
वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम	1981
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	1986
राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम	1995
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम	1998
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) नियम	2002
जैविक विविधता अधिनियम	2002

अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा .... के तहत किया गया था।

(a) Section 13/धारा 13

(b) Section 5 A/धारा 5 A

(c) Section 2 A/धारा 2 A

(d) Section 10/धारा 10

Sol. (b) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

2. भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना ---------- के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है।

(a) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

(b) वन संरक्षण अधिनियम, 1980

(c) भारतीय वन अधिनियम, 1927

(d) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

Sol. (a) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी।

3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, 'बंदी पशु' का अर्थसूची I,II,III या IV में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो ___ है।

A) पकड़ा गया

B) कैद में रखा गया

C) कैद में प्रजनित

(a) A, B और C (b) B और C

(c) C (d) A

Sol. (a) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2(11) के अनुसार, "बंदी पशु (Captive Animal)" का अर्थ है: वह वन्य पशु जो किसी प्राकृतिक आवास (जैसे जंगल) में न रहकर किसी मनुष्य के नियंत्रण में होता है, जैसे: चिड़ियाघर में रखे गए जानवर, सर्कस में इस्तेमाल होने वाले जानवर, पालतू बनाए गए वन्य पशु आदि।

4. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की ____ के तहत अपने कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है।

(a) धारा 21 (b) धारा 33

(c) धारा 30 (d) धारा 20

Sol. (d) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 20 राज्य बोर्ड को निम्नलिखित की शक्ति प्रदान करती है:

- सर्वेक्षण करना
- वर्षा मापना
- भूमि का निरीक्षण करना

5. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश या निर्णय से व्यथित व्यक्ति सीधे ____ से संपर्क कर सकता है।

(a) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (b) उच्च न्यायालय

(c) उच्चतम न्यायालय (d) जिला न्यायालय

Sol. (a) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना एनजीटी अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी। इसमें जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्रदूषण केंद्रीय बोर्डों के आदेशों से उत्पन्न आवेदनों को सुनने और निपटाने की शक्ति है।

6. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 के तहत, खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी .... है।

(a) न्यायाधीश (b) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(c) जिला कलेक्टर (d) पुलिस

Sol. (c) 1991 का सार्वजनिक दायित्व कानून अनिवार्य देयता बीमा को नियंत्रित करता है। कानून के तहत, कंपनियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत रिपोर्ट की गई खतरनाक सामग्रियों को स्थापित करने और संभालने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

यह मूल रूप से कोर्ट कानून का एक हिस्सा है, जो नागरिक कानून के कदाचार पर केंद्रित है। आवेदक (घायल पक्ष) आमतौर पर लापरवाही और/या क्षति के कारण सामान्य कानून के अनुसार आरोपी (मालिक या दोषी) पर मुकदमा करते हैं। इस तरह के दावे का सत्यापन प्राधिकारी जिला कलेक्टर है।

7. पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को .... कहा जाता है।

(a) पर्यावरण प्रदूषण

(b) वायु प्रदूषण

(c) पर्यावरणीय प्रदूषक

(d) जल प्रदूषण

Sol. (c) पर्यावरण में किसी भी प्रकार का द्रव्य (ठोस, द्रव, गैस) या अन्य कोई प्रकार से जैसे मोटर वाहन द्वारा प्रदूषण फैलता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते है।

8. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 __________ द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

(a) सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1981

(b) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

(c) वायु अधिनियम, 1981

(d) वायु अधिनियम, 1972

Sol. (b) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 द्वारा शासित हैं।

- यह केंद्र सरकार को परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के आधार पर ध्वनि प्रदूषण को विनियमित करने का अधिकार देता है।
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981: खतरनाक सामग्री दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करता है।
- वायु अधिनियम, 1981: वायु प्रदूषण, विशेष रूप से औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करता है।

7 मानव अधिकार एवं जनहित याचिका

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

यह मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने के लिए अधिनियम है।

- यह **28 सितंबर, 1993** को प्रवृत्त हुआ। यह अधिनियम **8 जनवरी, 1994** को अधिनियमित हुआ था।

(UP SI 2021, 1 Dec III) (UP SI 2021, 17 Nov III)

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, **1993** है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। **(धारा 1)**

परिभाषाएँ

I. **"सशस्त्र बल"** से आशय नौसेना, सेना और वायु सेना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है।

II. **"अध्यक्ष"** से आशय केंद्रीय आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

III. **"मुख्य आयुक्त"** से आशय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है।

IV. **"मानव अधिकार"** से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

V. **"मानव अधिकार न्यायालय"** से **धारा 30** के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय है।

VI. **"अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा"** से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा **16 दिसंबर, 1966** को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकार की गई ऐसी अन्य प्रसंविदा या जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है।

VII. **"राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग"** से आशय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, **1993** के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है।

VIII. **"राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग"** से आशय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, **1992** के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है।

IX. **"राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग"** से आशय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, **2005** के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग है।

X. **"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग"** से संविधान के **अनुच्छेद 338** में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभिप्रेत है।

XI. **"राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग"** से संविधान के **अनुच्छेद 338क** में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है।

XII. **"राष्ट्रीय महिला आयोग"** से आशय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, **1990** के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है।

XIII. **"लोक सेवक"** का वही अर्थ है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है।

XIV. **"राज्य आयोग"** से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है।

अध्याय-2 (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग)

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (धारा 3):→

आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे–

I. एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का अन्य कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा है।(UP SI 13 Nov 2021 II)

II. एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।(UP SI 2014)

III. एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है।

IV. तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

V. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य होंगे।

VI. एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा।

VII. आयोग का **मुख्यालय दिल्ली** में होगा और आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

(UP SI 2021, 28 Nov I)

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति (धारा 4):→

राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। परंतु प्रत्येक नियुक्ति ऐसी **समिति** की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी–

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति		
1.	प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	लोक सभा का अध्यक्ष	सदस्य
3.	भारत सरकार के गृहमंत्री	सदस्य
4.	लोक सभा में विपक्ष के नेता	सदस्य
5.	राज्य सभा में विपक्ष का नेता	सदस्य
6.	राज्य सभा का उप सभापति	सदस्य

नोट:– उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्ति किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना (धारा 5):→

1. अध्यक्ष या कोई सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित करने **हस्ताक्षर** सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। (UP SI 2021, 17 Nov I)
2. अध्यक्ष, या किसी सदस्य को केवल **साबित कदाचार या असमर्थता** के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा। (उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच रिपोर्ट के पश्चात्)

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष या कोई सदस्य–

I. दिवालिया या
II. पदावधि में अपने पद के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है या
III. मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या
IV. विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या
V. किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि (धारा 6):→

- अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से **तीन वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष**, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा और वह **पुनः नियुक्ति के लिए पात्र** होगा। (UP SI 2021 16 Nov, III)
- अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और **नियोजन का पात्र नहीं** होगा।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्यों का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन (धारा 7):→

- अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें (धारा 8):→

- अध्यक्ष और किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा तथा शर्तों से उसकी नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्याय-3 (आयोग के कृत्य एवं शक्तियाँ)

आयोग के कृत्य (धारा 12):→

- आयोग **स्वप्रेरणा** से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से **किसी व्यक्ति द्वारा** या **उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निदेश पर** मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायत के बारे में जांच करेगा। (UP SI 2021, 23 Nov II)
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन निहित है उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करेगा।
- किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहाँ व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए निरुद्ध किए जाते हैं, निरीक्षण करेगा और उन पर सरकार को सिफारिश करेगा।
- संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना
- विभिन्न वर्गों के बीच अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;

जाँच से संबंधित शक्तियाँ (धारा 13):→

आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जाँच करते समय **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ** प्राप्त होंगी अर्थात आयोग–

- साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षण करना।
- किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।
- शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना।
- कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।
- इनके संबंध में आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
- आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के लिए **सिविल न्यायालय** समझा जाएगा।

अध्याय-4 (प्रक्रिया)

जांच के दौरान या पश्चात् कार्यवाही (धारा 18):→

- आयोग किसी लोकसेवक द्वारा मानवाधिकारों का अतिक्रमण होने पर शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों को **प्रतिकर या नुकसान** प्रदान करने की सिफारिश कर सकेगा।
- आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा।
- आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

सशस्त्र बलों से संबंधित प्रक्रिया (धारा 19):→

आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्यवाही करते समय:-

- स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा
- केंद्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर सूचित करेगी।
- आयोग, केंद्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर, उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
- आयोग, प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें (धारा 20):→

- आयोग, **केंद्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार** को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, संसद या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में **एक अध्यक्ष तथा बारह अन्य सदस्य** होते हैं।
- आयोग के पदेन सदस्यों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, महिला आयोग तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त होते हैं।
- **मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक होता है।**

अध्याय-5 (राज्य मानवाधिकार आयोग)

राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जायेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा (धारा 21):→

1. एक अध्यक्ष, जो किसी **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश** रहा है। (UP SI 2021, 23 Nov II)
2. एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष का अनुभव है।

जनहित याचिका से संबंधित उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय

1. **रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट** केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और रामशरण बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए।
2. **शीला बनाम भारत संघ** में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता।

महत्वपूर्ण बिंदु

जनहित याचिका (Public Interest Litigation- PIL) की अवधारणा 1960 के दशक में **संयुक्त राज्य अमेरिका** में उत्पन्न और विकसित हुई। भारत में पहली बार **1980** के दशक में **न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती** द्वारा पेश किया गया था। तब से यह लोक हित के मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक प्रमुख विधिक तंत्र बन गया है। (UP SI 2021, 21 Nov II, 25 Nov II)

नोटः– जनहित याचिका की शुरुआत **1976** में हुई थी।

जनहित याचिका

- उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका को लोक हित या सामान्य हित में लागू करने के लिये न्यायालय में शुरू की गई विधिक कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया है जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक या कोई अन्य हित होता है जिसके द्वारा उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं।
- इस प्रकार, एक जनहित याचिका में पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को लागू करने और एक सामान्य शिकायत के निवारण के लिये न्यायालय में अपील कर सकता है।
- **भारत के संविधान, 1950 (Constitution of India):** के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी याचिका पर विचार कर सकता है।

➢ कानून का शासन बनाए रखने, न्याय को बढ़ावा देने और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति में गतिशीलता लाने हेतु जनहित याचिका नितांत आवश्यक है।
- पारिवारिक पेंशन

PIL के लिये अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत

- उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के लिये निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किये–
  - न्यायालय को वास्तविक एवं प्रामाणिक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा बॉह्य विचारों के लिये जनहित याचिका के क्षेत्र को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित और नियंत्रित करना चाहिये।
  - न्यायालय को जनहित याचिका पर विचार करने से पूर्व प्रथम दृष्टया याचिकाकर्त्ता की साख का सत्यापन करना चाहिये।
  - याचिका पर विचार करने से पूर्व न्यायालय को इस बात से पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिये कि इसमें पर्याप्त लोकहित शामिल हैं।
  - न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जनहित याचिका द्वारा करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी या परोक्ष उद्देश्य नहीं है।

नोटः– भारत में सबसे अधिक जनहित याचिकाएँ संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत दायर की जाती है।

- **पुष्पा कपिला हिंगोरानी** को जनहित याचिका की जननी कहा जाता है।
- न्यायमूर्ति **वी.आर. कृष्णा अय्यर** एवं न्यायमूर्ति **पी.एन. भगवती** भारत में जनहित याचिका के अग्रणी माने जाते हैं।
- जनहित याचिका के दुरुपयोग पर याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- जनहित याचिका की स्वीकृति/अस्वीकृति न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
- **न्यायिक सक्रियता** ने जनहित याचिका के लिए नींव का कार्य किया है। (UP SI 2021, 25 Nov II)

अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) भारत के राष्ट्रपति (b) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(c) लोकसभा अध्यक्ष (d) केंद्रीय गृह मंत्र

Sol. (a) एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यों वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें स्पीकर (अध्यक्ष), राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।

2. जिस तिथि को मानवधिकारों का कथित किया गया हो, उसके ________ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसे किसी भी मामले की जांच नहीं करेगा।

(a) दो वर्ष की समाप्ति के बाद
(b) तीन वर्ष की समाप्ति के बाद
(c) पांच वर्ष की समाप्ति के बाद
(d) एक वर्ष की समाप्ति के बाद

Sol. (d) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जिसमें कथित मानव अधिकार उल्लंघन शिकायत किए जाने से एक वर्ष से अधिक समय पहले किया गया हो। (धारा 12)

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है?

(a) न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद (b) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा
(c) न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन (d) न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा

Sol. (d) रंगनाथ मिश्रा 25 सितंबर 1990 से 24 नवंबर 1991 तक भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। वह भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1998 और 2004 के बीच कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

4. मानवाधिकार न्यायालय का गठन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की........ के तहत किया जाएगा।

(a) धारा 30 (b) धारा 28
(c) धारा 29 (d) धारा 31

Sol. (a) मानवाधिकार न्यायालय का गठन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत किया गया।

5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?

(a) 1995 (b) 1994
(c) 1992 (d) 1993

Sol. (d) भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था।

8 स्वतंत्र भारत के महत्त्वपूर्ण निर्णय

स्वतंत्र भारत के महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **ए.के.गोपालन केस (1950):** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक निरोध अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 13, 19, 21 और 22 में निहित मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, अगर निरोध कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार था। यहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया।
- **रोमेश थापर केस (1950):** यहाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता भी शामिल है जिसे केवल प्रसार द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **शंकरी प्रसाद केस (1951):** यह मामला मौलिक अधिकारों में संशोधन की संभावना से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की संसद की शक्ति में संविधान के भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है।
  UP SI 2021, 27 Nov (III)
- **बेरुबारी यूनियन मामला (1960):** यह मामला संसद की बेरुबाई के क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने की शक्ति के बारे में था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 3 की विस्तार से जांच की और माना कि नेहरु-नून समझौते को लागू करने के लिए संसद इस अनुच्छेद के तहत कानून नहीं बना सकती। इसलिए, समझौते को लागू करने के लिए 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया।
  UP SI 2021, 23 Nov (II), 30 Nov (III)
- **गोलकनाथ मामला (1967):** इस मामले में सवाल यह था कि क्या संशोधन कानून है; और क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13 में बताए गए संसदीय प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं, और मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए एक नई संविधान सभा की आवश्यकता होगी। साथ ही कहा कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया तो बताता है, लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं देता।
  UP SI 2021, 12 Nov (II)
- **केशवानंद भारती मामला (1973):** इस फैसले ने संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हालांकि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता। "यह भारतीय कानून का आधार है जिसके तहत न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी संशोधन को रद्द कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे के साथ संघर्ष में हो।"
  UP SI 2021, 1 dec (II)
- **इंदिरा नेहरु गांधी बनाम राज नारायण मामला (1975):** सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू किया और अनुच्छेद 329-ए के खंड (4) को रद्द कर दिया, जिसे 1975 में 39वें संशोधन द्वारा इस आधार पर शामिल किया गया था कि यह संसद की संशोधन शक्ति से परे था क्योंकि यह संविधान की मूल विशेषताओं को नष्ट कर देता था।
- **मेनका गांधी मामला (1978):** इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि केवल एक सक्षम कानून का अस्तित्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा कानून "न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित" भी होना चाहिए।
  UP SI 2021, 25 Nov (II)
- **मिनर्वा मिल्स मामला (1980):** यह मामला फिर से मूल संरचना सिद्धांत को मजबूत करता है। निर्णय ने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में किए गए 2 परिवर्तनों को खारिज कर दिया, उन्हें मूल संरचना का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। निर्णय यह स्पष्ट करता है कि संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद।
- **वामन राव केस (1981):** सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मूल संरचना सिद्धांत को दोहराया। इसने 24 अप्रैल, 1973 यानी केशवानंद भारती फैसले की तारीख के रूप में एक सीमा रेखा भी खींची और कहा कि उस तारीख से पहले हुए संविधान में किसी भी संशोधन की वैधता को फिर से खोलने के लिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए।
- **शाहबानो बेगम मामला (1985):** मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए मील का पत्थर मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया और तत्कालीन सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण अधिनियम), 1986 पारित करके इस फैसले को पलट दिया, जिसके अनुसार गुजारा भत्ता केवल इद्दत अवधि (मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप) के दौरान दिया जाना चाहिए।
- **इंद्रा साहनी और भारत संघ (1992):** सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 16 (4) के दायरे और सीमा की जांच की, जो पिछड़े वर्गों के पक्ष में नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है। इसने कुछ शर्तों (जैसे क्रीमी लेयर बहिष्करण, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं, कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, आदि) के साथ ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  UP SI 2021, 22 Nov (I)
- **एसआर बोम्मई मामला (1994):** इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 (राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में) के जबरदस्त दुरुपयोग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया।
- **विशाखा और राजस्थान राज्य (1997):** यह मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नियोक्ताओं के साथ-साथ अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थानों को यौन उत्पीड़न की रोकथाम को तुरंत सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए। इन्हें 'विशाखा दिशा-निर्देश' कहा जाता है। उचित कानून बनने तक इन्हें कानून माना जाना था।
- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000):** यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना हिंदू पुरुष द्वारा किया गया दूसरा विवाह, भले ही उस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म अपना लिया हो, तब तक अमान्य है जब तक कि हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पहला विवाह विघटित न हो गया हो।
- **आईआर कोएल्हो और तमिलनाडु राज्य (2007):** इस निर्णय में कहा गया कि यदि कोई कानून भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है, तो भी उसकी जांच की जा सकती है और अदालत में उसका सामना किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में ऐसे अधिनियमों और कानूनों की सूची है, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **अरुणा शानबाग मामला (2011):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि व्यक्तियों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार है, तथा दिशा-निर्देशों के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी । इच्छामृत्यु पर भारत के कानूनों में सुधार की आवश्यकता अरुणा शानबाग के दुखद मामले से उत्पन्न हुई, जो 42 वर्षों तक वनस्पति अवस्था (अंधी, लकवाग्रस्त और बहरी) में रहीं।
  UP SI 2021, 16 Nov (III), 29 Nov (II)

- **नोटा निर्णय (2013):** इस निर्णय ने भारतीय मतदाताओं के लिए NOTA (इनमें से कोई नहीं) विकल्प प्रस्तुत किया।
- **लिली थॉमस और यूनियन ऑफ इंडिया (2013):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कोई भी विधायक, विधान पार्षद या सांसद यदि किसी अपराध में दोषी पाया जाता है और उसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन का सदस्य नहीं रहेगा।
- **निर्भया केस (2014):** आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 का परिचय और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत बलात्कार की परिभाषा में परिवर्तन किया गया।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और भारत संघ (2014):** इस मामले के परिणामस्वरूप ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें अल्पसंख्यक माना जाए और शिक्षा, नौकरियों, शिक्षा आदि में आरक्षण का विस्तार किया जाए।
- **तीन तलाक निर्णय (2016):** सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 'तीन तलाक' की पिछड़ी प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम पुरुष बिना किसी गुजारा भत्ता या गुजारा भत्ता के तीन बार तलाक बोलकर अपनी शादी को एकतरफा खत्म कर सकते थे। (ट्रिपल तलाक बिल, 2019 के बारे में पढ़ें।)
- **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017):** इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक एवं महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण होने के साथ धर्म का आवश्यक अंग नहीं है।

UP SI 2021, 14 Nov (III), 21 Nov (II), 29 Nov (III), 30 Nov (III)

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)

मुख्य विषय

निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सरंक्षण प्राप्त है।

- शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि जीने का अधिकार, निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग-अलग करके नहीं बल्कि एक समग्र रूप देखा जाना चाहिये।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

मुख्य विषय

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 को अवैध ठहराना और समलैंगिकता को वैधता प्रदान करना।

- इसने 2013 के निर्णय को संवैधानिक रूप से अस्वीकार कर दिया।
- न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि "यह एक व्यक्ति की अपनी पसंद का मामला है कि कौन उसके घर में प्रवेश करता है, वह कैसे रहता है और वह किससे संबंध स्थापित करना चाहता है"।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी व्यक्ति का समलैंगिक होना भी उसका अपना निजी मामला है और निजता अब उसका मूल अधिकार है।

मोहम्मद सिद्दीकी थ्रू एल.आर. बनाम महंत सुरेश दास (2019)

- इसमें SC ने **राम जन्मभूमि** से जुड़े विवाद में हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया था।
- न्यायालय ने कहा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड विशेष कब्जे को साबित नहीं कर सका, जबकि हिंदुओं की निर्बाध उपासना द्वारा बाहरी प्रांगण पर अधिकार के साक्ष्य मिलते हैं।

प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी बनाम श्रीमती राखी सिंह और अन्य (2023)

इसमें SC ने वाराणसी में **ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातत्त्व सर्वेक्षण को जारी रखने की अनुमति** दी थी।

अनुच्छेद 21 से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)**
  - **मुद्दा:** कैदियों के अधिकार।
  - **निष्कर्ष:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों को हथकड़ी लगाने की प्रथा केवल विशेष परिस्थितियों में होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- **पूर्णेहिराज बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983)**
  - **मुद्दा:** बंदियों के अधिकार।
  - **निष्कर्ष:** कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदियों को भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है और जेलों में उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987)**
  - **मुद्दा:** गैस त्रासदी और पर्यावरणीय सुरक्षा।
  - **निष्कर्ष:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ वातावरण और जीवन के लिए सुरक्षित परिस्थितियाँ

अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का अधिकार हैं। इस फैसले ने पर्यावरणीय न्याय को अनुच्छेद 21 का हिस्सा बनाया।

- **नीलाबती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993)**
  - **मुद्दा:** हिरासत में मृत्यु।
  - **निष्कर्ष:** कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में हुई मौत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और इसके लिए राज्य जिम्मेदार है। मुआवजा पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए।
- **इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1995)**
  - **मुद्दा:** चिकित्सा सेवाएँ और मरीजों का अधिकार।
  - **निष्कर्ष:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है।
- **प्रतीक्षा गोपाल बनाम भारत संघ (1997)**
  - **मुद्दा:** सड़क सुरक्षा।
  - **निष्कर्ष:** कोर्ट ने कहा कि सुरक्षित सड़कों और यातायात व्यवस्था का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)**
  - **मुद्दा:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न।
  - **निष्कर्ष:** कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उपाय करना उनके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा है। इस फैसले के आधार पर विशाखा दिशानिर्देश बनाए गए।
- **लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2014)**
  - **मुद्दा:** एसिड अटैक पीड़ितों का पुनर्वास।
  - **निष्कर्ष:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक पीड़िताओं को पुनर्वास और मुआवजा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि यह गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हिस्सा है।
- **शबनम बनाम भारत संघ (2015)**
  - **मुद्दा:** मृत्युदंड के दौरान मानवता।
  - **निष्कर्ष:** कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड को निष्पादित करते समय मानवीय गरिमा सुनिश्चित करना अनुच्छेद 21 का हिस्सा है।

9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। (धारा 1)
- इस अधिनियम के कुछ उपबंध 15 जून 2005 का लागू हुए थे। जबकि यह अधिनियम **12 अक्टूबर 2005** को लागू हुआ था। (UP SI 2014, Ranker Exam)

परिभाषाएँ (धारा 2):→

"सक्षम प्राधिकारी" से आशय है:- (UP SI 2021, 30 Nov, II Shift)

- लोक सभा या राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष और राज्य सभा या राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति। (UP SI 2021, 28 Nov, III)
- उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति।
- किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति।
- संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, राष्ट्रपति या राज्यपाल।
- संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक।
- "सूचना" से आशय किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है।

"अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

- कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल।
- किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति।
- किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।
- "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-
  - कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।
  - दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना।
  - सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
  - डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, अभिप्राप्त करना।
- "पर व्यक्ति" से आशय सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय-2

(सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ)

सूचना का अधिकार (धारा 3):→

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ (धारा 4):→

प्रत्येक लोक प्राधिकारी-

(i) अपने सभी अभिलेखों को जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, निश्चित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध करेगा।

(ii) **इस अधिनियम के एक सौ बीस दिन के भीतर** (UP SI exam)

- अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।
- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
- पालन की जाने वाली प्रक्रिया।
- कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड।
- अपने द्वारा या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख
- अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है।
- सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों, प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट।
- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
- ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए।
- प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।
- प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।
- सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा।

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध (धारा 6):→

- कोई व्यक्ति, जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह फीस के साथ **लिखित** में या **इलैक्ट्रॉनिक युक्ति** के माध्यम से **अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्रीय राजभाषा** में आवेदन करेगा। (UP SI 2021, 23 Nov III shift)
- आवेदन, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकार को दिया जायेगा।
- आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए कारण या व्यक्तिगत ब्यौरे, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

अनुरोध का निपटारा (धारा 7):→

- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के **तीस दिन के भीतर**, सूचना उपलब्ध कराएगा या कारणों से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। (UP SI 2014, Mains Exam)
- परंतु जहा मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के **अड़तालीस घंटे** (48 घंटे) के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।
- ऐसे व्यक्तियों से, जो **गरीबी की रेखा के नीचे** हैं, कोई **फीस नहीं ली जाएगी।**
- जहाँ, किसी अनुरोध को अस्वीकृत किया गया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को
- ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण तथा अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की अवधि व अपील प्राधिकारी की सूचना उपलब्ध करायेगा।
- किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है।

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट (धारा 8):→

निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी:–

- भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;
- संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार भंग होता हो;
- वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है;

(UP SI 2021, 14 Nov, 1st shift;
UP SI 2014 (Mains Exam)

- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;
- किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सूचना;
- अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन हो;
- मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद् सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं। परंतु इसे विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराया जायेगा।
- सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो।
- किसी ऐसी घटना से संबंधित कोई सूचना जो उस तरीख से, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी। तब अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।

कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार (धारा 9):→

- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकता है, जब ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन करता है।

पृथक्करणीयता (धारा 10):→

- जहां सूचना तक पहुँच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है, जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है। अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही पृथक्क करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा सकता है।

पर व्यक्ति सूचना (धारा 11):→

- ऐसी सूचना या अभिलेख जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहाँ, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से **पाँच दिन** के लिखित रूप में सूचना देगा कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं।
- यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति से संबंधित कोई सूचना दी जाती है पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से **दस दिन के भीतर**, दी गई सूचना के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

अध्याय-3 (केंद्रीय सूचना आयोग)

केंद्रीय सूचना आयोग का गठन (धारा 12):→

- केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी।

केंद्रीय सूचना आयोग में

- मुख्य सूचना आयुक्त और
- **दस से अनधिक** केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। (UP SI 2021, 2 Dec II Shift)
- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की **नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा** निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

(UP SI 2021, 21 Nov II, 27 Nov Ist)

  - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  - लोकसभा में विपक्ष का नेता
  - प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।
- केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी।
- मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।
- केंद्रीय सूचना आयोग का **मुख्यालय, दिल्ली** में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

पदावधि एवं सेवा शर्तें (धारा 13):→

मुख्य सूचना आयुक्त:–

- **पैंसठ वर्ष** की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा तथा वह **पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं** होगा।
- प्रत्येक सूचना आयुक्त, **पैंसठ वर्ष** की आयु प्राप्त करने तक, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं** होगा। परंतु सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- परंतु जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में **कुल मिलाकर पाँच वर्ष** से अधिक नहीं होगी।
- मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व **राष्ट्रपति** या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष **शपथ या प्रतिज्ञान** लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, **राष्ट्रपति** को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना **पद त्याग** सकेगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, **केंद्रीय सरकार द्वारा** निर्धारित की जाएगी।
- परंतु वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना (धारा 14):→

- मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को **राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता** के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देश पर जांच के पश्चात् रिपोर्ट दी हो। (UP SI 2021, 15 Nov Ist Shift)
- राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा भी पद से हटा सकेगा, यदि–
  - दिवालिया है।
  - ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है।
  - अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है।
  - मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है।
  - उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए 'जन सूचना पोर्टल' प्रारंभ किया?

(a) पश्चिम बंगाल (b) तमिलनाडु
(c) राजस्थान (d) महाराष्ट्र

Sol. (c) 'जन सूचना पोर्टल' राजस्थान के नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 4(2) के अंतर्गत जानकारी एवं सूचना उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया गया एक पोर्टल है।

2. ____ के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जाँच की प्रक्रिया या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है, उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

(a) धारा 8 (1)(f) (b) धारा 8 (1)(b)
(c) धारा 8 (1)(d) (d) धारा 8 (1)(h)

Sol. (d) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(h) के तहत किसी भी नागरिक को ऐसी सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं है जिससे जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम ______ के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि व्यापक जनहित में किसी प्रकार के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है तो किसी व्यापार रहस्य को प्रकट किया जा सकता है।

(a) धारा 8(1)(h) (b) धारा 8(1)(f)
(c) धारा 8(1)(e) (d) धारा 8(1)(d)

Sol. (d) सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(d) में कहा गया है कि ऐसी सूचना जो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक हितों या विदेशी देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, उसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

4. लोकसभा के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए "सक्षम प्राधिकारी" .... है।

(a) प्रधानमंत्री
(b) भारत सरकार के मुख्य सचिव
(c) महासचिव, लोकसभा
(d) अध्यक्ष

Sol. (d) लोक सभा का अध्यक्ष सदन में सर्वोच्च अधिकारी होता है और सदन में व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी होता है।

5. _________ के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाती है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

(a) धारा 8(1)(a) (b) धारा 8(1)(c)
(c) धारा 8(1)(d) (d) धारा 8(1)(f)

Sol. (c) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(d) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक है।

6. निम्नलिखित में से किस वर्ष में, हाल की का "सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम" अधिनियमित किया गया था?

(a) 2012 (b) 2008
(c) 2019 (d) 2020

Sol. (c) सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम 2019 केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना आयुक्तों के वेतन और कार्य स्थितियों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार अब आर टी आई (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 13 में संशोधन करके केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) और सूचना आयुक्त (आईसी) का कार्यकाल निर्धारित करेगी, जो पहले पांच साल तय किया गया था।

7. _____, राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्य के लिए 'सक्षम प्राधिकारी' है।

(a) रजिस्ट्रार-उच्च न्यायालय प्रशासन
(b) उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल
(c) उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अवर न्यायाधीश
(d) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

Sol. (d) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक प्रकार के संस्थान के लिए सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित करता है। उच्च न्यायालय का **मुख्य न्यायाधीश** संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है।

10 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना (धारा-1):→

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 है।
- इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराध के उल्लंघन पर भी लागू होता है।

यह अधिनियम **17 अक्टूबर 2000** से लागू है।

परिभाषाएँ (धारा-2):→

- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
- **"अभिगम"** से आशय कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश प्राप्त करना।
- **"प्रेषिती"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए प्रवर्तक द्वारा आशयित है।
- **"प्राइवेट कुंजी"** से कुंजी युग्म की वह कुंजी है जो अंकीय चिह्नक सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है।
- **"लोक कुंजी"** से कुंजी युग्म की वह कुंजी है जो अंकीय चिह्नक को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है और अंकीय चिह्नक प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध हैं
- **"उपयोगकर्ता"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम से (इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक) प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

अध्याय-2

(अंकीय चिन्हक और इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक)

इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण (धारा 3):→

- कोई उपयोगकर्ता, किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने **अंकीय चिह्नक लगाकर अधिप्रमाणित** कर सकेगा।

अध्याय-3 (इलैक्ट्रानिक नियमन)

इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विधिमान्यता (धारा 4):→

- सूचना या कोई अन्य विषय लिखित या टंकित या मुद्रित रूप में होगा, वहाँ ऐसी अपेक्षापूर्ण कर दी गई समझी जाएगी, यदि ऐसी सूचना या विषय किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाता है।

इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक से संबंधित नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति धारा 10):→

- केंद्रीय सरकार, निम्नलिखित विहित कर सकेगी,–
  - इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक का प्रकार
  - वह रीति और रूपविधान जिसमें इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक लगाया जाएगा
  - वह रीति या प्रक्रिया जो इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक लगाने वाले व्यक्ति की पहचान को सुकर बनाती है;
  - कोई अन्य विषय, जो इलैक्ट्रॉनिक चिह्नक को विधिक प्रभाव देने के लिए आवश्यक हो।

अध्याय-4

(इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण)

इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार (धारा 11):→

किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा।

इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान (धारा 13):→

I. प्रेषण का समय:

जब प्रवर्तक (sender) किसी इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने नियंत्रण से बाहर किसी कंप्यूटर प्रणाली में डालता है, तब उसे भेजा गया (प्रेषित) माना जाता है।

II. प्राप्ति का समय:

- यदि प्राप्तकर्ता ने कोई कंप्यूटर प्रणाली संदेश पाने के लिए तय की है:
  - जब वह अभिलेख उस प्रणाली में पहुँच जाए – प्राप्ति मानी जाएगी।
  - यदि वह प्रणाली उपलब्ध नहीं है – तब प्राप्ति तब मानी जाएगी जब अभिलेख को दोबारा प्राप्त किया जाए।
- यदि कोई प्रणाली तय नहीं है तो प्राप्ति तब मानी जाएगी जब अभिलेख किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में पहुँच जाए।

III. स्थान का निर्धारण:

जहाँ से प्रवर्तक ने संदेश भेजा और जहाँ प्राप्तकर्ता ने उसे प्राप्त किया, वही स्थान भेजने और प्राप्त करने का स्थान माना जाएगा।

IV. उपधारा (II) और (III) लागू होंगी, भले ही कंप्यूटर प्रणाली किसी और स्थान पर हो या भिन्न हो।

V. प्रयोजनों के लिए:

- यदि प्रवर्तक/प्राप्तकर्ता के एक से अधिक कार्य स्थल हैं तो मुख्य कार्य स्थल मान्य होगा।
- यदि कोई कार्य स्थल नहीं है तो निवास स्थान मान्य होगा।
- "निवास" या "प्राप्ति स्थान" वह होगा जहाँ वह पंजीकृत है।

अध्याय-6 (प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का विनियमन)

नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति (धारा 17):→

- केंद्रीय सरकार प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का एक नियंत्रक नियुक्त कर सकेगी और उपनियंत्रक और सहायक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उतनी संख्या में नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे। (UP SI 2021, 20 Nov Ist shift)
- नियंत्रक, केंद्रीय सरकार के साधारण नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए निर्वहन करेगा।
- उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक, नियंत्रक द्वारा उन्हें समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन, नियंत्रक के साधारण अधीक्षण और नियंत्रक के अधीन करेंगे।
- उपर्युक्त सभी की अहर्ताएं, अनुभव और सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।
- **नियंत्रक के कृत्य (धारा 18):** नियंत्रक, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन कर सकेगा।
- प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना;
  - लोक कुंजियों को प्रमाणित करना
  - मानक अधिकथित करना
  - अहर्ताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करना

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साइबर स्पेस के संबंध में **गलत** है?

(a) यह उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया जा सकता है।

(b) कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट या वेबसाइट का अभिगमन कर सकता है।

(c) साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्यिगिकी अधिनियम, 2000 के तहत परिभाषित किया गया है

(d) यह इलैक्ट्रॉनिक रूप में एक डिजिटल उत्पाद के संचरण और वितरण को सक्षम बनाता है।

Sol. (c) साइबर स्पेश शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। साइबरस्पेस वर्चुअल कंप्यूटर की दुनिया को संदर्भित करता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसका उपयोग ऑनलाइन संचार की सुविधा के लिए किया जाता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है?

(a) 69 (b) 68
(c) 67 (d) 70

Sol. (c) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 67 अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंडित करता है।

3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A को स्पष्ट न होने के लिए..........के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था।

(a) आर. गांधी बनाम भारत संघ

(b) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ

(c) कॉमन कॉज (एक पंजीकृत सोसाइटी) बनाम भारत संघ

(d) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य

Sol. (b) 2015 में, शीर्ष अदालत ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में ऑनलाइन भाषण पर प्रतिबंध से संबंधित सूचना प्रौद्यौगिकी अधिनियम की धारा 66A को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक करार दिया।

4. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है।

(b) इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र अनिवार्य है।

(c) इलैक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना नहीं जाता जाता है।

(d) a,b और c

Sol. (a) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को मान्यता देकर इलैक्ट्रॉनिक शासन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह साइबर अपराधों को भी परिभाषित करता है और उनके लिए दंड निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र को किसी भी सरकारी नियमों की प्रकाशन आवश्यकता को पूरा करने वाला माना जाता है।

5. भारत में सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम का मसौदा .... तैयार किया गया।

(a) यूरोपीय संघ के मार्गदर्शन में

(b) स्टॉकहोम सम्मेलन (कन्वेंशन) के आधार पर

(c) UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर

(d) यूएस विधान को अपनाकर

Sol. (c) भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मसौदा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के आधार पर लाया गया है।

6. इंटरनेट घंटों की चोरी से, सूचना प्रौद्योगिकी की धारा _____ के तहत निपटा जाता है।

(a) 43(h) (b) 43(a)
(c) 43(d) (d) 43(f)

Sol. (a) इंटरनेट घंटों की चोरी से, सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 43(h) के तहत निपटा जाता है।

7. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की कौन-सी धारा, प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है?

(a) धारा 17 (b) धारा 4
(c) धारा 10 (d) धारा 5

Sol. (a) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 17 के तहत केंद्र सरकार को प्रमाणन प्राधिकरणों का नियंत्रक नियुक्त करने का अधिकार है।

11 साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा

साइबर अपराध क्या है? (What is Cyber Crime)

- साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो कम्प्यूटर और नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला जैसे गैरकानूनी रूप से किसी की निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी मिटाना, उसका गलत इस्तेमाल करना, उसमें फेरबदल करना, ऑनलाइन बैंक खातों से पैसे चुराना आदि सम्मिलित हैं।
- साइबर अपराध हमेशा आर्थिक लाभ से प्रेरित नहीं होते हैं अपितु साइबर अपराध में गैर- आर्थिक लाभ भी शामिल हैं। इसमें नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी, वैवाहिक धोखाधड़ी व्यक्तिगत जानकारी (आधार कार्ड का विवरण, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण, बैंक खातों की सूचना आदि) को चुराकर उनका दुरूपयोग करना, सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की मानहानि या कम्प्यूटर वायरस फैलाना आदि शामिल है। साइबर अपराध की परिणीति शारीरिक या यौन शोषण भी हो सकता है।

साइबर अपराध के प्रकार (Kinds of Cyber Crime)

- पहचान की चोरी
- मनोवैज्ञानिक तरकीबें
- सोशल मीडिया धोखाधड़ी
- डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी
- मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से हमला
- पर्सनल कंप्यूटर/लैंपटॉप पर वायरस का हमला

पहचान की चोरी (Theft of Identity)

पहचान की चोरी से आशय किसी की व्यक्तिगत जानकारी उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करना है। व्यक्तिगत जानकारी में उसका नाम, फोन नंबर, पता, बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड नंबर या क्रेडिट व डेबिट कार्ड नंबर आदि शामिल हो सकते हैं। पहचान की चोरी के कई गंभीर परिणाम हो सकते है।

सोशल मीडिया अकाउंट हैक या पहुंच प्राप्त करना (Hacking or gaining access to Social Media Accounts)

हमलावर, पीड़ित का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर सकता है या उन तक पहुंच कर पीड़ित व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी व फोटोग्राफ्स का दुरूपयोग कर सकता है। प्रोफाईल पर आपत्तिजनक सामग्री डाल सकता है अथवा मानहानि कर सकता है।

पहचान प्रमाणों की फोटो प्रतियों का दुरुपयोग (Misuse of photo copies of Identity Proofs)

हमलावर, पीड़ित के पहचान प्रमाणपत्र जैसे-पैन कार्ड, आधार कार्ड या अन्य किसी पहचान पत्र की फोटो प्रतियों का दुरुपयोग कर सकता है एवं धन हानि या अन्य किसी प्रकार से पीड़ित को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड स्किमिंग (Credit/Debit Card Skimming)

क्रेडिट कार्ड की चुम्बकीय पट्टी में कार्ड की महत्त्वपूर्ण सूचना जैसे नाम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड नंबर और समाप्ति तिथि आदि अंकित होती है। सबसे पहले, क्रेडिट/डेबिट कार्ड को स्किमर के माध्यम से स्वाइप किया जाता है। फिर, स्किमर इन सभी विवरणों को कैप्चर करता है। अपराधी के द्वारा उपरोक्त सूचना का उपयोग ऑनलाइन लेनदेन करने/डुप्लिकेट क्रेडिट व डेबिट कार्ड बनाने/ ए.टी.एम. से पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है।

मनोवैज्ञानिक तरकीबें (Psycological Tricks)

मनोवैज्ञानिक तरकीबें वे हैं, जहां हमलावर आकर्षक प्रस्ताव के माध्यम से उपयोगकर्ता के दिमाग से खेलते हैं। एक बार फंसने के बाद हमलावर, पीड़ित के पैसे/व्यक्तिगत सूचना-नाम, आधार विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि चोरी करके पीड़ित का शोषण कर सकते हैं।

फिशिंग (Phishing)

फिशिंग धोखाधड़ी देने वाली ई-मेल के द्वारा किया जाने वाला कृत्य है, जो कि एक वैध स्रोत जैसे- बैंक, नियोजक या क्रेडिट कार्ड कंपनी इत्यादि से प्राप्त होना प्रतीत होता है। जिसके माध्यम से पीड़ित से व्यक्तिगत सूचना, बैंक खाता विवरण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है।

विशिंग (Wishing)

विशिंग, फिशिंग के समान है। लेकिन इसमें ई-मेल के स्थान पर टेलीफोन के जरिए पीड़ित की व्यक्तिगत व वित्तीय सूचनाएं प्राप्त की जाती है।

स्मिशिंग (Smishing)

स्मिशिंग, फिशिंग के समान धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेशों को भेजने के लिए एस.एम.एस. का उपयोग करता है। इसमें एस.एम.एस. प्राप्तकर्ता को एक वेबसाइट व वेबलिंक पर जाने या फोन नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है।

लॉटरी धोखाधड़ी (Lottery Fraud)

अपराधी, पीड़ित को ई-मेल, कॉल व एस.एम.एस. के माध्यम से लॉटरी जीतने के लिए बधाई देता है। अपराधी लॉटरी की राशि प्राप्त करने के लिए पीड़ित को टोकन मनी अन्तरित करने और महत्त्वपूर्ण सूचना प्रेषित करने के लिए कहता है। पीड़ित अपने पैसे व महत्त्वपूर्ण जानकारी अपराधी को उपलब्ध करवा देता है और उसे धनहानि का शिकार होना पड़ता है।

क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधड़ी (Credit/Debit Card Fraud)

हमलावर, पीड़ित को यह बताकर डराने की कोशिश करता है कि उसका क्रेडिट व डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। हमलावर स्थिति का फायदा उठाता है और पीड़ित को कार्ड को फिर से सक्रिय करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर पीड़ित के पैसे चुराने / वित्तीय नुकसान पहुंचाता है।

नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी (Job Related Fraud)

हमलावर एक आकर्षक वेतन के साथ नौकरी का प्रस्ताव पीड़ित को एक फेक ई-मेल के माध्यम से भेजता है। फिर हमलावर पैसे चुराता है या पीड़ित को अनावश्यक परेशान करता है।

सोशल मीडिया धोखाधड़ी (Social Media Fraud)

कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के विचारों को उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के माध्यम से समझ सकता है और अतीत के पैटर्न के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकता है। यह एक व्यक्ति के लिए खतरा बन जाता है क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल के अवांछित उपयोग, जानकारी की चोरी, मानहानि या इससे भी बुरे परिणाम जैसे-शारीरिक / यौन हमला, डकैती आदि भी हो सकते हैं। इसलिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल का संरक्षण और सुरक्षित उपयोग बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न

1. _________ एक प्रकार का साइबर-अपराध हमला है, जहाँ साइबर-अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं।

(a) डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल'ऑफ-सर्विस अटैक

(b) फ़िशिंग

(c) स्पूफिंग

(d) साइबर-स्टॉकिंग

Sol. (a) DDoS एक सर्वर, सेवा, वेबसाइट या नेटवर्क पर एक साइबर हमला है जो इसे इंटरनेट ट्रैफ़िक से भर देता है। यदि ट्रैफ़कि लक्ष्य पर हावी हो जाता है, तो उसका सर्वर, सेवा, वेबसाइट या नेटवर्क निष्क्रिय हो जाता है।

2. .... एक प्रकार का साइबर अपराध है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क, कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है।

(a) साहित्यिक चोरी (प्लैगरिज़्म)

(b) मैलवेयर अटैक

(c) जालसाज़ी (फिशिंग)

(d) प्रकाशनाधिकृत उल्लंघन (कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंन्ट)

Sol. (b) मैलवेयर हमला एक साइबर हमला है जहां मैलवेयर अनाधिकृत कार्रवाई करता है। वायरस, सॉफ्टवेयर में कई विशिष्ट प्रकार के हमले शामिल हैं जैसे रैंसमवेयर, स्पाइवेयर, कमांड आदि।

3. इंटरनेट पर _____ साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है।

(a) आई.पी.एड्रेस (b) कनेक्टिविटी (संयोजकता)

(c) एंटी-वायरस (d) ऐनोनिमिटी (अनामिकता)

Sol. (d) इंटरनेट पर Anonymity/ऐनोनिमिटी (अनामिकता) साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है।

4. एक प्रकार का साइबर अपराध है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं।

(a) साहित्यिक चोरी (प्लैजरियम)

(b) साइबर स्टॉकिंग

(c) अपसंदेशन (स्पैमिंग)

(d) जालसाजी (फिशिंग)

Sol. (c) स्पैमिंग ईमेल साइबर अपराध का एक प्रकार है। यहाँ बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध रूप से भेजे जाते हैं। स्पैम मेल में दिए गए ओपनिंग लिंक आपको मैलवेयर वाली फ़िशिंग वेब साइटों पर ले जा सकते हैं।

5. वह अपराध, जहाँ इंटरनेट पर नज़र रखने वाले आपको एक मैलवैयर-संक्रमित फाइल डाउनलोड करने और डालने के लिए बरगलाते है, जो उन्हें आपके वेबकैम तक पहुँच प्रदान कर सकती है, को ____ के रूप में जाना जाता है।

(a) साइबर स्पैमिंग (b) साइबर स्टॉकिंग

(c) ऑनलाइन उत्पीड़न (d) साइबर आतंकवाद

Sol. (b) साइबरस्टॉकिंग इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों का उपयोग किसी को बार-बार परेशान करने, धमकाने या उसका पीछा करने के लिए किया जाता है। इसमें अवांछित संदेश भेजना, अकाउंट हैक करना या ऑनलाइन झूठ बोलना शामिल है। इसका लक्ष्य अक्सर पीड़ित को डराना या परेशान करना होता है।

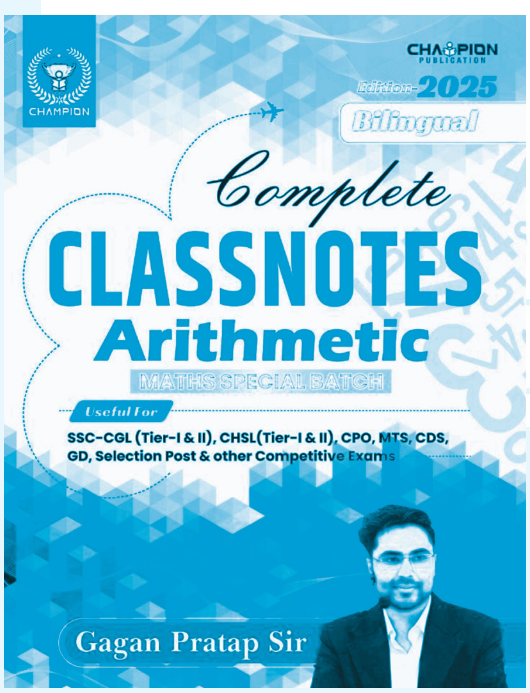

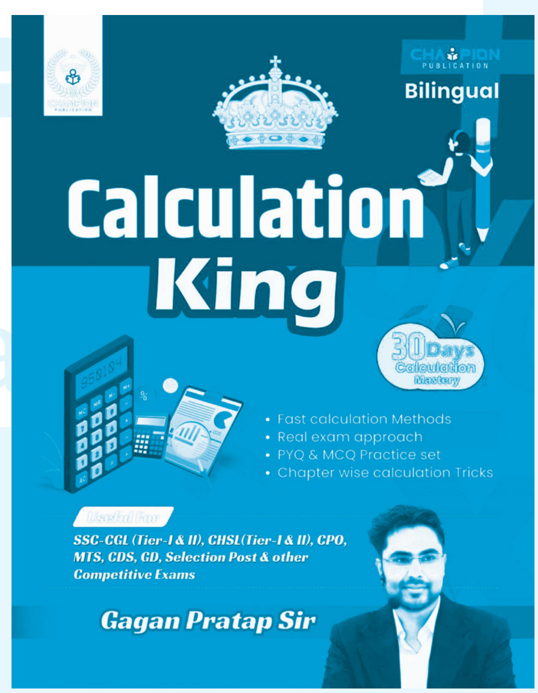

12 आयकर अधिनियम, 1961

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (धारा 1)

- यह अधिनियम आय-कर अधिनियम, 1961 कहा जा सकेगा।
- इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- यह अधिनियम **1 अप्रैल 1962** से लागू है।

परिभाषाएँ

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- "कृषि आय" से अभिप्रेत है-
  - ऐसी भूमि से व्युत्पन्न कोई लगान या आमदनी, जो भारत में स्थित है और कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती है।
  - कोई ऐसी आय जो ऐसी भूमि से कृषि द्वारा, या खेतिहर उपज को बाजार ले जाने योग्य बनाने से प्राप्त आय या उपज के विक्रय से प्राप्त आय।

अध्याय-2 (प्रभार का आधार)

आय-कर का प्रभार (धारा 4):→

- आय-कर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी दर या किन्हीं दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

कुल आय की परिधि (धारा 5):→

- ऐसे व्यक्ति की जो निवासी या अनिवासी है किसी पूर्ववर्ष की कुल आय के अंतर्गत किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न वह सब आय है जो-
  - ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त की गई है अथवा
  - ऐसे वर्ष के दौरान उसे भारत के बाहर उद्भुत होती है:

भारत में निवास (धारा 6):→

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए-

कोई व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाता है जब कि वह:-

- उस वर्ष में कुल मिलाकर **एक सौ बयासी या अधिक दिनों** की कालावधि तक भारत में रहा है; या UP SI 2021,21 Nov (II)
- उस वर्ष के पूर्ववर्ती चार वर्षों के अंदर कुल मिलाकर **तीन सौ पैंसठ या अधिक दिनों** की कालावधि तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर **साठ या अधिक दिनों** की कालावधि तक भारत में रहा है।

भारत में उद्भुत हुई समझी गई आय (धारा 9):→

निम्नलिखित आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी:-

- भारत में किसी कारबारी सम्पर्क के द्वारा, भारत में किसी संपत्ति के द्वारा या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भुत होने वाली सब आय।

अध्याय-3 (आय जो कुल आय का भाग नहीं है)

आय जो कुल आय के अन्तर्गत नहीं आती है (धारा 10):→

किसी व्यक्ति की किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में निम्नलिखित खण्डों में से किसी में आने वाली कोई आय उसमें सम्मिलित नहीं की जाएगी।

- कृषि आय UP SI 2021, 24 Nov (III)
- हिन्दू अविभक्त कुटुंब के सदस्य के रूप में किसी द्वारा प्राप्त कोई राशि
- किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो किसी ऐसी फर्म का भागीदार है जिसका उस रूप में पृथक निर्धारण किया जाता है, फर्म की कुल आय में उसका अंश
- **विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध (धारा 10AA)**
- **नवस्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध (धारा 10 ख)**
- **पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय (धारा 11)**

निम्नलिखित आय को आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा:-

- ऐसी संपत्ति से व्युत्पन्न आय जो पूर्णत: पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है।
- ऐसी सम्पत्ति से व्युत्पन्न आय जो केवल भागत: ऐसे प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है।

अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय (धारा 12):→

धारा 12 में अभिदायों से होने वाली न्यासों या संस्थाओं की आय को कुल आय से विरत करने से संबंधित है।

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया (धारा 12AA):→

किसी न्याय या संस्था के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन **आयुक्त** के समक्ष किए जाते हैं।

राजनैतिक दलों की आय के सम्बन्ध में विशेष उपबंध (धारा 13A):→

किसी राजनैतिक दल की ऐसी आय को जो "गृह संपत्ति से आय" या "अन्य स्रोतों से आय या "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है या किसी व्यक्ति से किसी राजनैतिक दल द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदायों के रूप में आय को ऐसे राजनैतिक दल की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अध्याय-4 (कुल आय की संगणना)

आय के शीर्ष (धारा 14):→

आय-कर के प्रभार और कुल आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित आय के 5 शीर्षों के अधीन वर्गीकृत की जाएगी-

(UP SI 2021, 15 Nov (III), 20 Nov (I), 23 Nov (II), I Dec (II))

- वेतन
- गृह संपत्ति से आय,
- कारोबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ,
- पूंजी अभिलाभ,
- अन्य स्रोतों से आय

वेतन (धारा 15):→

निम्नलिखित आय वेतन शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी:-

- पूर्ववर्ष में किसी निर्धारिती को नियोजक या भूतपूर्व नियोजक से देय कोई वेतन
- नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा पूर्ववर्ष में उसे देय न होते हुए भी या उसे देय होने से पूर्व, संदत्त या अनुज्ञात कोई वेतन,
- नियोजक या भूतपूर्व नियोजक द्वारा या उसकी ओर से पूर्ववर्षों में उसे संदत्त या अनुज्ञात वेतन की बकाया यदि किसी पूर्वतर पूर्ववर्ष में आय-कर से प्रभारित न हुई हो।

वेतन कटौतियाँ (धारा 16):→

"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना निम्नलिखित कटौतियां करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :-

- वेतन के (किसी भत्ते, फायदे या अन्य परिलब्धि को छोड़कर) **पंचमांश के बराबर राशि या पांच हजार रुपए** की राशि की, इनमें से जो भी कम हो,

- संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड (2) के अर्थ में नियोजन पर कर मद्धे, संदत्त किसी राशि की कटौती।

"वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा (धारा 17):→

धारा 15 और 16 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए:-

- वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है:-
  - मजदूरी;
  - कोई वार्षिकी या पेंशन;
  - कोई उपदान;
  - किसी वेतन या मजदूरी के बदले में या उसके अतिरिक्त कोई फीसें, कमीशन, परिलब्धियां या लाभ;
  - वेतन का कोई अग्रिम संदाय;
  - किसी कर्मचारी द्वारा ऐसी किसी छुट्टी की अवधि की बाबत जिसका उसने उपभोग नहीं किया है, प्राप्त कोई संदाय
  - किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष में हुई वार्षिक अनुवृद्धि,
  - उन सब राशियों का योग जो किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के ऐसे अंतरित अतिशेष में समाविष्ट है,

गृह संपत्ति से आय (धारा 22):→

ऐसी संपत्ति का जिसका निर्धारिती स्वामी है, उस संपत्ति के ऐसे प्रभावों को छोड़कर जिनका अधिभोग वह अपने कारबार के प्रयोजन के लिए करता हो जिसके लाभ आय-कर से प्रभार्य है, वार्षिक मूल्य 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर में प्रभार्य होगा।

गृह संपत्ति से आय में से कटौतियाँ (धारा 24):→

"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय निम्नलिखित कटौतियाँ करने के पश्चात् संगणित की जाएंगी।

- ऐसी राशि, जो वार्षिक मूल्य के तीस प्रतिशत के बराबर हो;
- जहाँ संपत्ति का अर्जन, सन्निर्माण, मरम्मत, नवीकरण या पुन:सन्निर्माण उधार ली गई पूंजी से किया गया है, वहां ऐसी पूंजी पर संदेय किसी ब्याज की रकम निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत, कटौती की रकम तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय (धारा 35):→

वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की बाबत निम्नलिखित कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी। किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त किसी राशि के एक सही एक बटा दो गुणा $\left(1\frac{1}{2}\right)$ के बराबर राशि।

दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए व्यय (धारा 35ABA):→

किसी व्यय के संबंध में, जो दूर-संचार सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग का कोई अधिकार अर्जित करने से पूर्व या तो कारबार से पूर्व या तत्पश्चात् किसी पूर्ववर्ष में किसी समय आरंभ किया गया है और जिसके लिए स्पैक्ट्रम के उपयोग के अधिकार को अभिप्राप्त करने के लिए वास्तव में संदाय किया गया है, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके अनुसरण में प्रत्येक सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, ऐसे व्यय की रकम के सुसंगत भिन्न के बराबर कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

कृषि विस्तार परियोजना संबंधी व्यय (धारा CC):→

जहाँ कोई निर्धारिती बोर्ड द्वारा उन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिसूचित कृषि विस्तार परियोजना पर कोई व्यय उपगत करता है, वहाँ ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय (धारा 35CCD):→

जहां कोई कंपनी, बोर्ड द्वारा, अधिसूचित किसी कौशल विकास परियोजना पर कोई व्यय उपगत करती है, वहां ऐसे व्यय के डेढ़ गुना के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

खनिज तेल के पूर्वेक्षण आदि के कारबार की दशा में कटौतियों के लिए विशेष उपबंध (धारा 42)

करेंसी की विनिमय दर में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विशेष उपबंध (43A)

वृत्ति या कारबार चलाने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा लेखा रखना (धारा 44AA)

वृत्ति या कारबार चलाने वाले कुछ व्यक्तियों के लेखाओं की संपरीक्षा (धारा 44AB)

निवास के लिए उपयोग में लाई गई संपत्ति के विक्रय पर लाभ व्यष्टि की आय में पति या पत्नी, अवयस्क संतान आदि की आय का भी सम्मिलित होना (धारा 54)

अध्याय-5

(अन्य व्यक्तियों की आय जो निर्धारित की कुल आय में सम्मिलित है)

किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में ऐसी सब आय सम्मिलित की जाएंगी जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत ऐसे व्यष्टि के पति या पत्नी को वेतन, कमीशन, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक से, चाहे नकद या वस्तु रूप में उद्भुत हो। (धारा 64)

अध्याय-6

(आय का संकलन और हानि का मुजरा करना या उसे अग्रनीत करना)

अस्पष्टीकृत धनराशि, आदि (धारा 69A):→

जहाँ किसी वित्तीय वर्ष में निर्धारिती के बारे में यह पता लगता है कि वह किसी धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज का स्वामी है और उसके द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों में अभिलिखित नहीं है, और उस धन के अर्जन की बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, वहां उस धन के और उस सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान चीज के मूल्य के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे वित्तीय वर्ष की आय है।

विनिधानों आदि की रकम जो लेखा पुस्तकों में पूरी तरह से प्रकट न की गई हो (धारा 69B):→

वहाँ उस अधिक रकम के बारे में यह समझा जा सकेगा कि वह निर्धारिती की ऐसे वित्तीय वर्ष की आय है।

अस्पष्टीकृत व्यय आदि (धारा 69C):→

- जहाँ किसी निर्धारिती ने किसी वित्तीय वर्ष में कोई व्यय उपगत किया है और वह ऐसे व्यय या उसके भाग के स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे व्यय उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की आय समझी जाएगी।

आय के एक ही शीर्ष के अधीन एक स्रोत से होने वाली हानि का दूसरे स्रोत से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना (धारा 70):→

इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहाँ "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाले किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है, वहां निर्धारिती इस बात का हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति करा ले।

अभ्यास प्रश्न

1. आयकर, 1961 के संबंध में "DTAA" का पूर्ण रूप ______ है।

(a) डिस्ट्रिक्स टैक्स असैसमेंट अथॉरिटी

(b) डायरेक्ट टैक्स असैसमेंट अथॉरिटी

(c) डायरेक्ट टैक्स असैसमेंट अवॉइडैंस

(d) डबल टैक्सेशन अवॉइडैंस एग्रीमेंट

Sol. (d) दोहरा कर बचाव समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement) यह दो देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि है। एक देश को एक आकर्षक गंतव्य बनाने के साथ-साथ यह एनआरआई को कई बार करों का भुगतान करने से राहत पाने में सक्षम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया 'दान' आयकर अधिनियम, 1961 की .... के तहत कटौती योग्य है।

(a) धारा 80G (b) धारा 80D

(c) धारा 80C (d) धारा 80E

Sol. (a) कुछ राहत कोष और धर्मार्थ संस्थानों में किए गए योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है। हालाँकि, सभी दान धारा 80 G के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं। केवल निर्धारित निधि में किया गया दान ही कटौती के योग्य है।

3. यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम ____ के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं।

(a) 3 बच्चे (b) 4 बच्चे

(c) 1 बच्चा (d) 2 बच्चे

Sol. (d) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) की छूट धारा 10(14) के तहत दी जाती है। छूट की सीमा प्रति बच्चा ₹100 प्रति माह (अधिकतम 2 बच्चों के लिए) यानी अधिकतम ₹2,400 प्रति वर्ष तक की छूट।

यदि कोई Hostel Expenditure Allowance भी प्राप्त करता है, तो उसके लिए अतिरिक्त ₹300 प्रति माह प्रति बच्चा की छूट मिलती है (अधिकतम 2 बच्चों तक)

4. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है?

A) व्यक्ति B) कंपनी

C) फर्म D) एक स्थानी प्राधिकरण

(a) A,B और C (b) A

(c) A,B,C और D (d) A और B

Sol. (c) आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) के अंतर्गत निर्धारिती (Assessee) को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि कौन-कौन कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होता है। इस अधिनियम की धारा 2(7) (Section 2(7)) के अनुसार, "निर्धारिती" निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

निर्धारिती के प्रकार:

- व्यक्तिगत व्यक्ति (Individual): जैसे एक आम नागरिक।
- हिंदू अविभाजित परिवार (HUF & Hindu Undivided Family): एक संयुक्त हिंदू परिवार।
- कंपनी (Company): जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी।

फर्म (Firm): पार्टनरशिप फर्म या LLP (Limited Liability Partnership)

- एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP): दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एक साथ मिलकर कुछ कमाते हैं।
- बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI): व्यक्तियों का समूह, लेकिन गैर-कानूनी साझेदारी में।
- स्थानीय प्राधिकरण (Local Authority): जैसे नगर निगम या पंचायत।
- कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Juridical Person): जैसे ट्रस्ट, विश्वविद्यालय आदि जिन्हें कानूनन एक व्यक्ति माना गया है।

5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 D के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा आता है?

(a) उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान

(b) चिकित्सा बीमा प्रीमियम

(c) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

(d) विकलांग आश्रित का चिकित्सा उपचार

Sol. (b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 D पात्र करदाताओं को एक वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए कुल प्रीमियम पर कर कटौती का लाभ उठाने की अनुमति देती है।

6. आय कर का शुल्क, आयकर अधिनियम, 1961 की _____ के तहत परिभाषित किया गया है।

(a) धारा 3 (b) धारा 4

(c) धारा 5 (d) धारा 6

Sol. (b) आय कर का शुल्क, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया है।

7. एक करदाता के लिए पैन (PAN), आयकर अधिनियम, 1961 की ______ के तहत जारी किया जाता है।

(a) धारा 139B (b) धारा 129A

(c) धारा 129B (d) धारा 139A

8. आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए, कुल आय की गणना .... के आधार पर की जाती है।

(a) निर्धारिती की आवासीय स्थिति

(b) निर्धारिती का अधिवास

(c) आय के स्रोत की उत्पत्ति का स्थान

(d) निर्धारिती की नागरिकता

Sol. (a) भारत में आयकर देयता मुख्य रूप से आयकर अधिनियम के तहत करदाता की आवासीय स्थिति पर आधारित है।

CHAMPION PUBLICATION Gagan Pratap Sir

13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

संक्षिप्त नाम और विस्तार (धारा 1):→

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 है।
- इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों पर भी लागू है।
- यह अधिनियम **12 सितंबर 1988** से लागू हुआ।

परिभाषाएँ (धारा 2):→

इस अधिनियम में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,

- **"लोक कर्तव्य"** से अभिप्रेत है वह कर्तव्य; जिसके निर्वहन में राज्य, जनता या समस्त समुदाय का हित है।
- **"लोक सेवक"** से अभिप्रेत है–

(i) कोई व्यक्ति जो सरकार की सेवा या उसके वेतन पर है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से पारिश्रमिक पाता है।
(ii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक प्राधिकरण की सेवा या उसके वेतन पर है।
(iii) कोई व्यक्ति जो किसी निगम या किसी सरकारी कंपनी की सेवा या उसके वेतन पर है।
(iv) कोई न्यायाधीश,
(v) कोई व्यक्ति जो न्याय प्रशासन के संबंध में न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है।
(vi) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसको किसी न्यायालय द्वारा या किसी लोक प्राधिकरण द्वारा कोई मामला निर्देशित किया गया है।
(vii) कोई व्यक्ति जो निर्वाचन का संचालन करने के लिए सशक्त है।
(viii) कोई व्यक्ति जो किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत
(ix) कोई व्यक्ति जो कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंककारी में लगी हुई किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है।
(x) कोई व्यक्ति जो किसी सेवा आयोग या बोर्ड का, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है।
(xi) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, उसके किसी शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या कोई अन्य शिक्षक या कर्मचारी है।

नोट:–सरकार के लिए कमीशन पर कार्यरत कोई ठेकेदार लोक सेवक नहीं है।
(UP SI 2021, 27 Nov II shift, 29 Nov II shift)

- इस खंड के प्रयोजनों के लिए

(क) **"परितोषण"** शब्द या धन के रूप में प्राक्कलनीय परितोषणों तक सीमित नहीं है।
(ख) **"विधिक पारिश्रमिक"** पद किसी लोक सेवक को प्राप्त पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत ऐसे सभी पारिश्रमिक भी हैं, जो उसे सरकार या संगठन द्वारा, प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है।

अध्याय-2 (विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति)

विशेष न्यायाधीश नियुक्ति करने की शक्ति (धारा 3) :→

केंद्र सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगी:

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध
(ख) अपराधों में से किसी को रोकने के लिए षडयंत्र करने या करने का प्रयत्न या कोई दुष्प्रेरण।

कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।
(UP SI 2021, 30 Nov 1st shift)

विशेष न्यायाधीश द्वारा विचार करने वाले मामले (धारा 4):→

- प्रत्येक अपराध उस क्षेत्र के **विशेष न्यायाधीश** द्वारा जिसमें वह अपराध किया गया है या जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, द्वारा विचारणीय होगा। (UP SI 2021, 30 Nov Ist Shift)
- किसी अपराध का विचारण, **दैनिक आधार** पर किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त विचारण **दो वर्ष की अवधि के भीतर** पूरा कर दिया जाए।

प्रक्रिया और विशेष न्यायाधीश की शक्तियाँ (धारा 5):→

- विशेष न्यायाधीश अभियुक्त के विचारणार्थ सुपुर्द किए बिना भी अपराधों का संज्ञान कर सकता है, और वह अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट के मामलों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। UP SI 2021, 28 Nov III shift)
- विशेष न्यायाधीश, किसी व्यक्ति को साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी अपराध से शामिल है, अपराध से संबंधित अपनी जानकारी का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है।
- विशेष न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोक्तव्य सभी सिविल शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा।
- इस अधिनियम में विशेष न्यायाधीश **एक मास से अनधिक** के कारावास का और **दो हज़ार रुपए से अनधिक** के जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, तो दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई **अपील नहीं** की जाएगी, किंतु जहाँ विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक कोई दंडादेश पारित किया जाता है, वहाँ अपील होगी।

अध्याय-3 (अपराध और शास्तियाँ)

लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित (धारा 7):→

ऐसा कोई लोक सेवक जो,

- या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा अनुचित रूप से लोक कर्तव्य का पालन करने या करवाने के आशय से किसी व्यक्ति से कोई लाभ प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।
- या तो स्वयं या किसी अन्य लोक सेवक द्वारा, किसी लोक कर्तव्य का अनुचित रूप से या पालन करने के लिए या ऐसे कर्तव्य के पालन से प्रविरत रहने के लिए इनाम प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा;

वह **कम से कम तीन वर्ष** तथा **अधिकतम सात वर्ष के कारावास** से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (UP SI 2021, 22 Nov (Shift I))

लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या वैयक्तिक असर का प्रयोग करके लाभ लेना (धारा 7क):→

जो, कोई अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी लोक सेवक को, भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या अपने वैयक्तिक असर के प्रयोग द्वारा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। वह कम से कम **तीन वर्ष** तथा अधिकतम **सात वर्ष** के कारावास से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

किसी लोक सेवक को रिश्वत दिए जाने से संबंधित अपराध (धारा 8):→

ऐसा कोई व्यक्ति जो:-

(i) किसी लोक सेवक को कोई लोक कर्त्तव्य का अनुचित रूप से पालन करने हेतु, या

(ii) ऐसे लोक सेवक को लोक कर्त्तव्य का अनुचित रूप से पालन किए जाने के लिए इनाम देने के आशय से, किसी अन्य व्यक्ति को लाभ देगा या देने का वचन देगा, वह **सात वर्ष** के कारावास से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

- परंतु इस धारा के उपबंध वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ किसी व्यक्ति को ऐसा असम्यक् लाभ देने के लिए विवश किया गया है; परंतु इस प्रकार विवश व्यक्ति ऐसा लाभ देने की तारीख से सात दिन के भीतर इस मामले की रिपोर्ट विधि प्राधिकारी को देगा:
- परंतु अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है वहाँ ऐसा वाणिज्यिक संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किसी लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध (धारा 9):→

जहाँ कोई अपराध किसी वाणिज्यिक संगठन द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसा संगठन जुर्माने से दंडनीय होगा।

वाणिज्यिक संगठन के भारसाधक व्यक्ति का अपराध का दोषी होना (धारा 10):→

किसी न्यायालय में ऐसे अपराध का वाणिज्यिक संगठन के किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से किया जाना साबित हो जाता है, वहाँ वह अपराध का दोषी होगा तथा वह कम से कम **तीन वर्ष** तथा अधिकतम **सात वर्ष** के कारावास से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबद्ध व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना लाभ प्राप्त करता है (धारा 11):→

जो कोई लोक सेवक होते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है या नातेदारी रखता है, किसी लाभ को प्राप्त करेगा, या प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह **कम से कम छह माह** तथा **अधिकतम पांच वर्ष के कारावास** से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

अपराधों के दुष्प्रेरणा के लिए दंड (धारा 12):→

जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरणा करेगा, वह **कम से कम तीन वर्ष** तथा **अधिकतम सात वर्ष के कारावास** से दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

लोक सेवक द्वारा अपराधिक अवचार (धारा 13):→

कोई लोक सेवक अपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा:-

- यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है; या
- यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आशय को समृद्ध करता है।
- कोई लोक सेवक जो आपराधिक अवचार करेगा कम से कम **चार वर्ष** किंतु अधिकतम **दस वर्ष**, कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (UP SI 2021, 13 Nov III Shift)

अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड (धारा 14):→

जिसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, उसके पश्चात् भी कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि **पाँच वर्ष** से कम नहीं होगी, किंतु जो **दस वर्ष** तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

प्रयत्न के लिए दंड (धारा 15):→

जो कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से और जिसकी अवधि **दो वर्ष** से कम की नहीं होगी, किंतु **पांच वर्ष** तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

अध्याय-4 (इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण)

अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (धारा 17):→

निम्नलिखित की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी:-

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में, **पुलिस निरीक्षक**

(ख) मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद के महानगरीय क्षेत्रों में **सहायक पुलिस आयुक्त**;

(ग) अन्यत्र, **उप पुलिस अधीक्षक**, या समतुल्य रैंक का पुलिस अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत है।

बैंककारी बहियों के निरीक्षण की शक्ति (धारा 18):→

यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा किसी पुलिस अधिकारी के पास किसी ऐसे अपराध के किए जाने का संदेह का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए सशक्त है तो वह किन्हीं बैंकाकार बहियों का निरीक्षण कर सकेगा।

परंतु, शक्ति का प्रयोग पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

अध्याय-4A (संपत्ति की कुर्की और समपहरण)

दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 के उपबंधों का इस अधिनियम के कुर्की को लागू होना (धारा 18A):→

इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन का धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होंगे।

अध्याय-5

(अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी और अन्य प्रकीर्ण उपबंध)

- **धारा 19** के तहत रिश्वत के आरोपी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना (धारा 21):→

इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा और वह अपने विरुद्ध या उसी विचार में अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा। (UP SI 2021, 20 Nov II Shift)

- परंतु साक्ष्य देने में उसकी असफलता पर अभियोजन पक्ष कोई टीका-टिप्पणी नहीं करेगा।
- साथ ही कोई ऐसा प्रश्न जिस अपराध का आरोप उस पर लगाया गया है उससे भिन्न किये गए अपराध के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा या पूछे जाने पर उसका उत्तर देने की उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- **अपील और पुनरीक्षण (धारा 27)**: इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए **उच्च न्यायालय**, प्रदत्त अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, मानों विशेष न्यायाधीश का न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाले सेशन न्यायालय है।

अभ्यास प्रश्न

1. एक लोक सेवक द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा .... के तहत निपटाया जा हैं।

(a) धारा 2 (b) धारा 4
(c) धारा 7 (d) धारा 13

Sol. (d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के तहत कोई भी लोक सेवक, जो आपराधिक कदाचार करता है, कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि चार वर्ष से कम नहीं होगी जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, वर्ष ________ में पारित किया गया था।

(a) 1955 (b) 1988
(c) 1986 (d) 1950

Sol. (b) सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिनियमित।

- निजी रिश्वतखोरी को कवर करने के लिए 2018 में संशोधित किया गया।
- 1955: विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम।
- 1986: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम।

3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रयोजन के लिए कौन लोक सेवक नहीं है?

(a) सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार
(b) विश्वविद्यालय का कुलपति
(c) एक न्यायाधीश
(d) एक न्यायालय द्वारा नियुक्त एक परिसमापक

Sol. (a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, का उद्देश्य लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार से निपटना है। लेकिन यह वाणिज्यिक या निजी क्षेत्र की रिश्वतखोरी को कवर नहीं है। इसलिए सरकार के लिए कमीशन के आधार पर कार्य करने वाला ठेकेदार को सम्मिलित नहीं किया गया तथा अन्य पद इसके अंतर्गत आते है।

4. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश, __________ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे।

(a) नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1906
(b) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
(c) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
(d) भारतीय दण्ड संहिता, 1860

Sol. (c) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाना था, इसके लिए उनके दायरे को बढ़ाना था तथा प्रावधानों को मजबूत करके समग्र कानून को और अधिक प्रभावी बनाना था। दंड प्रक्रिया संहिता में वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को _____ की अनुमति है।

(a) अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनने
(b) अभियोजन से प्रतिरक्षा का दावा करने
(c) अपनी पंसद के वकील से सलाह प्राप्त करने
(d) 'इन कैमरा' ट्रायल की मांग करने

Sol. (a) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 121 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह को अनुमति देता है।

14 मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम

मोटर यान अधिनियम, 1988

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

मोटर यान अधिनियम 1988 के महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित है-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (धारा 1):→

- **संक्षिप्त नाम:** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "मोटर यान अधिनियम, 1988" है।
- यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है।

नोट: यह अधिनियम **1 जुलाई 1989** में लागू हुआ।

परिभाषाएँ (Definitions) (धारा 2):→

इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं, जो आगे के प्रावधानों को समझने में मदद करती हैं:

2(3). धुरी भार:

- यह उस धुरी के साथ जुड़े पहियों द्वारा, यान के नीचे भू-तल पर संप्रेषित कुल भार का माप है। यह भार, यान के वजन का एक महत्वपूर्ण निर्धारण होता है, विशेषकर जब भारी वाहनों का संचालन हो।

2(4). रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र:

- यह प्रमाणपत्र वह दस्तावेज है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाता है और यह प्रमाणित करता है कि वाहन को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टर किया गया है।

2(5). कंडक्टर (मंजिली गाड़ी के संदर्भ में):

- वह व्यक्ति जो यात्रियों से किराया प्राप्त करने, उनका वाहन में प्रवेश और बाहर निकलना नियंत्रित करने, और अन्य संबंधित कार्यों को संपन्न करने में लगा होता है, जिसे "कन्डक्टर" कहा जाता है।

2(6). कन्डक्टर अनुज्ञप्ति:

- यह वह अनुज्ञप्ति (परमिट) है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है और जो किसी व्यक्ति को कन्डक्टर के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है।

2(16). भारी माल यान:

- ऐसा माल वाहन, जिसका सकल यान भार (Gross Vehicle Weight) या लदान रहित भार (Unladen Weight) **12,000 किलोग्राम से अधिक** है।
- इसमें ट्रैक्टर या रोड-रोलर भी शामिल हैं, अगर उनका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है।

2(17). भारी यात्री मोटर यान:

- यह कोई लोक सेवा यान, प्राइवेट सेवा यान, शिक्षा संस्था बस या बस हो सकता है, जिसका सकल यान भार या लदान रहित भार **12,000 किलोग्राम से अधिक** है। UP SI 2021, 27 Nov (III)
- इसमें मोटर कार भी शामिल है, जिसका लदान रहित भार **12,000 किलोग्राम से अधिक** है।

2(21). हल्का मोटर यान:

- ऐसा परिवहन यान या बस, जिसका सकल यान भार या लदान रहित भार **7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं** है।
- यह मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड-रोलर भी हो सकता है।

UP SI 2021, 1 dec (II)

2(21क.) विनिर्माता:

- यह वह व्यक्ति है जो मोटर यानों के निर्माण में संलिप्त है।
- यह व्यक्ति मोटर यान निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है।

2(22). बड़ी टैक्सी:

- यह एक ऐसा मोटर यान है, जो भाड़े पर **6 से अधिक लेकिन 12 से कम यात्रियों** का वहन करता है। UP SI 2021, 29 Nov (I)
- **इसमें ड्राइवर शामिल नहीं है,** और यह विशेष रूप से यात्रियों को वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित होता है।

2(25). मोटर टैक्सी:

- यह एक ऐसा मोटर यान है, जो भाड़े पर **6 यात्रियों तक** का वहन करता है।
- इसमें ड्राइवर शामिल नहीं है और यह यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित होता है।

2(40). मंजिली गाड़ी (Stage Carriage + सार्वजनिक बस):

- मंजिली गाड़ी वह मोटर यान है, जो भाड़े या पारिश्रमिक पर **छह से अधिक** यात्रियों को लेकर यात्रा करता है। UP SI 2021, 23 Nov (III)
- इसमें ड्राइवर शामिल नहीं होता है और यह यात्रा के विभिन्न मंजिलों तक यात्रियों को पहुंचाने के लिए निर्मित या अनुकूलित होता है।
- इस गाड़ी में यात्रियों से **अलग-अलग किराए** लिए जाते हैं, जो प्रत्येक यात्री द्वारा या उनकी ओर से दिए जाते हैं।

2(45). यातायात संकेत:

यातायात संकेत में सभी प्रकार के संकेत शामिल हैं, जैसे:

- चेतावनी-संकेत स्तंभ
- दिशा सूचक स्तंभ
- सड़कों पर चिह्नांकन
- और अन्य युक्तियाँ जो मोटर यानों के ड्राइवरों के लिए उपयोगी होती हैं।

अध्याय-3 (मोटर यानों के ड्राइवरों का अनुज्ञापन)

चालन-अनुज्ञप्ति (Driving License) की आवश्यकता (धारा 3):→

- कोई व्यक्ति केवल तभी किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चला सकता है जब उसके पास प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति हो, जो उसे यान चलाने के लिए प्राधिकृत करती हो। UP SI 2021, 16 Nov (II), 24 Nov II, 1 dec (III)
- वे शर्तें, जिनके अंतर्गत शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति को यान चलाने की अनुमति मिलती है, केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाती हैं।

मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा (धारा 4):→

- कोई व्यक्ति **18 वर्ष से कम आयु** का होने पर सार्वजनिक स्थान पर **मोटर यान नहीं चला सकता।**
- **16 वर्ष** की आयु के बाद व्यक्ति **50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल चला सकता है।** UP SI 2021, 28 Nov (I)
- कोई भी व्यक्ति, जो **20 वर्ष से कम है, सार्वजनिक स्थान पर परिवहन यान नहीं चला सकता।**

धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व

- मोटर यान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को वाहन नहीं चलवाएगा, न ही उसे अनुज्ञप्ति देगा।

चालन-अनुज्ञप्तियां धारण करने पर निर्बंधन (धारा 6):→

- कोई व्यक्ति उस समय तक अन्य चालन-अनुज्ञप्ति धारण नहीं करेगा जब तक कि वह शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन-अनुज्ञप्ति के अनुसार मोटर यान चलाने के लिए प्राधिकृत न हो।
- कोई चालन अनुज्ञप्ति धारक किसी अन्य व्यक्ति को अपनी अनुज्ञप्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।
- अनुज्ञापन प्राधिकारी को, यदि वह सही समझे, किसी अन्य वर्ग के यान चलाने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, जो वर्तमान में धारक के पास उपलब्ध है।

कुछ यानों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learner license) के दिए जाने पर निर्बंधन (धारा 7):→

- किसी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तभी दी जाएगी जब उसने **कम से कम 1 वर्ष तक** हल्का मोटर यान चलाने की चालन अनुज्ञप्ति धारण की हो। UP SI 2021, 21 Nov (II), 30 Nov (III)
  - **ई-गाड़ी या ई-रिक्शा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।**
- **18 वर्ष से कम आयु** के व्यक्ति को **बिना गियर वाली मोटर साइकिल** चलाने की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति तभी दी जाएगी जब उसने देख-रेख करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त की हो।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Application for driving licence) (धारा 8):→

- कोई भी व्यक्ति यदि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 'निर्धारित प्रपत्र में आवेदन' करना होगा।
- यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है, तो वह मोटर वाहन नहीं चला सकता (बिना गियर के दोपहिया वाहन के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष है)।
- 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले या परिवहन वाहन चलाने के इच्छुक व्यक्ति को 'चिकित्सकीय प्रमाणपत्र' देना होगा।

ड्राइविंग लाइसेंस की मंजूरी (Grant of driving licence) (धारा 9):→

सक्षम अधिकारी (Licensing Authority) तभी ड्राइविंग लाइसेंस देगा जब:

- वह व्यक्ति 'योग्य' पाया जाए।
- उसने 'लर्निंग लाइसेंस' की अवधि पूरी कर ली हो।
- उसने 'ड्राइविंग टेस्ट' पास किया हो।
- यदि व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो लाइसेंस 'रद्द' किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस का प्रारूप तथा अंतर्वस्तु (Format and Contents of Driving Licence) (धारा 7):→

यह धारा निर्धारित करती है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार के वाहन के लिए होगा, जैसे:

- मोटरसाइकिल (बिना गियर/गियर सहित)
- हल्का मोटर वाहन (LMV)
- भारी माल वाहन (HMV)
- भारी यात्री वाहन (HPV)
- ई-रिक्शा, ट्रैक्टर आदि

लाइसेंस में वाहन की 'विशिष्ट श्रेणी' का उल्लेख होना चाहिए।

मोटर यानों के चलाने की शिक्षा देने के लिए विद्यालयों या स्थापनों का अनुज्ञापन और विनियमन (धारा 12) :→

- **अनुज्ञापन और विनियमन:**
  - **केंद्रीय सरकार**, मोटर यानों के चलाने और उससे संबंधित विषयों में शिक्षा देने के लिए विद्यालयों या स्थापनों (जो किसी भी नाम से ज्ञात हों) के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए नियम बना सकती है। ये नियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाएंगे।
- **विशेष छूट:**
  - यदि केंद्रीय सरकार को लगता है कि आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह निर्धारित नियमों के द्वारा मोटर यान के चलाने या उससे संबंधित शिक्षा देने वाले किसी वर्ग के विद्यालयों या स्थापनों को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है। यह छूट शर्तों के अधीन हो सकती है।
- **पूर्ववर्ती विद्यालयों का अनुकूलन:**

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले मोटर यानों के चलाने की शिक्षा देने वाला कोई विद्यालय या स्थापन अनुज्ञप्ति के अधीन नहीं था, तो वह एक महीने तक बिना अनुज्ञप्ति के शिक्षा देना जारी रख सकता है, बशर्ते:

  - उसने इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया हो।
  - आवेदन में विहित प्ररूप और विशिष्टियां हों, और संबंधित फीस जमा की गई हो।
  - आवेदन की प्रक्रिया के निपटाए जाने तक शिक्षा दी जा सकती है।

धारा 14:→ मोटर यानों को चलाने की अनुज्ञप्तियों का चालू रहना

1. **शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की अवधि:**
   - किसी व्यक्ति को दी गई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (Learner license) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, दी जाने की तारीख से **छह महीने तक** प्रभावी रहेगी। UP SI 2021, 30 Nov (II), 1 dec (I)
2. **नवीकृत चालन-अनुज्ञप्ति:**
   - परिवहन यान को चलाने के लिए दी गई चालन-अनुज्ञप्ति **तीन साल तक** प्रभावी रहेगी।
   - यदि व्यक्ति **खतरनाक माल को ले जाने वाला यान** चला रहा है, तो वह अनुज्ञप्ति **एक साल तक** प्रभावी रहेगी और नवीकरण के लिए चालक को एक दिन का पुनः शिक्षा पाठ पूरा करना होगा।

- **अन्य चालन अनुज्ञप्तियों के लिए:**
  - यदि व्यक्ति ने नवीकरण के समय **50 वर्ष** की आयु प्राप्त नहीं की है, तो अनुज्ञप्ति **20 साल तक** प्रभावी रहेगी, या जब तक वह 50 वर्ष का न हो जाए, जो भी पहले हो।
  - यदि व्यक्ति **50 वर्ष से अधिक** आयु का है, तो उसे नवीकरण पर **5 साल तक** प्रभावी अनुज्ञप्ति मिलेगी।
- **समाप्ति के बाद प्रभाव:** अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद भी, वह **30 दिनों तक प्रभावी** बनी रहती है, ताकि नवीकरण की प्रक्रिया जारी रह सके।

धारा 15:→ चालन-अनुज्ञप्तियों का नवीकरण

1. **नवीकरण की प्रक्रिया:**
   - कोई भी अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन पर चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकता है।
   - यदि आवेदन अनुज्ञप्ति समाप्त होने के 30 दिन बाद किया गया हो, तो नवीकरण उसी दिन से प्रभावी होगा।
   - यदि यह परिवहन यान से संबंधित है या व्यक्ति ने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो उसे चिकित्सा प्रमाणपत्र भी देना होगा।
2. **नवीकरण के लिए आवेदन:**
   - आवेदन विहित प्रारूप में किया जाएगा और उसमें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज होंगे।
3. **नवीकरण के लिए फीस:**
   - यदि आवेदन अनुज्ञप्ति की समाप्ति से **30 दिन के भीतर** किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित **सामान्य फीस** देनी होगी।
   - यदि आवेदन **30 दिन से अधिक** देर से किया जाता है, तो नवीकरण के लिए **देय फीस अधिक** होगी। इसके लिए संपूर्ण कारण भी प्राधिकृत किया जाएगा।
4. **अनुज्ञप्ति के नवीकरण से इंकार:**
   - यदि आवेदन **पाँच साल से अधिक समय बाद** किया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण इंकार कर सकता है।
   - फिर, आवेदक को **चालन सक्षमता परीक्षण** देना होगा, और उसमें उत्तीर्ण होने पर ही नवीकरण किया जा सकेगा।

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड

- बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जायेगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और ₹25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।
- यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो ₹500 जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर ₹500 की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी ₹5,000 के जुर्माने का प्रावधान है।

बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर ₹5,000 जुर्माना

बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर ₹500 से बढ़ा कर ₹5,000, ओवरस्पीडिंग पर ₹400 से बढ़ा कर ₹1000-2000 बिना सीटबेल्ट ड्राइविंग करने पर ₹100 से बढ़ा कर ₹1,000 जुर्माना लगेगा।

ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर ₹5,000 जुर्माना

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने पर ₹1,000 की जगह ₹5,000 जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही, लाइसेंस रिन्यू कराने की अंतिम तारीक एक महीने से बढ़ा कर एक साल कर दी गई है। यानी कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा।

जानें नए संशोधित नियमों के तहत कितना देना होगा जुर्माना

धाराएं		वर्तमान में जुर्माना	प्रस्तावित जुर्माना राशि
177	सामान्य	₹100	₹500
नया 177A	सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम	₹100	₹500
178	बिना टिकट सफर	₹200	₹500
179	अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना	₹500	₹2000
180	बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग	₹1000	₹5000
181	बिना लाइसेंस के वाहन चलाना	₹500	₹5000
182	अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग	₹500	₹10000
182B	ओवरसाइज वाहन	नया	₹5000
183	ओवर स्पीडिंग	₹400	एलएमवी के लिए ₹1000, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए ₹2000
184	खतरनाक ड्राइविंग	₹1000	₹5000 तक
185	नशे में ड्राइविंग	₹2000	₹10000
186	मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने में अयोग्य होने पर वाहन चलाना	पहले अपराध के लिए ₹200 रुपये और subsequent अपराध के लिए ₹500/-	पहले अपराध के लिए ₹1000/- और subsequent अपराध के लिए ₹2000/-
187	दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों के लिए दंड	पहले अपराध के लिए 3 महीने तक की सजा, दूसरे अपराध के लिए 6 महीने तक की सजा	पहले अपराध के लिए 6 महीने की सजा और subsequent अपराध के लिए 1 साल की सजा
189	स्पीडिंग/रेसिंग	₹500	₹5000
192A	बिना परमिट का वाहन	₹5000 तक	₹10000 तक
193	एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए	नया	₹25,000 से ₹100,000 तक
194	ओवरलोडिंग	₹2000 और प्रति टन ₹1000 अतिरिक्त	₹20,000 और प्रति टन ₹2,000 अतिरिक्त
194A	यात्रियों की ओवरलोडिंग	नया	₹200 प्रति यात्री
194B	सीट बेल्ट	₹100	₹1000
194C	दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन	₹100	₹1000, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194D	हेलमेट	₹100	₹1000 और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194E	इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देना	नया प्रावधान	₹10,000, 6 माह तक कैद
196	बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग	₹1000	₹2000, 3 माह तक कैद
199*	नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग	नया प्रावधान	₹25000
206	अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार	नया प्रावधान	अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन।
210B	कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन	नया प्रावधान	संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

*पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही ₹25,000 जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिक पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।

सचेतक चिन्ह (CAUTIONARY ROAD SIGN)

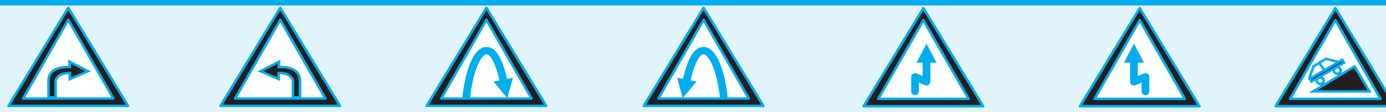

दाहिना मोड़ Right Hand Curve | बायां मोड़ Left Hand Curve | दाहिना घुमावदार मोड़ Right Hair Pin Bend | बायां घुमावदार मोड़ Left Hair Pin Bend | दाहिने मुड़कर फिर आगे Right Reverse Bend | बाएं मुड़कर फिर आगे Left Reverse Bend | खड़ी चढ़ाई Steep Ascent

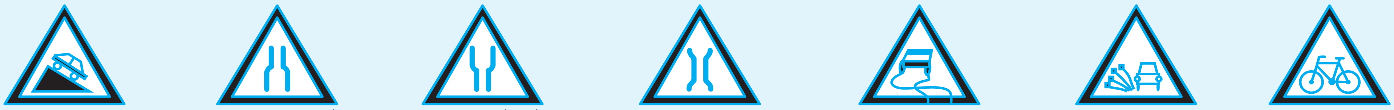

सीधी ढलान Steep Descent | आगे रास्ता संकरा है Narrow Road Ahead | आगे रास्ता चौड़ा है Road Widens Ahead | संकरा पुल Narrow Bridge | फिसलन भरी सड़क Slippery Road | बिखरी बजरी Loose Gravel | साईकिल क्रॉसिंग Cycle Crossing

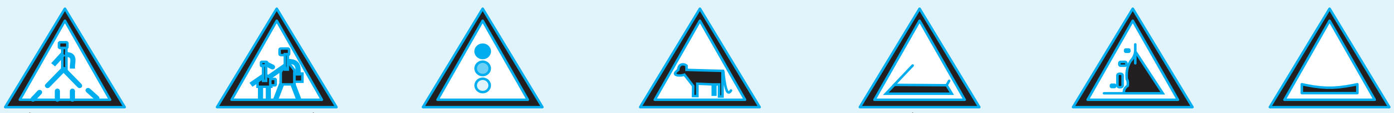

पैदल क्रॉसिंग Pedestrian Crossing | आगे स्कूल है School Ahead | यातायात संकेतक Traffic Signal | पशु Cattle | नौका Ferry | पत्थर लुढ़कने की संभावना Falling Rocks | खतरनाक गहराई Dangerous Dip

उभार या ऊबड़-खाबड़ सड़क Hump or Rough Road | आगे अवरोध है Barrier Ahead | मध्य पट्टी में अंतर Gap in Median | चौराहा Cross Road | बायीं ओर पार्श्व सड़क Side Road Left | टी - तिराहा T - Intersection | वाई - सड़क संगम Y - Intersection

वाई - सड़क संगम Y - Intersection | विषम सड़क संगम Staggered Intersection | विषम सड़क संगम Staggered Intersection | गोल चक्कर Round About | घाट या नदी का किनारा Quayside or River Bank | आदमी काम कर रहे है Men at Work | रक्षित समपार क्रॉसिंग Guarded Level Crossing

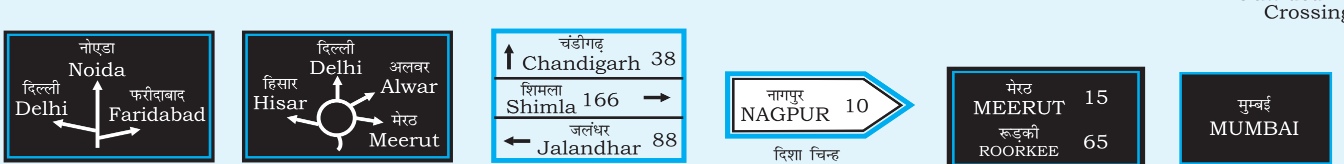

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह Advance Direction Sign | गोलचक्कर चौराहे पर अग्रिम गंतव्य चिन्ह Advance Destination sign on Rotatory Intersection | अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह (दूरी सहित) Advance Direction Sign (with distance) | दिशा चिन्ह Direction Sign | प्रमाणित चिन्ह Confimetry Sign | स्थान पहचान चिन्ह Place Identification Sign

पेट्रोल पम्प Petrol Pump | अस्पताल Hospital | प्राथमिक उपचार केंद्र First Aid Post | भोजन स्थान Eating Place | अल्पाहार (जलपान) Light Refreshment | विश्राम स्थल Resting Place | सड़क बंद है No Thorough Road

बस स्टॉप Bus Stop | रेलवे स्टेशन Railway Station | सार्वजनिक टेलीफोन Public Telephone | आगे सुरंग है Tunnel Ahead | पैदल पथ सबवे Pedestrian Subway | दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़े करने की जगह Park Both Sides | साइकिल खड़ी करने की जगह Parking Lot Cycles

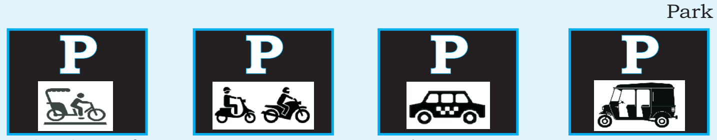

साइकिल रिक्शा खड़ी करने की जगह Parking Lot Cycle Rickshaws | स्कूटर व मोटरसाइकिलें खड़ी करने की जगह Parking Lot Scooter and Motor Cycles | टैक्सियाँ खड़ी करने की जगह Parking Lot Taxis | ऑटो रिक्शा खड़ी करने की जगह Parking Lot Auto Rickshaws

आदेशात्मक सड़क चिन्ह (MANDATORY ROAD SIGNS)

वापस मुड़ना (यू-टर्न) मना है।
U-Turn Prohibited

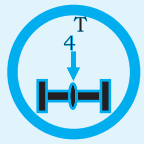

एक्सल भार सीमा (सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं)
Axle Load Limit

प्रवेश वर्जित है।
No Entry

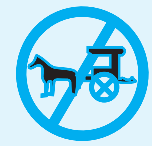
तांगों का आना मना है।
Tongas Prohibited

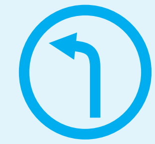
आगे चलकर बाएं मुड़ना अनिवार्य है।
Compulsory Turn Left Ahead

ओवरटेकिंग (आगे निकलना) मना है।
Overtaking Prohibited

गति सीमा
Speed Limit

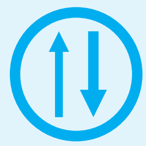
आने वाले वाहन को प्राथमिकता दें
Priority for Oncoming Traffic

हाथ ठेलों का आना मना है।
Hand Cart Prohibited

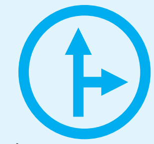
आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है।
Compulsory Ahead or Turn Right

हॉर्न बजाना माना हैं।
Horn Prohibited

गाड़ी खड़ी करना मना है।
No Parking

सभी मोटर वाहनों का आना मना है।
All Motor Vehicles Prohibited

साइकिलों का आना मना है।
Cycle Prohibited

आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है।
Compulsory Ahead or Turn Left

चौड़ाई सीमा (2 मीटर से ज्यादा चौड़े वाहन वर्जित हैं)
Width Limit

गाड़ी रोकना या खड़ा करना मना है।
No Stopping or Standing

ट्रकों का आना मना है।
Truck Prohibited

पदयात्रियों का आना मना है।
Pedestrians Prohibited

बाएं रहकर चलना अनिवार्य है।
Compulsory Keep Left

ऊंचाई सीमा (3.5 मीटर से ऊँचेवाहन वर्जित हैं)
Height Limit

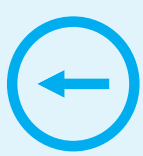
बाएं मुड़ना अनिवार्य हैं।
Compulsory Turn Left

बैलगाड़ियों और हाथठेलों का आना माना है।
Bullock & Hand Cart Prohibited

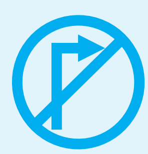
दाएं मुड़ना मना है।
Right Turn Prohibited

अनिवार्य साइकिल मार्ग
Compulsory cycle track

लंबाई सीमा (10 मीटर से अधिक लंबाई के वाहन वर्जित हैं)
Length Limit

आगे चलना अनिवार्य है। (केवल आगे)
Compulsory Ahead (Ahead Only)

बैलगाड़ियों का आना मना है।
Bullock Cart Prohibited

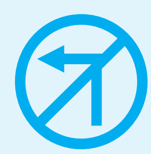
बाएं मुड़ना मना है।
Left Turn Prohibited

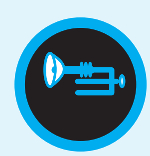
हॉर्न बजाना अनिवार्य है।
Compulsory Sound Horn

भार सीमा (5 टन से अधिक भार का वाहन वर्जित हैं)
Load Limit

आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है।
Compulsory Turn Right Ahead

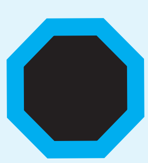
रूकिए
Stop

रास्ता दीजिए
Give Way

अनिवार्य न्यूनतम गति
Compulsory Minimum Speed

अभ्यास प्रश्न

1. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर .... रूपये का जुर्माना लगता है।

(a) 1500 (b) 5000

(c) 500 (d) 1000

Sol. (b) अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इन मामलों में जुर्माना 10 गुना बढ़ाया गया है। पहले बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था।

2. मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजे का दावा करने का अधिकार 'मोटर वाहन अधिनियम', 1988 की .... के तहत आता है।

(a) धारा 203 (b) धारा 141

(c) धारा 66 (d) धारा 3

Sol. (b) किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी अपंगता के संबंध में धारा 141 के तहत मुआवजे का दावा यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा और जहाँ धारा 141 के तहत ऐसी मृत्यु या स्थायी अक्षमता के संबंध में मुआवजे का दावा किया जाता है वहाँ ऐसे मुआवजे के दावे पहले स्थान पर पूर्वोक्त रूप में निपटाया जाएगा।

3. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि .... रूपए है।

(a) 25000 (b) 5000

(c) 2000 (d) 10000

Sol. (a) पहले की तरह इसके लिए किशोर को कोई सजा नहीं है लेकिन वाहन के मालिक या नाबालिग चालक के अभिभावक को अब 25000 रुपये का जुर्माना और 3 साल के कारावास का सामना करना पड़ सकता है। (धारा 199)

4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की किस धारा के तहत बिना पास या टिकट के यात्रा करने पर प्रतिबंध है?

(a) धारा 185 (b) धारा 129

(c) धारा 180 (d) धारा 124

Sol. (d) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 124 के अनुसार, चार वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति, को बिना पास या टिकट के यात्रा को प्रतिबंधित किया गया है।

5. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग/रेसिंग के लिए जुर्माना राशि ____ रुपए है।

(a) 5000 (b) 4000

(c) 10000 (d) 2000

Sol. (a) मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार तेज गति से वाहन चलाने/रेसिंग करने पर जुर्माना 5000 रुपये है। कुछ अन्य यातायात उल्लंघन और उनके दंड:-

- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना – ₹5000
- बिना लाइसेंस के वाहन चलाना – ₹5000
- बीमा के बिना वाहन चलाना – ₹2000
- सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनना – ₹1000

6. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक मोटर वाहन नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास वाहन चलाने हेतु अधिकृत करने वाला एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस न हो। यह _________ के तहत प्रदत्त है।

(a) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 8(1)

(b) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3(1)

(c) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 10(2)

(d) Section 9(3) of the Motor Vehicles Act, 1988
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 9(3)

Sol. (b) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चला सकता है।

- धारा 8(1): ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित है।
- धारा 10(2): वाहनों का वर्गीकरण जिसके लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।
- धारा 9(3): लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया।
- यातायात उल्लंघन के लिए दंड बढ़ाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 2019 में संशोधन किया गया था।

7. श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत, यदि कोई व्यक्ति .... से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा दंडित किया जाएगा। (धारा 185)

(a) 50 mg. प्रति रक्त 200 ml.

(b) 30 mg. प्रति रक्त 200 ml.

(c) 50 ml. प्रति 100 ml. रक्त

(d) 30 ml. प्रति 100 ml. रक्त

Sol. (d) श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत, शराब के नशे में या नशे में गाड़ी चलाने की सीमा तब होती है जब किसी व्यक्ति के रक्त में एल्कोहल का स्तर 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त से अधिक हो जाता है।

8. तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग _______ के तहत निषिद्ध

(a) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 148

(b) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 69(2)

(c) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146(1)

(d) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 6(1)

Sol. (c) धारा 146 (1) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग या उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि इस अध्याय की आवश्यकता का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो।

9. अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना.......के तहत दंडनीय है।

(a) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 110

(b) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 183

(c) मोटर वाहन अधिनिमय, 1988 की धारा 112

(d) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 186

Sol. (c) मोटर वाहन अधिनिमय, 1988 की धारा 112 के अंतर्गत जो कोई भी निर्दिष्ट गति सीमा के उल्लंघन में मोटर वाहन चलाता है, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो चार सौ रुपये तक हो सकता है।

15 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

कुछ मामलों में निवारक निरोध का और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

संक्षिप्त नाम और विस्तार (धारा 1):→

(i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 है।

इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएँ (धारा 2):→

इस अधिनियम में,

- केंद्रीय सरकार अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, **"समुचित सरकार"** से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है, तथा किसी राज्य सरकार के अधीन निरुद्ध व्यक्ति के संबंध में, राज्य सरकार अभिप्रेत है।
- **"निरोध-आदेश"** से धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है;
- **"विदेशी"** का वही अर्थ है जो विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में है;
- **"व्यक्ति"** के अंतर्गत कोई विदेशी भी है;
- संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से, उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति (धारा 3):→

- यदि **केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार** को, किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे **भारत की सुरक्षा** पर, भारत के **विदेशी सरकारों से संबंधों** पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह उस व्यक्ति को निरुद्ध करने का आदेश देगी। (UP SI 2021, 13 Nov III shift, 14 Nov II, 15 Nov I, 30 Nov I)
- यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह **लिखित आदेश** द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसी अवधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।
- परंतु आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि, प्रथम बार में **तीन मास** से अधिक की नहीं होगी, तथा आदेश को, समय-समय पर संशोधित करके ऐसी अवधि को, एक बार में अधिक से अधिक **तीन मास** तक के लिए, बढ़ा सकेगी।
- जब इस धारा के अधीन **कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है** तो वह उस तथ्य की रिपोर्ट उस सरकार को तुरंत भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है और साथ ही वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, भी भेजेगा और ऐसा कोई आदेश, उसके किए जाने की तारीख से, **बारह दिन से अधिक तभी प्रवृत्त रहेगा जबकि इस राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है।** (UP SI 2021, 16 Nov II Shift)
- जब कोई **आदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाता** है या तो राज्य सरकार उस तथ्य की रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को, **सात दिन** के भीतर भेजेगी और साथ ही वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, भी भेजेगी।
- जब इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तो वह उस तथ्य की रिपोर्ट उस राज्य सरकार को तुरंत भेजेगा जिसके वह अधीनस्थ है और साथ ही वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, भी भेजेगा और ऐसा कोई आदेश, उसके किए जाने की तारीख से, **बारह दिन** से अधिक तभी प्रवृत्त रहेगा जबकि राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है।
- **निरोध-आदेशों का निष्पादन (धारा 4)**– निरोध-आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन के लिए उपबंधित है।

निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति (धारा 5):→

प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध-आदेश किया गया है-

- ऐसे स्थान पर और ऐसी दशाओं में, जिनके अंतर्गत भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिए दंड भी है, निरुद्ध किया जा सकेगा जो समुचित सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; और
- निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को, चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में, समुचित सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा:
- परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाने का आदेश उस अन्य राज्य की सरकार की सम्मति के बिना नहीं करेगी।

निरोध के आधारों का पृथक् किया जाना (धारा 5क) :→

जहाँ कोई व्यक्ति निरोध-आदेश के अनुसरण में, जो दो या अधिक आधारों पर किया गया है, निरुद्ध किया गया है वहाँ ऐसे निरोध-आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे आधारों में से प्रत्येक आधार पर अलग-अलग किया गया है और ऐसे आदेश के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय है कि ऐसे आधारों में से एक या कुछ आधार:

(i) स्पष्ट नहीं हैं;

(ii) विद्यमान नहीं हैं;

(iii) सुसंगत नहीं हैं;

(iv) उस व्यक्ति से संबद्ध नहीं हैं

(v) किसी भी अन्य कारण से अविधिमान्य हैं,

(UP SI 2021, 1 dec Ist, 20 Nov III, 2 dec III)

निरोध-आदेशों का कुछ आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना (धारा 6)

कोई निरोध-आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा कि-

- निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है, अथवा ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान उक्त सीमाओं के बाहर है। (UP SI 2021, 30 Nov II)

फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियाँ (धारा 7):→

- यदि केंद्रीय सरकार उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट उस **महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट** को देगा जहाँ उक्त व्यक्ति निवास करता है;
- राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उक्त व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान पर और ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर हो।
- यदि कोई व्यक्ति जारी किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो, वह **कारावास** से, जिसकी अवधि **एक वर्ष तक** की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा। (UP SI 2021, 13 Nov II)

आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध-आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना (धारा 8):→

जब कोई व्यक्ति किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, निरोध की तारीख से **पाँच दिन के भीतर** तथा असाधारण परिस्थितियों में **पंद्रह दिन** के **भीतर**, उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा। (UP SI 2021, 15 Nov III)

सलाहकार बोर्डों का गठन (धारा 9) के आधारों :→

- केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार एक या अधिक सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी।
- ऐसा प्रत्येक बोर्ड ऐसे **तीन व्यक्तियों** से मिलकर गठित होगा जो किसी **उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित हैं।** समुचित सरकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को उक्त बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। (UP SI 2021, 17 Nov III, 1 Dec III)

सलाहकार बोर्डों को निर्देश (धारा 10):→

इस अधिनियम के अधीन निरोध का आदेश किया गया है, उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के **निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर** समुचित सरकार, सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, रखेगी।

(UP SI 2021, 1 dec III)

सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया (धारा 11):→

- सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् समुचित सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से **सात सप्ताह** के भीतर देगा। (UP SI 2021, 12 Nov II)

(23 Nov I shift, 29 Nov Ist Shift)

- जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में मतभेद हो तब ऐसे **सदस्यों की बहुमत की राय** को बोर्ड की राय समझा जाएगा। (UP SI 2021, 20 Nov I shift)

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कारवाई (धारा 12):→

- किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, समुचित सरकार निरोध-आदेश को पुष्ट कर सकेगी तथा संबद्ध व्यक्ति को उतनी अवधि-पर्यन्त कैद रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।
- किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के **निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है**, समुचित सरकार निरोध-आदेश वापस ले लेगी तथा उस **व्यक्ति को तुरंत छुड़वा देगी।**

(UP SI 2021, 22 Nov III, 21 Nov II)

निरोध की अधिकतम अवधि (धारा 13):→

धारा 12 के अधीन पुष्ट किए गए किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को **अधिकतम बारह मास कैद** रखा जा सकता है।

(UP SI 2021, 23 Nov III), UP SI 2014 (Mains exam)

निरोध-आदेश वापस लेना (धारा 14):→

किसी निरोध-आदेश को किसी भी समय, उस राज्य सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा।

वे परिस्थितियाँ जिनमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्डों की राय प्राप्त किए बिना, तीन मास से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा (धारा 14 क)- इस अधिनियम के अधीन कोई निरोध आदेश किया गया है, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना, उसके निरोध की तारीख से **तीन मास** से अधिक किंतु **छह मास** से अनधिक की अवधि के लिए उस दशा में निरोध में रखा जा सकेगा जब ऐसे व्यक्ति की किसी विक्षुब्ध क्षेत्र में-

(i) आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करने से ; और

(ii) भारत की रक्षा; भारत की सुरक्षा; राज्य की सुरक्षा; लोक व्यवस्था बनाए रखने; या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से निरुद्ध किया गया है।

निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना (धारा 15):→

- समुचित सरकार किसी भी समय निर्देश दे सकेगी कि निरुद्ध कोई व्यक्ति, या तो बिना शर्तों के या ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे, **किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया जाए** और उसका छोड़ा जाना वह किसी भी समय रद्द कर सकेगी।

(UP SI 2021 29 Nov III, 23 Nov II, 28 Nov I)

- छोड़ा गया कोई व्यक्ति अपने को उस समय और स्थान पर और उस प्राधिकारी के समक्ष स्वयं को पेश करेगा जैसा आदेश हो।
- यदि पर्याप्त कारण के बिना कोई व्यक्ति अपने को पेश करने में असफल रहेगा तो वह **दो वर्ष तक कारावास या जुर्माने से**, या दोनों से, दंडनीय होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण (धारा 16):→

इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी और न कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध होगी।

(UP SI 2021, 16 Nov III)

अधिनियम का राज्य विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी न होना (धारा 17):→

इस अधिनियम की कोई बात, किसी राज्य विधि के अधीन किए गए ऐसे निरोध-आदेशों के संबंध में, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, प्रभावी नहीं होगी। ऐसे निरोध के संबंध में ऐसी राज्य विधि के उपबंधों द्वारा लागू होगा।

अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अधिनियम की धारा .... में पाई जाती है।

(a) 11 (b) 10

(c) 9 (d) 120

Sol. (a) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा (11) – सलाहकार बोर्ड और उसके सामने रखी गई सामग्रियों पर विचार करने के बाद संबंधित व्यक्ति की हिरासत की तारीख से सात सप्ताह के भीतर उचित सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के प्रावधानों को .... के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था।

(a) अहमद नूरमोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य

(b) खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य

(c) ए.के. रॉय बनाम भारत संघ

(d) सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन

Sol. (c) ए के राय बनाम भारत संघ (1982) यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) की संवैधानिकता से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें बिना मुकदमे के निरोध संभव है। संसद सदस्य राय को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने NSA को संवैधानिक माना। न्यायालय के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए निरोधात्मक कार्रवाई उचित हो सकती है। केंद्र और राज्य दोनों को छै। लागू करने का अधिकार है- यह संघवाद के विरुद्ध नहीं है।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर, ... तक कारावास की सजा हो सकती है।

(a) दो वर्ष (b) एक वर्ष

(c) छः महीने (d) तीन महीने

Sol. (b) पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 23 सितंबर, 1980 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया गया। ऐसा व्यक्ति जो फरार (भागा) हो यदि उसके द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात को नहीं माना जाता है तो उसे 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। एक व्यक्ति को उसके खिलाफ आरोप बताए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है।

4. ...., जो किसी व्यक्ति को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों, या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि से निवारक निरोध का प्रावधान करता है।

(a) भारतीय दंड संहिता, 1860

(b) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(c) दंड प्रक्रिया संहिता 1973

(d) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

Sol. (d) 1980 का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य कुछ मामलों में और उससे जुड़े मामलों के लिए निवारक निरोध प्रदान करना है। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। इसमे 18 खंड हैं।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है?

(a) 9 (b) 1

(c) 3 (d) 2

Sol. (c) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 में धारा 3 केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है।

6. किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी राय में, किसी व्यक्ति को निरुद्ध किए जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार _____ ।

(a) निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी।

(b) निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है।

(c) निरुद्ध किए जाने के आदेश की समीक्षा करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी।

(d) निरुद्ध किए जाने के आदेश की समीक्षा कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है।

Sol. (a) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ परिस्थितियों में 12 महीने तक बिना किसी मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में रखने की अनुमति देता है। हालाँकि अधिनियम में सुरक्षा उपायों का भी प्रावधान है। यदि (NSA) के तहत सलाहकार बोर्ड यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो सरकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर देगी।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेने की तिथि से .... सप्ताह के भीतर, सलाहकार बोर्ड को अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) उपयुक्त को प्रस्तुत करना होगा।

(a) बारह (b) दस

(c) छह (d) सात

Sol. (d) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 11 के अनुसार, सलाहकार बोर्ड को हिरासत के सात सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी

8. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, वह ________ होगी।

(a) निरोध की तिथि से छह महीने

(b) निरोध की तिथि से बारह महीने

(c) निरोध की तिथि से अठारह महीने

(d) निरोध की तिथि से तीन महीने

Sol. (b) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (एनएसए) के तहत, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। (धारा 13)

- सलाहकार बोर्ड की मंजूरी से ही हिरासत को बढ़ाया जा सकता है।

16 भारत में भूमि सुधार तथा भू-राजस्व व्यवस्था

परिचय

भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण। ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था अत: उन्होंने कई भू-राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की जैसे- जमींदारी व्यवस्था, रैय्यतवाड़ी व्यवस्था एवं महालवाड़ी व्यवस्था।

इन सभी व्यवस्थाओं का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था।

स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू-राजस्व व्यवस्था:

इजारेदारी व्यवस्था

- सर्वप्रथम **वॉरेन हेस्टिंग्स** ने बंगाल में **सन् 1772 में 'इजारेदारी प्रथा'** की शुरुआत की। यह एक **पंचवर्षीय व्यवस्था** थी जिसमें सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। सन् **1777** में पंचवर्षीय ठेके को **वार्षिक कर दिया गया।**

स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था

- **कॉर्नवालिस** ने इजारेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से 'स्थायी बंदोबस्त' आरंभ की।
- यह व्यवस्था **बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक** में लागू की गई।
- स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया।
- स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार **किसानों से वसूले गए कुल रकम का दसवाँ भाग (10/11 भाग) कंपनी को** देते थे एवं शेष 1/11 भाग स्वयं रखते थे।
- यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू-राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी।

रैयतवाड़ी व्यवस्था

- सन् 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर **टॉमस मुनरो** ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था **मद्रास, बंबई एवं असम के कुछ भागों** में लागू की गई।
- रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग **51 प्रतिशत भूमि** आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू-राजस्व देने के लिये उत्तरदायी थे।

महालवाड़ी व्यवस्था

- इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त/व्यवस्था कहा गया।
- इसमें गाँव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गाँव की ऊपज के आधार पर किया जाता था।
- **लॉर्ड हेस्टिंग्स** द्वारा **मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में** एक नई भू-राजस्व व्यवस्था लागू की गई।

भूमि सुधार के उद्देश्य:

भारत में भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाना सुनिश्चित करना था। साथ ही भू-व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय को समाप्त करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करना।

संस्थागत सुधार

- संस्थागत सुधारों के महत्त्वपूर्ण भाग हैं-
  - जमींदारी प्रथा का उन्मूलन
  - मध्यस्थों का अंत
  - भू-स्वामित्त्व कृषकों को हस्तांतरण
  - खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी
  - सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा
  - खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना
  - लगान में कमी
  - भू-धारण अधिकारों की सुरक्षा करना

तकनीकी सुधार

- कृषि का आधुनिकीकरण
- उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक
- बेहतर सिंचाई व्यवस्था
- उन्नत उपकरणों व तकनीकों का उपयोग
- अच्छी भण्डारण व्यवस्था
- अच्छी वितरण व्यवस्था
- तकनीकी सुधार, संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते इसलिये भारत में पहले चरण में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई।
- स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के चार घटक थे:
  1. मध्यस्थों का उन्मूलन।
  2. काश्तकारी सुधार।
  3. भूमि स्वामित्व की सीमा तय करना।
  4. भूमि स्वामित्व की चकबंदी।

मध्यस्थों का उन्मूलन

- प्रथम महत्त्वपूर्ण कानून जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन था जिसके द्वारा कृषकों और राज्य के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया।
- यह सुधार वास्तविक भू-स्वामियों अर्थात् काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करने के लिये किया गया था।
- मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमि प्राप्त हो गई जिस पर वे कृषि करते थे।

काश्तकारी में सुधार

- समस्या काश्तकारी के विनियमन की थी।
- स्वतंत्रता-पूर्व अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान किया जाने वाला भूमिकर अत्यधिक (35% और 75% सकल उपज के बीच) था।
- कृषकों द्वारा देय किराए को विनियमित करने के लिये (1950 के दशक की शुरुआत में) पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सकल उत्पादन स्तर का 20% - 25% तक भूमिकर निर्धारित किया गया था।
- भारत के कुछ राज्यों ने काश्तकारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जबकि अन्य राज्यों ने मान्यता प्राप्त काश्तकारों और अंशधारकों को स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान किया है।
- यद्यपि सुधारों ने काश्तकारी क्षेत्र में कमी की, परंतु बहुत कम काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त हुआ।

भूमि स्वामित्व की सीमा

- भूमि स्वामित्व पर सीमा को कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकतम आकार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिससे अधिक भूमि पर कोई भी कृषक अथवा कृषक परिवार स्वामित्व नहीं रख सकता।
- वर्ष 1942 में **कुमारप्पन समिति** ने भूमि के अधिकतम आकार को लेकर सिफारिश की। यह एक परिवार की आजीविका के लिये आवश्यक सीमा से तीन गुनी अधिक थी।
- वर्ष 1961-62 तक सभी राज्य सरकारों ने लैंड सीलिंग अधिनियम पारित कर दिये। राज्यों में एकरूपता लाने के लिये वर्ष 1971 में एक नई भूमि सीमा नीति बनाई गई। वर्ष 1972 में दिशा-निर्देश जारी किये गए थे।
- इन दिशा-निर्देश में सबसे अच्छी भूमि की सीमा 10-18 एकड़, द्वितीय श्रेणी के भूमि की सीमा 18-27 एकड़ और शेष भूमि सीमा 27-54 एकड़ थी, लेकिन पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में भूमि की सीमा इससे थोड़ी अधिक थी।
- इन सुधारों की मदद से राज्य को प्रत्येक परिवार के स्वामित्व वाली अधिशेष भूमि की पहचान और उसका अधिग्रहण करना था तथा इसे भूमिहीन परिवारों एवं अन्य अनुसूचित श्रेणियों जैसे-एससी व एसटी के भूमिहीन परिवारों को पुनर्वितरित करना था।
- बहुत बड़ी कुछ भू-संपदाओं को विभाजित कर दिया गया, लेकिन अधिकांश भूस्वामियों ने तथाकथित बेनामी हस्तांतरण द्वारा अपनी भूमि नौकरों, रिश्तेदारों आदि के नाम करा दी। इससे भूस्वामी भूमि के विभाजन के बाद भी उस पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे।

भूमि स्वामित्व की चकबंदी

- इस अधिनियम के तहत गाँव के कृषकों की भूमि के छोटे भूखंडों को एक बड़े टुकड़े में मिला दिया जाता था।
- भूमि चकबंदी के लिये तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने कानून बनाए।
- भूमि की चकबंदी करवाना पंजाब और हरियाणा राज्य में अनिवार्य थी।
- इससे किसान अलग-अलग स्थानों की बजाय भूमि की एक ही जगह पर सिंचाई तथा कृषि करने लगे जिससे समय एवं श्रम की बचत हुई।
- इस भू-सुधार से कृषि की लागत और किसानों के बीच मुकदमेबाजी में कमी आई।

भूदान आंदोलन

- महात्मा गांधी के शिष्य **विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली** में भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं पर ध्यान दिया।
- इन आंदोलनों के तहत भू-स्वामी संपन्न वर्गों से आग्रह किया जाता था कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि के एक हिस्से को भूमिहीनों को सौंप दें, जिसको भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
- इसकी शुरुआत वर्ष **1951** में हुई थी।
- विनोबा भावे द्वारा की गई अपील से कुछ भू-स्वामी वर्गों ने अपनी कुछ भूमि का स्वैच्छिक दान किया।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य में विनोबा भावे को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही थी।

ग्रामदान आंदोलन

- भूदान आंदोलन ने वर्ष **1952** में शुरू हुए **ग्रामदान आंदोलन** को भी दिशा दी।
- ग्रामदान आंदोलन का उद्देश्य प्रत्येक गाँव में भूमि स्वामियों और पट्टाधारकों को उनके भूमि अधिकारों को त्यागने के लिये राजी करना था। समस्त भूमि के समतावादी पुनर्वितरण तथा संयुक्त खेती हेतु ग्राम संघ की संपत्ति बना दिया जाता था।
- एक गाँव के 75% निवासियों (जिनके पास 51% भूमि थी) की ग्रामदान के लिये लिखित स्वीकृति मिलने के बाद ही उस गाँव को ग्रामदान के रूप में घोषित किया जाता था।
- ग्रामदान के तहत आने वाला पहला **गाँव मैग्रोथ, हरिपुर (उत्तर प्रदेश)** था।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013

अध्याय-1 (प्रारंभिक)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (धारा 1):→

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

नोटः– इस अधिनियम के द्वारा 1894 के पुराने अधिनियम को बदला गया है। (UP SI 2021, 1 dec, 15 shift, 28 Nov III)

- नया अधिनियम **1 जनवरी 2014** को अस्तित्व में आया।

अधिनियम का लागू होना (धारा 2):→

(1) इस अधिनियम के भूमि अर्जन, प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार अपने स्वयं के उपयोग, अधिकार और नियंत्रण के लिए, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए हैं, और लोक प्रयोजन के लिए भी है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वे प्रयोजन भी है जिनके लिए–

- नौसेना, सेना, वायु **सेना** और संघ के **सशस्त्र बलों** से, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय **अर्द्धसैनिक बल** भी हैं, संबंधित सामरिक प्रयोजनों के लिए या भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा अथवा राज्य पुलिस, **जनसाधारण** की सुरक्षा के महत्वपूर्ण किसी कार्य के लिए; या
- **अवसंरचना परियोजनाओं** के लिए (प्राइवेट अस्पतालों, प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं और प्राइवेट होटलों को छोड़कर)।
- **परियोजना से प्रभावित कुटुंबों** की परियोजना के लिए
- ऐसे आय समूहों के लिए, जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएँ, **गृह निर्माण की परियोजना** के लिए
- **निर्धन या भूमिहीन** व्यक्तियों या **प्राकृतिक आपदा से प्रभावित** क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए, भूमि का अर्जन करती है।

(2) इस अधिनियम से संबंधित उपबंध उस दशा में लागू होंगे, जब समुचित सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, अर्थात

- लोक प्रयोजनार्थ, पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए, जहां भूमि का स्वामित्व सरकार में निहित बना रहता है।
- लोक प्रयोजनार्थ, प्राइवेट कंपनियों के लिए, भूमि का अर्जन करती है परंतु

(i) **प्राइवेट कंपनियों के लिए अर्जन** की दशा में, प्रभावित कुटुंबों के कम से कम **अस्सी प्रतिशत** कुटुंबों की पूर्व सहमति; और (UP SI 2021, 21 Nov II)

(ii) **पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं** के लिए अर्जन की दशा में, प्रभावित कुटुंबों के कम से कम **सत्तर प्रतिशत** कुटुंबों की पूर्व सहमति प्राप्त की जायेगी। (UP SI 2021,14 Nov II)

परिभाषाएँ (धारा 3):→

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,:-

- **"प्रशासक"** से **तात्पर्य** प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
- **"प्रभावित कुटुंब"** के अंतर्गत,:-

(i) ऐसा कोई कुटुंब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन किया गया है;

अभ्यास प्रश्न

1. कौन-सी भू राजस्व प्रणाली में मूल इकाई के रूप में गाँव को आधार माना जाता है?

(a) जमींदारी प्रणाी (b) जागीरदारी प्रणाली

(c) महालवाड़ी प्रणाली (d) रैयतवाड़ी प्रणाली

Sol. (c) महालवाड़ी प्रणाली- यह ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर-पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, गंगा घाटी आदि में पेश किया गया था। इस प्रणाली में भूमि को महलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक महल में एक या अधिक गाँव होते हैं। पूरे गाँव (महल) को कर संग्रह के लिए एक इकाई माना जाता था। इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था।

2. भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में 'महल' एक राजस्व भूसंपत्ति है जो .... हो सकती है।

(a) केवल एक एकल गाँव (b) एक गाँव या गाँवों का समूह

(c) एक प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र (d) धनी व्यक्तियों की भूमि

Sol. (b) महालवारी प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजस्व एक महल से एकत्र किया जाता है, जो एक गाँव या छोटे गाँवों का समूह होता है। हाल्ट मैंकेजी ने वर्ष 1833 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, उत्तर-पश्चिम सीमांत, आगरा, पंजाब, आदि में इस प्रणाली की शुरूआत की।

3. भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का आकलन और निर्धारण......

(a) ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (b) तहसीलदार

(c) समाहर्ता (जिलाधिकारी) (d) उप-पंजीयक

Sol. (c) भूमि के अर्जन के कारण व्यक्तियों का अनैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस परियोजना के संबंध में एक अधिकारी को नियुक्त करती है जो कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर पद से नीचे का हो।

4. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था?

(a) 1948 (b) 1960

(c) 1950 (d) 1975

Sol. (c) उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, 24 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अधिनियम के लिए निहित आदेश 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। निहित होने की तिथि से, सभी मध्यस्थों के सभी शीर्षक अधिकार और हित समाप्त कर दिया गया।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?

(a) 2008 (b) 2010

(c) 2006 (d) 2012

Sol. (c) राजस्व संहिता, 2006 उत्तर प्रदेश विधानमंडल 2006 में पारित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि कार्यकाल से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना था। इसे वर्ष 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

6. उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था?

(a) 1901 (b) 1910

(c) 1915 (d) 1920

Sol. (a) उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1901 एक प्रमुख कानून था जो ब्रिटिश भारत में भूमि राजस्व व्यवस्था को नियंत्रित करता था।

- इस अधिनियम के तहत भूमि स्वामित्व, पट्टेदारी, किरायेदारी और राजस्व वसूली की व्यवस्था की गई थी।
- यह अधिनियम जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों और भूमिधारकों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता था। बाद में इसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 से प्रतिस्थापित किया गया।
- इस अधिनियम ने आधुनिक राजस्व प्रशासन की नींव रखी और भूमि अभिलेखों के प्रबंधन में सहायक सिद्ध हुआ।

7. भू-हदबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है?

(a) उस न्यूनतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता

(b) उस निश्चित सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी आर्द्र भूमि नहीं रख सकता

(c) उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता

(d) उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी कृषि भूमि नहीं रख सकता

Sol. (c) भू-हदबंदी का मतलब है एक व्यक्ति/परिवार के पास अधिकतम भूमि जोत हो सकती है। अधिकतम सीमा से अधिक की भूमि को अधिशेष भूमि कहा जाता है।

8. भारत में पहला भूमि अधिग्रहण कानून वर्ष _____ में पेश किया गया था।

(a) 1694 (b) 1984

(c) 1894 (d) 1784

Sol. (c) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 यह (जम्मू और कश्मीर राज्य) को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। यह मार्च 1894 से लागू हुआ।

9. भारत की स्वतंत्रता के बाद जनजातीय भूमि के संरक्षण के अभाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार थे?

(a) ऋणग्रस्तता और गरीबी के कारण साहूकारों के पास भूमि गिरवी रखना

(b) सिंचाई, बांध और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जनजातीय भूमि का अधिग्रहण

(c) गरीब आदिवासियों द्वारा की गई भूमि की बिक्री

(d) b और c

Sol. (c) स्वतंत्रता के बाद भारत में आदिवासी आंदोलनों के पीछे मूल मुद्दे हैं - वन अलगाव प्रशिक्षण और बाहरी लोगों की आमद के कारण नौकरी से वंचित होना, सांस्कृतिक उप-विलय और असंतुलित विकास।

17 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित (मूल विधि)

1. जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलकृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है, उसे आईपीसी के अनुसार .... के साथ दंडित किया जाएगा।

(1) 6 महीने तक की कैद

(2) 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना

(3) 3 महीने तक की कैद और जुर्माना, दोनों

(a) 1 (b) 2

(c) 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Sol. (c) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्यों या शब्दों को दंडित करती है। इस कानून के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को तीन महीने तक की कैद हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 292 में यह प्रावधान किया गया है।

2. 'संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन' निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था?

(a) 1825 (b) 1810

(c) 1800 (d) 1803

Sol. (d) संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन' 1803- प्रांतों में सरकार के सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन के गबन और सार्वजनिक पत्रों को रोकने के लिए एक विनियम है जिसे नवाब वज़ीर द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया को सौंप दिया गया।

3. सीआरपीसी की धारा .... के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य है कि मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफ आई आर तैयार..... करना।

(a) 174 (b) 134

(c) 164 (d) 154

Sol. (d) सीआरपीसी की धारा- 154 एक संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित है। प्रत्येक सूचना, यदि मौखिक रूप से किसी पुलिस थाने के प्रभारी को दी जाती है, तो उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत कार्रवाई की जाएगी, और मुखबिर को पढ़ा जाएगा। BNSS की धारा 173 (Section 173 BNSS) को CrPC की धारा 154 का समतुल्य माना गया है। धारा 173 भी FIR दर्ज करने से संबंधित ही है, और इसमें तकनीकी माध्यमों जैसे ई-मेल, वीडियो कॉल आदि के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा को और स्पष्ट किया गया है।

4. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में .... के लिए प्रावधान दिया गया हैं।

(A) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

(B) राज्य मानवाधिकार आयोग

(C) जिला मानवाधिकार आयोग

(D) मानवाधिकर न्यायालय

(a) B, C और D (b) C, D और A

(c) B, C और A (d) A, B और D

Sol. (d) मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित है।

5. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था?

(a) 2010 (b) 2000

(c) 2003 (d) 1995

Sol. (b) 25 अगस्त, 2000 मौजूदा उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। जबकि 9 नवंबर 2000 को लागू हुआ। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया था।

6. तहसीलदार के पास .... की शक्ति होती है।

A. संबंधित गाँव की अडंगल/पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जाँचना

B. स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं

C. अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना।

(a) C (b) A, B और C

(c) B (d) A

Sol. (b) तहसीलदार भू-राजस्व के संग्रह के लिए जिम्मेदार है और उनके प्रभार में ग्राम लेखाकार और राजस्व निरीक्षक कुशलता से काम करते हैं और गांव के रिकॉर्ड को अद्यतन रखते हैं। तहसीलदार अपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट है।

7. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (संशोधन) विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष .... में पेश किया गया था।

(a) 2015 (b) 2000

(c) 2010 (d) 2014

Sol. (a) भूमि अधिग्रहण, और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार के रूप में संदर्भित है। यह भूमि के मालिकों और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह मूल रूप से 1 जनवरी, 2014 से अस्तित्व में आया। वर्ष 2015 में इसे संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था।

8. भारत ने वर्ष .... में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन (CEDAW) पर समझौते पर हस्ताक्षर किए।

(a) 1986 (b) 1992

(c) 1979 (d) 1980

Sol. (d) भारत ने 30 जुलाई, 1980 को CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) पर हस्ताक्षर किए और 9 जुलाई, 1993 को कुछ निश्चित शर्तों के साथ इसकी पुष्टि की। भारत ने अभी तक CEDAW को वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है।

9. साइबर अश्लीलता (पोर्नोग्राफी) का कारण बनने वाली सामग्री के लिए सामग्री की प्रकृति .... होगी।

A. जिस सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित किया जाता हे वह कामुक है

B. सामग्री कामुक अभिलाषा के लिए अपील करती है

C. सामग्री के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति के बिगड़ने और भ्रष्ट होने की कम संभावना है

(a) B (b) A और B

(c) A और C (d) A

Sol. (b) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रकाशन, प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित करना या जिसमें यौन स्पष्ट कार्य या आचरण वाली कोई भी सामग्री हो वह 5 साल तक की कैद और 10 लाख तक के जुर्माने के लिए दंडनीय है। भारत में साइबर पोर्नोग्राफी देखना कानूनी अपराध है।

10. निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) के लिए आवेदन करने के लिए कौन-सा अनिवार्य है?

(a) वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (b) वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र

(c) चिकित्सा प्रमाणपत्र (d) जीवन बीमा

Sol. (c) वाणिज्यिक वाहन लाइसेंस के लिए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवश्यक दस्तावेज:

- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- निवास प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि)
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (Form 1A) – अधिकतर मामलों में 40 वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य होता है
- ड्राइविंग स्कूल से प्रमाणपत्र (Form 5) – भारी वाहन के लिए अनिवार्य
- लर्नर लाइसेंस (यदि नया आवेदन कर रहे हैं)

11. .... वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को, मोटर साइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी (हेडगियर) पहननी चाहिए।

(a) 16 वर्ष (b) 7 वर्ष

(c) 4 वर्ष (d) 18 वर्ष

Sol. (c) मोटर अधिनियम की धारा 129 में 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में मोटरसाइकिल की सवारी करते समय सुरक्षात्मक टोपी पहनना अनिवार्य करती है।

12. यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है, तो वह .... के तहत दंडनीय हो सकता है।

(a) विदेशी नागरिक का साइबर कानून

(b) भारत में साइबर कानून

(c) A और B दोनों

(d) न ही A और न B

Sol. (b) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 प्रकाशन, प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित करने से प्रतिबंधित करती है जिसमें यौन स्पष्ट कार्य या आचरण वाली कोई भी सामग्री हो, 5 साल तक के कारावास और 10 लाख तक के जुमाने से दंडनीय है।

13. 'भूदान आंदोलन' वर्ष .... में आरंभ किया गया था।

(a) 1948 (b) 1960

(c) 1951 (d) 1961

Sol. (c) भूदान आंदोलन (भूमि उपहार आंदोलन), जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत गांधीवादी विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली गांव (तेलंगाना) में की थी।

14. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?

(a) 1964 (b) 1994

(c) 1974 (d) 1984

Sol. (c) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण और देश में जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का संशोधन 1988 में किया गया।

15. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, वर्ष _______ में अधिनियमित किया गया था।

(a) 2016 (b) 2015

(c) 2014 (d) 2013

Sol. (d) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार प्राप्त है।

16. .... तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है।

(a) अंधाधुंध (Rash) या लापरवाही

(b) केवल लापरवाही

(c) अंधाधुंध (Rash) साथ ही साथ लापरवाही

(d) केवल अंधाधुंध

Sol. (a) भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चला रहा है जो मानव जीवन को खतरे में डाल सकता है या अन्य लोगों को घायल कर सकता है, कानून द्वारा दंडित किया जायेगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में यह प्रावधान धारा 281 में शामिल किया गया है।

17. ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?

(a) 1861 (b) 1881

(c) 1891 (d) 1871

Sol. (d) ब्रिटिश शासन के आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 ने कई जनजातियों को वंशानुगत, आदतन अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया, जो स्वभाव से छोटे-मोटे अपराध करने के लिए प्रवृत्त थे। किसी भी समय अपराध करने की उनकी कथित संभावना ने हर समय उनके खिलाफ पूरी निगरानी को उचित ठहराया।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत "राष्ट्रीय सुरक्षा" शब्द में ____ सम्मिलित नहीं है।

(a) भारत की रक्षा (b) भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद

(c) भारत की सुरक्षा (d) समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति

Sol. (b) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत "राष्ट्रीय सुरक्षा" शब्द में भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद सम्मिलित नहीं है।

18 भारतीय संविधान

भारत शासन अधिनियम (Government of India Acts) का विस्तृत विवरण

भारत के संवैधानिक विकास में कई अधिनियम महत्वपूर्ण रहे हैं। इन अधिनियमों ने भारत के प्रशासनिक ढांचे, न्यायिक व्यवस्था, और विधायी प्रक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ प्रमुख भारत शासन अधिनियमों का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम (Regulating Act of 1773)

मुख्य उद्देश्य:

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों को नियंत्रित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- बंगाल के गवर्नर को 'गवर्नर जनरल' बनाया गया।
    - वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने।
- गवर्नर जनरल के साथ चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई।
- बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
- इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया।
- सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गई।

महत्व:

यह अधिनियम कंपनी के राजनीतिक कार्यों में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की शुरुआत थी।

1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम (Pitt's India Act of 1784)

मुख्य उद्देश्य:

रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर कर बेहतर प्रशासन स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया।
- कंपनी के कार्यों को व्यापारिक और राजनीतिक मामलों में विभाजित किया गया।
- 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' और 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' की दोहरी प्रणाली लागू की गई।
- गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियाँ दी गई और मद्रास व बंबई को नियंत्रित किया गया।

महत्व:

भारत में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ और गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़े।

1813 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1813)

मुख्य उद्देश्य:

ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, केवल चाय और चीन के व्यापार पर ही कंपनी का एकाधिकार रहा।
- भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों के आगमन की अनुमति दी गई।
- शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया।

महत्व:

भारत में शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकारी सहायता की शुरुआत हुई।

1833 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1833)

मुख्य उद्देश्य:

भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण और सुधार।

प्रमुख विशेषताएँ:

- बंगाल के गवर्नर जनरल को 'भारत का गवर्नर जनरल' घोषित किया गया।
    - लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल बने।
- कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर इसे केवल प्रशासनिक संस्था बना दिया गया।
- भारत में व्यक्ति के मूल अधिकारों के आधार पर समानता की अवधारणा को बल मिला।
- एक कानून आयोग का गठन किया गया (जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकॉले ने की)।

महत्व:

यह अधिनियम भारत में विधि निर्माण और न्याय व्यवस्था के केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था।

1853 का चार्टर अधिनियम (Charter Act of 1853)

मुख्य उद्देश्य:

कानूनी सुधार और नागरिक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन।

प्रमुख विशेषताएँ:

- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विधायी और कार्यकारी कार्यों के लिए विभाजित किया गया।
- भारतीय सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई।
- विधायिका में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया।

महत्व:

यह अधिनियम आधुनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की नींव रखता है।

1858 का भारत सरकार अधिनियम (Government of India Act of 1858)

मुख्य उद्देश्य:

1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश राज स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया।
- भारत के सर्वोच्च शासक के रूप में ब्रिटिश सम्राट/रानी की घोषणा की गई (रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, 1858)।

- 'भारत का सचिव' (Secretary of State for India) और 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई।
- गवर्नर जनरल का नया पदनाम 'वाइसरॉय' किया गया।
  - लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय बने।

महत्व:

ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक स्वरूप स्थापित हुआ और भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण लागू हुआ।

1861 का भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act of 1861)

प्रमुख विशेषताएँ:

- गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया।
- विधायी शक्तियाँ बंबई और मद्रास के गवर्नरों को फिर से दी गईं।
- विधायी प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत।

महत्व:

यह अधिनियम भारत में विधायी परिषदों के विस्तार की दिशा में पहला कदम था।

1892 का भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Councils Act of 1892)

प्रमुख विशेषताएँ:

- विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि।
- परिषदों को वित्तीय मामलों पर चर्चा की अनुमति दी गई।
- भारतीय सदस्यों के चयन के लिए अपरोक्ष चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई।

महत्व:

यह अधिनियम भारतीयों की विधायी परिषदों में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास था।

1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
(Morley-Minto Reforms / Indian Councils Act of 1909)

प्रमुख विशेषताएँ:

- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार।
- मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन (Separate Electorate) की व्यवस्था की गई।
- भारतीयों को पहली बार कार्यकारी परिषदों में स्थान दिया गया।

महत्व:

यह अधिनियम सांप्रदायिकता की जड़ें मजबूत करने के लिए आलोचित हुआ।

1909 का भारत सरकार अधिनियम
(Government of India Act of 1919 / Montagu - Chelmsford Reforms)

प्रमुख विशेषताएँ:

- द्वैध शासन (Dyarchy) प्रणाली लागू की गई।
- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार।
- भारतीयों को विधायी परिषदों में अधिक अधिकार दिए गए।
- सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयोग की स्थापना की गई।

महत्व:

यह अधिनियम भारतीय प्रशासन में अधिक भारतीय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है।

1935 का भारत सरकार अधिनियम
(Government of India Act of 1935)

मुख्य उद्देश्य:

भारत को स्वशासन प्रदान करने की दिशा में अग्रसर करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- केंद्र और प्रांतों में संघीय व्यवस्था (Federal Structure) की स्थापना।
- प्रांतीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन।
- द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई।
- भारत लोक सेवा आयोग (UPSC), रिजर्व बैंक और संविधान सभा के गठन का प्रावधान।

महत्व:

यह अधिनियम भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का आधार बना।

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
(Indian Independence Act of 1947)

मुख्य उद्देश्य:

भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना और भारत-पाकिस्तान का विभाजन करना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में मान्यता दी गई।
- भारत में ब्रिटिश शासन का अंत और संविधान सभा को भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय घोषित किया गया।
- ब्रिटिश सम्राट का भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप समाप्त।

महत्व:

यह अधिनियम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का परिणति बिंदु था।

निष्कर्ष:

- भारत के संवैधानिक विकास में इन अधिनियमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन अधिनियमों ने भारत में प्रशासनिक सुधार, विधायी विकास, और अंततः स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया को प्रभावित किया।

संविधान सभा

- संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक में होता है।
- संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। (1924)
- संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा (1933 के 'हरिजन' नामक) पत्र में स्पष्ट किया गया कि "भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए।" गांधी जी ने प्रत्यक्षतः भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की बात कही।
- 1923 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा प्रस्तुत Commonwealth of India Bill में पहली बार संविधान सभा को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- 1934 में स्वराज्य दल ने भारतीयों के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
- 1934 में कांग्रेस के मंच से स्पष्टतः संविधान सभा की मांग की गई। यह सम्मेलन बम्बई में डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था।
- 1936 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान का अर्थ और व्याख्या की गई। (जवाहर लाल नेहरू)

भाग XIV – संघ-राज्य के अधीन सेवाएँ
भाग XIVA – अधिकरण
भाग XV – चुनाव आयोग
भाग XVI – विशेष उपबंध
भाग XVII – भाषा
भाग XVIII – आपात उपबंध
भाग XIX – विविध
भाग XX – संविधान संशोधन
भाग XXI – अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध
भाग XXII – संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि

महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद	विवरण
1	संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
	नागरिकता (5-11)
5	संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
6	पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
7	पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
8	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्‌भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
9	विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
10	नागरिकता के अधिकारों को बना रहना
11	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना
	मूल अधिकार (12-35)
13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां
14	विधि के समक्ष समानता
15	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
16	लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता
17	अस्पृश्यता का अंत
18	उपाधियों का अंत
19	वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
23	मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
25	अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
27	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
28	कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता
29	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
30	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार
32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
33	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति
34	जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन
	नीति निदेशक सिद्धांत (36-51)
36	राज्य की परिभाषा
37	इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
38	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
39	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
39क	समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता
40	ग्राम पंचायतों का संगठन
41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
43	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
43क	उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
44	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
45	बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
46	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
47	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
48	कृषि और पशुपालन का संगठन
48क	पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
49	राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
51	अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
51क	**मौलिक कर्त्तव्य**
	राष्ट्रपति
52	भारत के राष्ट्रपति
53	संघ की कार्यपालिका शक्ति
54	राष्ट्रपति का निर्वाचन
55	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

56	राष्ट्रपति की पदावधि
57	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
58	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
59	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
61	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया
उप राष्ट्रपति	
63	भारत का उप राष्ट्रपति
64	उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना
65	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
66	उप राष्ट्रपति का निर्वाचन
67	उप राष्ट्रपति की पदावधि
68	उप राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
72	क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
73	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद
75	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध
76	भारत का महान्यायवादी
77	भारत सरकार के कार्य का संचालन
78	राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य
संसद	
79	संसद का गठन
80	राज्य सभा की संरचना
81	लोक सभा की संरचना
84	संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
85	संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
86	सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
87	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
89	राज्य सभा का सभापति और उप सभापति
93	लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
97	सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
98	संसद का सचिवालय
102	सदस्यता के लिए निर्हताएं
103	सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
105	संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
106	सदस्यों के वेतन और भत्ते
108	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
109	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
110	"धन विधेयक" की परिभाषा
111	विधेयकों पर अनुमति
112	वार्षिक वित्तीय विवरण
113	संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
114	विनियोग विधेयक
115	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
117	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध
121	संसद में चर्चा पर निर्बंधन
122	न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
123	संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति
उच्चतम न्यायालय	
124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
126	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
127	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
128	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
129	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
131	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
132	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
133	उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चत न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134	दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
136	अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
137	निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन
141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना
142	उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
143	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक	
148	भारत का नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक
149	नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
150	संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप
राज्यपाल	
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति

राष्ट्रपति, उनके कार्यकाल एवं विशिष्टताएँ

नाम	पदावधि	विशिष्टताएँ
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950- 13 मई, 1962	संविधान सभा के अध्यक्ष
डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962- 13 मई, 1967	प्रथम उपराष्ट्रपति
डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई, 1967- 3 मई, 1969	कार्यकाल में मृत्यु
वराहगिरि वेंकटगिरि (कार्यवाहक)	3 मई, 1969- 20 जुलाई, 1969	—
उपराष्ट्रपति मुहम्मद हिदायतुल्ला (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969- 24 अगस्त, 1969	मुख्य न्यायाधीश
वराहगिरि वेंकटगिरि	24 अगस्त, 1969- 24 अगस्त, 1977	स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते
फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974- 11 फरवरी, 1977	केंद्रीय मंत्री
बी.डी. जत्ती (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977- 25 जुलाई, 1977	उपराष्ट्रपति
नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977- 25 जुलाई, 1982	निर्विरोध निर्वाचित 1969 ई. में पराजित
ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982- 25 जुलाई, 1987	प्रथम सिक्ख राष्ट्रपति
आर. वेंकटरमन	25 जुलाई, 1987- 25 जुलाई, 1992	उपराष्ट्रपति
शंकरदयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992- 25 जुलाई, 1997	उपराष्ट्रपति
के. आर. नारायणन	25 जुलाई, 1997- 25 जुलाई, 2002	उपराष्ट्रपति (4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया)
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002– 25 जुलाई, 2007	प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति
प्रतिभा पाटिल	25 जुलाई, 2007– 25 जुलाई, 2012	प्रथम महिला राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017	प्रथम बंगाली राष्ट्रपति
रामनाथ कोविन्द	25 जुलाई, 2017 से 25 जुलाई, 2022	उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू	25 जुलाई, 2022 से अब तक	पहली आदिवासी महिला

राष्ट्रपतियों से जुड़े महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होने के साथ-साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर तथा देश का पहला नागरिक भी होता है।
2. दो कार्यकाल तक पद संभालने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, और 26 जनवरी, 1950 को देश के संविधान को स्वीकार / अंगीकार करने के साथ ही राष्ट्रपति बन गए थे। वह 13 मई, 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे।
3. साल 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थीं।
4. भारत में अब तक कुल तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। देश के सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वराहगिरी **वेंकटगिरि (वी.वी. गिरि)** थे, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए निधन के बाद 78 दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे।

   जब वी.वी. गिरि ने उसी साल राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफा दिया, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला (प्रधान न्यायाधीश) को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया।

   तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति **बासप्पा दानप्पा जत्ती (बी.डी. जत्ती)** बने, जब पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए निधन हो गया। बी.डी. जत्ती 164 दिन कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।
5. भारत के दो राष्ट्रपति - तीसरे राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन तथा पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का देहावसान पद पर रहते हुए हुआ।
6. भारत के चौथे राष्ट्रपति वी.वी. गिरि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं।
7. भारत में अब तक कुल छह राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं, जो राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यसभा के सभापति, यानी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं।

   सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, रामास्वामी वेंकटरमण शंकर दयाल शर्मा, कोचेरिल रमन नारायणन (के.आर. नारायणन)।

   राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल (1967 से 1969) तीसरे राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन का रहा था।
8. ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। उनके ही कार्यकाल में ऑप्रेशन ब्लू स्टार, सिख विरोधी दंगा और इंदिरा गांधी की हत्या हुई।
9. डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे।
10. देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे।

प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों का मासिक वेतन

राष्ट्रपति	₹5,00,000
उपराष्ट्रपति	₹4,00,000
राज्यपाल	₹3,50,000
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	₹2,80,000
सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	₹2,50,000
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	₹2,50,000
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	₹2,25,000
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	₹2,50,000
मुख्य चुनाव आयुक्त	₹2,50,000

19 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित (संविधान)

1. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 'कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरूद्ध के खिलाफ सुरक्षा' प्रदान करता है?

(a) 22 (b) 20

(c) 21 (d) 19

Sol. (a) अनु. 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण

अनु. 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

अनु. 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनु. 19 – स्वतंत्रता का उल्लेख

2. 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है?

(a) गणतंत्र (b) स्वतंत्रता

(c) लोकतंत्र (d) धर्मनिरपेक्ष

Sol. (d) भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई मूल प्रस्तावना में ये शर्तें शामिल नहीं थी।

3. एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है?

(a) कोषागार (ट्रेज़री) विधेयक (b) निजी विधेयक

(c) सार्वजनिक विधेयक (d) धन विधेयक

Sol. (b) निजी विधेयक संसद में एक निजी सदस्य (एक मंत्री नहीं) द्वारा पेश किया जाता है। विधायी प्रक्रिया के लिए संसद में दो प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं: सार्वजनिक और निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयकों को सरकारी विधेयक कहा जाता है जबकि निजी विधेयकों को निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है।

4. जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?

(a) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(b) राज्य के राज्यपाल

(c) राज्य विधायिका

(d) जिला समाहर्ता (कलेक्टर)

Sol. (c) राज्य की विधायिका, जिला योजना समिति की संरचना निर्धारित करती है।

5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से अधिकार की गारंटी दी जाती है?

(a) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(b) किसी भी धर्म को मानने का अधिकार

(c) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार

(d) अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार

Sol. (c) धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदान की गई है। यह अनुच्छेद प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, या उसके किसी भी वर्ग को अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देता है जो वह निर्धारित करता है।

6. राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

(a) 35 वर्ष (b) 50 वर्ष

(c) 25 वर्ष (d) 30 वर्ष

Sol. (c) राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सभी बच्चों को तब तक दी जानी है, जब तक ________ की अवस्था पूर्ण नहीं कर लेते

(a) चौदह वर्ष (b) छह वर्ष

(c) पाँच वर्ष (d) सात वर्ष

Sol. (b) अनु. 45- राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक कि वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

8. मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है?

(a) 42वां (b) 52वां

(c) 54वां (d) 44वां

Sol. (a) स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।

9. निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है?

(a) कृषि (b) बैंकिंग

(c) शिक्षा (d) पुलिस

Sol. (b) अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति (अर्थात, वे मामले जो तीन सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं) संसद में निहित है। कृषि, पुलिस राज्य सूची में निहित है जबकि शिक्षा समवर्ती सूची में है। बैंकिंग संघ सूची का विषय है जिसमें केंद्र सरकार नियम बना सकती है।

10. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है?

(a) राज्य के राज्यपाल

(b) केंद्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(c) भारत के राष्ट्रपति

(d) राज्य के मुख्यमंत्री

Sol. (a) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटाया जाएगा।

11. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन-सा 'निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक' प्रदान करता है?

(a) अनुच्छेद 324 (b) अनुच्छेद 329

(c) अनुच्छेद 325 (d) अनुच्छेद 277

Sol. (b) अनुच्छेद 329 – चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

अनुच्छेद 324 – चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना

अनुच्छेद 325 – धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल किए जाने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना।

अनुच्छेद 277 – राज्य के उद्देश्य के लिए करों के बारे में बताता है

12. 'राज्य विधायिका' द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है?

(a) राज्य के राज्यपाल

(b) राज्य के मुख्यमंत्री

(c) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

(d) राज्य के महाधिवक्ता

Sol. (a) अनुच्छेद 175 के तहत, राज्यपाल को यह घोषित करने की शक्ति है कि वह विधेयक पर सहमति देता है या रोकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है तथा वह अपने मंत्रियों की सलाह पर सहमति प्रदान करता है।

13. ______ के मामले में अपने निर्णय के अनुसार, संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं माना।

(a) भीम सिंह बनाम भारतीय संघ

(b) बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद साह

(c) बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य

(d) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार

Sol. (c) भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है। किसी विशेष विषय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए नियम तब तक लागू रहते हैं जब तक कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया हो।

14. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 360 (b) अनुच्छेद 352

(c) अनुच्छेद 356 (d) अनुच्छेद 331

Sol. (b) अनुच्छेद 352 के तहत- पूरे भारत या इसके क्षेत्र के एक हिस्से में बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। अनुच्छेद 356 के तहत – यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी को सीधा अपने नियंत्रण में ले सकती है।

अनुच्छेद 360- के तहत वित्तीय आपातकाल।

अनुच्छेद 331- ने संविधान के निर्माण के दौरान एंग्लो-इंडियन समुदाय को आरक्षण दिया।

15. संविधान के भाग III में संशोधन कर मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने की शक्ति विधानमंडल को नहीं है, यह बात ...... द्वारा निर्धारित की गई थी

(a) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

(b) गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य

(c) शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ

(d) सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य

Sol. (b) गोलकनाथ मामला, 1967 का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है।

16. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी?

(a) अनुच्छेद 144 (b) अनुच्छेद 113

(c) अनुच्छेद 134 (d) अनुच्छेद 124

Sol. (d) भारतीय संविधान का चौथा अध्याय संघीय न्यायपालिका है। इस अध्याय के तहत, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सभी क्षेत्राधिकारों के साथ निहित है।

अनुच्छेद 124 के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन और स्थापना की गई थी।

17. भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है?

(a) 19 (b) 34

(c) 24 (d) 26

Sol. (b) भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) की अधिकतम संख्या वर्तमान में 32 हैं, अधिकतम संभव/संख्या शक्ति 34 है।

18. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 'राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया' से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 78 (b) अनुच्छेद 72

(c) अनुच्छेद 60 (d) अनुच्छेद 55

Sol. (d) अनुच्छेद-55 – राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका।

अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य।

अनुच्छेद 72 –क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

अनुच्छेद 60 –राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान निर्धारित करता है।

19. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार' से संबंधित है?

(a) अनुच्छेद 19 (1) (c) (b) अनुच्छेद 19 (1) (a)

(c) अनुच्छेद 19 (1) (b) (d) अनुच्छेद 19 (1) (d)

Sol. (c) अनु.-19(b) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता और सभा करने की स्वतंत्रता

अनु.-19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब 6 हैं।

अनु.-19(a) बोलने की स्वतंत्रता

अनु.-19(c) संघ बनाने की स्वतंत्रता

अनु.-19(d) देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता।

20. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(a) राज्य के राज्यपाल

(b) भारत के राष्ट्रपति

(c) राज्य के मुख्यमंत्री

(d) केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री

20 विस्तृत व्याख्या सहित अभ्यास प्रश्न (संविधान)

1. निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से नहीं ली है-

(a) इकहरी नागरिकता (b) विधि का शासन

(c) मौलिक अधिकार (d) संसदीय व्यवस्था

हल: **(c)** ब्रिटिश संविधान से लिए गए प्रावधान-

1. इकहरी नागरिकता 2. विधि का शासन

3. संसदीय व्यवस्था 4. द्विसदनीय व्यवस्था

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान

1. मूल अधिकार 2. उद्देशिका का विचार

3. राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत के संविधान में 20 भाग हैं।
2. भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं।
3. भारत के संविधान में नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों को संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

हल: **(c)** 1. भारतीय संविधान में मूलत: 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं।

2. भारतीय संविधान में-

प्रथम संविधान संशोधन- 1951 द्वारा - 9वीं अनुसूची

52वां संविधान संशोधन- 1985 द्वारा -10वीं अनुसूची

73वां संविधान संशोधन- 1992 द्वारा -11वीं अनुसूची

74वां संविधान संशोधन- 1992 द्वारा -12वीं अनुसूची को जोड़ा गया।

2. 'संवैधानिक सरकार' का अर्थ है-

(a) प्रतिनिधिक सरकार (b) सीमित सरकार

(c) संविधान के अनुसार (d) जनसहमति की सरकार

हल: **(b)** संवैधानिक सरकार से अभिप्राय एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार से होता है, जो संविधान की शर्तों एवं कानून के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करें। संवैधानिक सरकार में सर्वोच्च शाक्तियाँ संविधान या कानून में निहित होती हैं।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से रूप अथवा व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था से मेल खाती है।

1. अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली
2. संसदीय शासन प्रणाली
3. न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था

कूट:

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) इनमें से सभी

हल: **(a)** एकात्मक शासन प्रणाली उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति एक ही सरकार में निहित होती है, वह सरकार केंद्र सरकार कहलाती है अर्थात समस्त देश के लिए एक व्यवस्थापिका, एक ही कार्यपालिका एवं एक ही न्यायपालिका होती है। इसके अंतर्गत-अध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली व संसदीय शासन प्रणाली इस व्यवस्था से मेल खाते है।

4. एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है, कही जाएगी-

(a) लोक जनतंत्र (b) संसदीय लोकतंत्र

(c) समाजवादी लोकतंत्र (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

हल: **(b)** एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है ऐसी व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहते हैं।

5. निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताएँ हैं?

1. निर्मित संविधान
2. विधि का शासन
3. शक्ति पृथक्करण
4. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

कूट:

(a) 1, 2, 3 तथा 4 (b) 2 और 4

(c) 1, 3 और 4 (d) 1, 2 और 4

हल: **(b)** संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत-विधि का शासन, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि हैं।

6. संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं?

(a) 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ (b) 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियाँ

(c) 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ (d) 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ

हल: **(c)** संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल अनुच्छेद 448+ हैं अनुसूचियों की संख्या 8 की जगह 12 हो गयी है तथा भाग 25 हैं।

7. निम्नलिखित में से कौन-सी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएँ हैं?

1. एक लिखित एवं सर्वोच्च संविधान
2. शक्ति विभाजन और नियंत्रण एवं संतुलन व्यवस्था
3. केंद्र और राज्यों में शक्तियों का इस प्रकार वितरण की प्रत्येक एक-दूसरे से स्वतंत्र रह सकें।
4. नागरिकों के मूल अधिकार प्रतिभूत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन से सही हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 2 और 4 (d) 2, 3 और 4

हल: **(b)** संघीय सरकार की मुख्य विशेषताएँ-

1. लिखित संविधान 2. संवैधानिक सर्वोच्चता

3. सत्ता का विभाजन 4. स्वतंत्र न्यायपालिका

5. द्विसदनीय विधायिका

8. निम्न सूची को सुमेलित करें-

सूची-I	सूची-II
A. 86वां संशोधन	1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा
B. 91वां संशोधन	2. मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या
C. 92वां संशोधन	3. 8वीं अनुसूची में नई भाषाएँ
D. 93वां संशोधन	4. उच्च शिक्षा में आरक्षण

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	1	2	4	3
(c)	2	1	3	4
(d)	2	1	4	3

हल: (a)

सूची-I	सूची-II
A. 86वां संशोधन 2002	1. 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा
B. 91वां संशोधन 2003	2. मंत्रिपरिषद् में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% सुनिश्चित की गई
C. 92वां संशोधन 2003	3. 8वीं अनुसूची में नई भाषाएँ (बोडो, डोंगरी मैथिली, संथाली)
D. 93वां संशोधन 2005	4. उच्च शिक्षा में आरक्षण

9.

सूची-I (संविधान के अंतर्गत)	सूची-II (स्रोत)
A. सामूहिक उत्तरदायित्व	1. अमेरिका
B. उपराष्ट्रपति का पद	2. ब्रिटेन
C. राज्यसभा के सदस्य	3. ऑस्ट्रेलिया
D. समवर्ती सूची	4. दक्षिण अफ्रीका

कूट:

	A	B	C	D
(a)	2	3	1	4
(b)	4	2	3	1
(c)	1	2	4	3
(d)	2	1	4	3

हल: (d)

सूची-I (संविधान के अंतर्गत)	सूची-II (स्रोत)
A. सामूहिक उत्तरदायित्व	2. ब्रिटेन
B. उपराष्ट्रपति का पद	1. अमेरिका
C. राज्यसभा के सदस्य	4. दक्षिण अफ्रीका
D. समवर्ती सूची	3. ऑस्ट्रेलिया

10. भारत के संविधान में 42वां संशोधन अनुच्छेद 51 'क' जोड़ता है जिसके अनुसार

(a) नागरिकों के पाँच मूल कर्त्तव्य हैं
(b) नागरिकों के आठ मूल कर्त्तव्य हैं
(c) नागरिकों के दस मूल कर्त्तव्य हैं
(d) नागरिकों के बारह मूल कर्त्तव्य हैं

हल: (c) वर्ष 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4(d) (अनुच्छेद-51क) को जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्त्तव्यों को जोड़ा गया लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा 11वां मूल कर्त्तव्य और जोड़ दिया गया अतः वर्तमान में 'अनुच्छेद 51 क' के अंतर्गत कुल 11 मौलिक कर्त्तव्य हैं।

11. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं-

1. संशोधन की बहुलवादी प्रक्रिया।
2. राज्यों को संशोधन में पहल करने का अधिकार नहीं है।
3. कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं।
4. संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें।

कूट:

(a) 1, 2, 4 (b) 1, 2
(c) 2, 3, 4 (d) 1, 3, 4

हल: (b) भारत के संविधान की विशेषताएँ-

1. भारतीय संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रियाओं को अपनाया गया है।
   a. साधारण बहुमत द्वारा संशोधन b. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
   c. विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन
2. भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गयी है, राज्य विधान मण्डलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है।
3. अनुच्छेद 108 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनो सदनों में मतभेद पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

12. निम्न सूची को सुमेलित करें-

सूची-I	सूची-II
A. मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा	1. ब्रिटेन
B. प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली	2. संयुक्त राज्य अमेरिका
C. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व	3. आयरलैंड
D. संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ	4. कनाडा

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	3	4	2
(b)	2	1	3	4
(c)	4	2	1	3
(d)	3	1	2	4

हल: (b)

सूची-I	सूची-II
A. मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा	2. संयुक्त राज्य अमेरिका
B. प्रजातंत्र की संसदीय प्रणाली	1. ब्रिटेन
C. राज्य की नीति के निदेशक तत्व	3. आयरलैण्ड
D. संघ को प्रदत्त अवशिष्ट शक्तियाँ	4. कनाडा

13. लोकतंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार-विमर्श कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए-

1. यह सरकार का एक रूप है।
2. यह राज्य का एक प्रकार है।
3. यह राज्य की एक व्यवस्था है।
4. यह जीवन व्यतीत करने का एक तरीका है।

कूट:

(a) 1, 2, 3 (b) 1, 2, 3, 4
(c) 1, 3, 4 (d) 1, 2, 3

हल: (b) 1. लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। यह सरकार की एक प्रणाली है जिसमें देश के लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके सरकार बनाने के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते हैं।

2. लोकतंत्र राज्य का एक स्वरूप है और वर्ग-विभाजित समाज में सरकार अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक दोनो होती है। यह एक वर्ग के लिए लोकतंत्र है तो दूसरे के लिए अधिनायकवाद।
3. लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।
4. लोकतंत्र जीवन व्यतीत करने का तरीका है जिसमें तर्क और सिद्धांतो के विकास को उच्च महत्व दिया जाता है जैसे स्वतंत्रता, सत्य बोलना, निष्पक्षता और व्यक्तियों के प्रति सम्मान, जो सामाजिक जीवन में तर्क के उपयोग के लिए आवश्यक है।

15. भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत पाठ किस भाग में दिया गया है?
(a) भाग-18 (b) भाग-19
(c) भाग-21 (d) भाग-22

हल: **(d)** भारतीय संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन भाग 22 में दिया गया है।

16. संसदीय शासन के अधीन प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?
(a) वह संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है।
(b) वह राज्याध्यक्ष को निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
(c) वह किसी भी समय निम्न सदन को भंग कर सकता है।
(d) वह अपने मंत्रियों को किसी भी समय बर्खास्त करने की सिफारिश राज्याध्यक्ष को कर सकता है।

हल: **(c)** संसदीय शासन के अधीन प्रधानमंत्री की स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। संसदीय शासन प्रणाली में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं जिसका प्रयोग वह 'मंत्रिपरिषद' की सलाह से करता है लेकिन मंत्रीपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है अत: व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही भारतीय शासन प्रणाली सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। उसकी निम्न शक्तियाँ एवं अधिकार है-
1. वह संसद में निम्न सदन (लोकसभा) में बहुमत दल का नेता होता है।
2. वह राज्याध्यक्ष (राष्ट्रपति) को निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है।
3. वह अपने मंत्रियों को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है।

17. सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें:-

सूची-I	सूची-II
A. 22 जुलाई, 1947	1. संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया।
B. 24 जनवरी, 1950	2. सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिह्न स्वीकार किया गया।
C. 26 जनवरी, 1950	3. सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार करना।
D. 22 मार्च, 1957	4. संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया।

कूट:

	A	B	C	D
(a)	4	1	2	3
(b)	3	1	2	4
(c)	4	2	1	3
(d)	2	1	3	4

हल: **(a)**

सूची-I	सूची-II
A. 22 जुलाई 1947	4. संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा स्वीकार किया गया।
B. 24 जनवरी 1950	1. संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया
C. 26 जनवरी 1950	2. सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिह्न को स्वीकार किया गया।
D. 22 मार्च 1957	3. सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार किया गया।

18. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध हैं?
(a) अनुसूचित भाषाएँ (b) शपथ और प्रतिज्ञान
(c) जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन (d) संघ, राज्य, समवर्ती सूचियाँ

हल: **(d)** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में (3) सूचियाँ दी गयी हैं।
1. राज्य सूची- इस पर राज्य विधान बना सकता है।
2. केंद्र सूची (संघ सूची)- इस पर केंद्र सरकार विधान बना सकता है
3. समवर्ती सूची- इस पर दोनों विधान बना सकते हैं लेकिन प्राथमिकता केंद्र की है

19. संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा?
(a) 2 वर्ष 7 माह 23 दिन (b) 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
(c) 2 वर्ष 11 माह 28 दिन (d) 2 वर्ष 11 माह 23 दिन

हल: **(b)** भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इसे 26 नबंवर 1949 को अंगीकृत (अपनाया) किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया।

20. भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन-से तत्त्व लिए गए हैं?
1. विधि का शासन 2. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
3. कानून निर्माण की प्रक्रिया 4. संसदीय सरकार

कूट:
(a) 1, 3 और 4 (b) 1, 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1 और 4

हल: **(a)** भारतीय संविधान के निर्माण के समय ब्रिटिश संविधान से लिए गए तत्व, (प्रावधान)
1. विधि का शासन 2. कानून निर्माण की प्रक्रिया
3. संसदीय सरकार 4. द्विसदनीय व्यवस्था
जबकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गयी।

21. राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली?
(a) 26 नवंबर, 1949 (b) 26 जनवरी, 1950
(c) 24 जनवरी, 1950 (d) 22 जुलाई, 1947

हल: **(b)** भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारतीय संविधान द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इस मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं।

22. राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया?
(a) लाहौर अधिवेशन, 1929 (b) कलकत्ता अधिवेशन, 1907
(c) सूरत अधिवेशन, 1907 (d) दिल्ली अधिवेशन, 1947

हल: **(b)** रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया तथा संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिन्दी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में गाया गया।

23. राष्ट्रगान को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया?
(a) पन्ना लाल घोष (b) पद्नाथ भट्टाचार्य
(c) मास्टर गणपत सिंह (d) ए. आर. रहमान

हल: **(b)** राष्ट्रगान को सर्वप्रथम स्वरबद्ध पद्नाथ भट्टाचार्य ने किया था और इसे सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तथा इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इस संकल्पना को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।

24. निम्न सूची को सुमेलित करें-

सूची-I (प्रतीक)	सूची-II (संबंधित तथ्य)
A. राष्ट्रीय फल	1. आम
B. राष्ट्रीय मुद्रा	2. रुपया
C. राष्ट्रीय विदेश नीति	3. गुटनिरपेक्ष
D. राष्ट्रीय ध्वज झंडा	4. हिंद देश का प्यारा

Gagan Pratap Sir

About Gagan Sir

An enthusiastic and dynamic teacher with an experience over 7 year and counting. Aced SSC CGL Mains twice with top score. His unique way of teaching in simplified way makes maths fun and easy.

CHAMPION PUBLICATION

Gagan Pratap Sir
pratapgagan123@gmail.com

Now Available on Play store!

Champion Publication App

GET IT ON Google Play

- Your Complete Exam Preparation Partner!
- Get Unlimited Access to:
- Free Book PDFs
- Free Test Series & Daily Quizzes
- 24×7 Doubt Support
- Interactive Book Practice
- Daily Study Targets
- Special Mock Tests for All Exams

CHAMPION PUBLICATION
championpublication1@gmail.com

Share your feedback with us on: Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Instagram

Available on amazon Flipkart

In case of any error or correction detected in the article, let us know the concern on WhatsApp 7351553388 with page number

CHAMPION PUBLICATION

Add: 2nd Floor, Jaina Ext. Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

For Suggestions Whatsapp

7351553388

₹ 320/-

ISBN- 978-81-978080-4-3

9 788197 808043